


क्रोध-समीक्षण



आचार्य श्री नानेश



प्रकाशक :

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ
वीकानेर (राजस्थान)

क्रोध-समीक्षण

□

आचार्य श्री नानेश

□

प्रकाशक

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ
समता भवन, रामपुरिया मार्ग,
वीकानेर-३३४००१ (राजस्थान)

□


मूल्य : छह रुपये
संस्करण . १९८५

□

मुद्रक

फ्रॉण्ड्स प्रिण्टर्स एण्ड स्टेशनर्स
जौहरी बाजार, जयपुर-३०२००३





प्रकाशकीय

जिनशासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिबोधक, समता विभूति, विद्वत् शिरो-मणि, समीक्षण ध्यान योगी, बाल ब्रह्मचारी, चारित्र-चूडामणि, आचार्यप्रवर श्री १००८ श्री नानालालजी म सा. का निरग्रन्थ-परम्परा के सन्तो मे विशिष्ट स्थान और महत्त्व है ।

आज से ६५ वर्ष पूर्व ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया सवत् १९७७ को मेवाड के दाता गाँव मे आपका जन्म हुआ । १९ वर्ष की अवस्था मे, आन्तरिक वैराग्य भाव से प्रेरित होकर, आपने शान्त क्रान्तद्रष्टा स्वर्गीय आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा के पास जैन भागवती दीक्षा अगीकृत की । स २०१६ मे माघ कृष्णा द्वितीया को आप आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए ।

अपने आचार्य-काल मे आपने धर्म और अध्यात्म, जीवन और समाज के नानाविध क्षेत्रो मे समता दर्शन के रूप मे युगान्तरकारी चिन्तन प्रस्तुत किया । समतादर्शन का ही क्रियात्मक रूप प्रतिफलित हुआ धर्मपाल प्रवृत्ति के पल्लवन एव प्रसरण मे । इस प्रवृत्ति के माध्यम से मालवा क्षेत्र के अस्पृश्य कहे जाने वाले वलाई जाति के हजारो लोगो को व्यसन मुक्त और सुसंस्कारी बनाने मे आपके सदुपदेशो की अदम्य प्रेरणा रही है ।

समता-दर्शन के विकास के लिए समीक्षण ध्यान का अभ्यास जरूरी है । इन वर्षो मे आपने समीक्षण ध्यान पर विशेष बल दिया है । अपनी वृत्तियो को सम्यग्रीत्या समभावपूर्वक देखना समीक्षण ध्यान है । इस अभ्यास-क्रिया से द्रष्टाभाव का विकास होता है ।

आचार्यश्री जैन आगमो और शास्त्रो के मर्मज्ञ विद्वान् और गूढ व्याख्याता होने के साथ-साथ सृजनात्मक, प्रतिभा के भी धनी हैं ।

शान्त क्रान्ति के अग्रदूत स्व. आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. की स्मृति मे श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन सघ ने श्री गरुडेश जैन ज्ञान भण्डार की स्थापना की । ज्ञान भण्डार मे अनेकानेक प्रकाशित एव हस्तलिखित ग्रन्थो का संग्रह हुआ । हस्तलिखित अप्रकाशित ग्रन्थो का सचयन कर श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन साहित्य समिति सर्वजनहितार्थ प्रकाशन करती रही है । इसी शृंखला मे 'क्रोध-समीक्षण' नाम से प्रकाशित यह नई कृति पाठको के हाथो मे सौंपते हुए हमे अत्यन्त प्रसन्नता है ।

जैन दर्शन मे ईश्वर-कृपा को महत्त्व न देकर आत्मपुरुषार्थ द्वारा परमात्म-तत्त्व को प्राप्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है । यह परमात्म-तत्त्व प्रत्येक जीवात्मा मे निहित है पर कषायिक प्रवृत्तियो के कारण वह सुप्त बना रहता है । कषाय पर विजय प्राप्त करना ही परमात्म तत्त्व से साक्षात्कार करना है । कषाय के मुख्य चार प्रकार हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ । क्षमा, विनम्रता, सरलता और सतोष जैसे आत्मगुणो का विकास कर इन पर नियन्त्रण किया जा सकता है ।

कषाय चतुष्क मे क्रोध कषाय प्रथम है । शारीरिक अगो की विकृति के रूप मे इसका प्रभाव देखा जा सकता है । आचार्यश्री ने 'आचाराग' सूत्र की 'जे कोह दसी से भाण दसी' सूक्ति को ध्यान में रखकर इस कृति में क्रोध मनो-विकार के स्वरूप, प्रकार, उत्पत्ति, अभिव्यक्ति, दुष्प्रभाव व क्रोध-शमन के उपाय आदि बिन्दुओ पर लोक एव शास्त्र तथा धर्म एव मनोविज्ञान के धरातल पर अनुभूतिपरक समीक्षण प्रस्तुत किया है जो पाठको व साधको के लिए समान रूप से उपयोगी है । इसके लिए सघ आचार्य प्रवर के प्रति अनन्त श्रद्धा समर्पित करता है । साथ ही आचार्य प्रवर के मुखारविन्द से प्रस्फुटित होने वाली प्रस्तुत अभिव्यक्ति को विद्वद्दय श्री विजय मुनि जी म सा एव सेवाभावी श्री प्रकाश मुनिजी म सा. ने लिपिबद्ध किया, उनके प्रति तथा विश्रुत विद्वान् श्री शोभाचन्द जी भारिल्ल एव डॉ नरेन्द्र भानावत ने इस कृति का अवधानता के साथ अव-लोकन कर जो अपना अभिमत दिया, उसके लिए सघ आभारी है ।

आशा है, यह कृति क्रोध-शमन में हमारा पथ-प्रदर्शन करेगी और इससे
पथ-विजय की प्रेरणा जागेगी ।

—गुमानमल चौरडिया
सयोजक, साहित्य समिति,
अ भा साधुमार्गी जैन सघ, बीकानेर





अभिमत

समग्र जैन साधना का मुख्य लक्ष्य अनादि काल से आत्मा के साथ सलग्न कषायो का क्षय करना है। आत्मा के भव-भ्रमण एव अनेकविध ऐहिक दुःखो का मूल कारण कषाय है। कषाय की तीव्रता आत्मिक पतन का कारण है और कृशता उत्थान का। ज्यो-ज्यो कषाय का ह्रास होता है आत्मिक गुणो मे निर्मलता आती जाती है, गुणस्थान श्रेणी ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। कषाय मुक्ति ही एक प्रकार से मुक्ति या सिद्धि है। साधना के क्षेत्र मे हम कितने अग्रसर हुए हैं, इस तथ्य का मापदण्ड कषायो की कृशता है। कषाय आत्मा का सर्वाधिक भयकर शत्रु है।

प्रसन्नता का विषय है कि आचार्यवर्य पूज्य श्री नानेशजी म० ने इस उपयोगी विषय को अपने लेखन के लिए चुना है। क्रोध कषाय और मानकषाय सबधी लेखन का अवलोकन मैंने किया। इस लेखन मे आचार्य श्री ने सम्बद्ध विषय पर विस्तार से व्यावहारिक एव सैद्धान्तिक पक्षो को समक्ष रख कर सुन्दर विवेचन किया है। यह विवेचन न केवल पठितव्य है किन्तु मन्तव्य भी है, आचरितव्य भी है, इसके लिए आचार्य श्री का शतश अभिनन्दन।

आशा है, आचार्य श्री माया और लोभ कषायो पर भी अपना विद्वतापूर्ण विवेचन प्रस्तुत करेंगे, जिससे कषाय-विवेचन मे पूर्णता आ जाए और साधक जन लाभ उठा सकें।

— प० शोभाचन्द्र भारिल्ल



सम्मति

आचाराग सूत्र आध्यात्मिक अनुभवो का सागर है। जीवन की मूल्यात्मक गहराइयाँ इसमें वर्णित हैं। आध्यात्मिक साधना के लिए उसका मार्ग-दर्शन अनोखा है। इसमें साधना एव जीवन-विकास के सूत्र बिखरे पड़े हैं। आध्यात्मिक महापथ के पथिक आचार्य श्री नानेश ने आचाराग के जिस सूत्र की व्याख्या 'क्रोध-समीक्षण' नामक पुस्तक में प्रस्तुत की है वह उनकी गहन साधना का परिचायक है। वे समीक्षण ध्यान के प्रवर्तक हैं। उनकी यह पुस्तक साधको के लिए प्रकाश स्तम्भ का कार्य करेगी। जिस दृष्टि से क्रोध कपाय को लेकर विषय का विवेचन किया गया है वह समीक्षण ध्यान के प्रयोग का एक उदाहरण है। क्रोधादि कपायो का 'दर्शी' बनना एक महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया है। वास्तव में सम्यक् अवलोकन ही समीक्षण ध्यान है। आचार्य श्री का कहना है कि "समीक्षण के लिए साधक की अवधानता तभी बन सकती है, जब वह सतत प्रयत्नपूर्वक चरम लक्ष्य की उपलब्धि के लिए जागृत रहे।"

विषय का विवेचन करते हुए आचार्य श्री नानेश ने क्रोध की तरतमता, क्रोध का स्वरूप, क्रोधोत्पत्ति के कारण, क्रोध के दुष्परिणाम, क्रोध-शमन के तात्कालिक उपाय आदि बिन्दुओं को स्पष्टतया समझाया है। इन सभी बिन्दुओं की समझ क्रोध-समीक्षण की आघार-शिला बन जाती है। आचार्य श्री के शब्दों में, "समीक्षण-ध्यान एव समतामय आचरण के बल पर एक साधक अपनी साधना के अनुरूप क्रोध सचची स्कंधो का अवलोकन कर सकेगा।" वास्तव में क्रोध-दर्शी (कोहदसी) बन जाने से साधक मान-दर्शी (माणदसी) भी बन जाएगा। इस तरह से समीक्षण ध्यान के प्रयोग से साधक विभिन्न कपायों के आवरण को छेदता हुआ दुःखरहित बन सकता है।

आचार्य श्री का क्रोध-समीक्षण-विवेचन जैन योग के लिए नवीन दृष्टि प्रदान करता है। कषायो के समीक्षण से साधक आत्मा की शुद्धावस्था तक की यात्रा कर सकता है। प्रस्तुत पुस्तक विद्वानो एव साधको के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी, इसमे कोई सन्देह नहीं है। आचाराग के अन्य सूत्रो की व्याख्या भी आचार्य श्री नानेश के द्वारा इसी प्रकार हो सके, तो साधना के नये-नये आयाम उद्घाटित हो सकते हैं।

—डॉ कमलचन्द सोगानी

प्रोफेसर एव अध्यक्ष

दर्शन शास्त्र

सुखाडिया विश्वविद्यालय

उदयपुर-313001 (राज.)





सौम्य भाव की यात्रा

धर्म अन्धविश्वास, मनगढन्त कल्पना और भावोन्माद का परिणाम न होकर यथार्थ चिन्तन, उदात्त जीवनादर्शों और वृत्तियों के परिष्करण का प्रतिफलन है। चित्तवृत्तियों की शुभाशुभ परिणति से ही मनुष्य और पशु में भेद पैदा होता है।

क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय अशुभ वृत्ति के सूचक हैं। इन पर नियन्त्रण और सयमन करके ही चेतना को ऊर्ध्वमुखी किया जा सकता है।

लोक और शास्त्र के गूढ चिन्तक और व्याख्याता आचार्य श्री नानेश ने क्रोध कषाय की जो व्याख्या, विवेचना और समीक्षा इस कृति में प्रस्तुत की है वह हिन्दी साहित्य में चिन्तन की नवीन स्फुरण और दिशा है। क्रोध जैसे विषय पर इससे पूर्व भी लिखा गया है पर वह उसके हानि-लाभ के व्यावहारिक सदर्थों के सिलसिले में ही। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने क्रोध विषयक निबन्ध में मनोविज्ञान का घरातल अवश्य प्रस्तुत किया है पर वे उसे आत्मिक सस्पर्श नहीं दे सके हैं।

आचार्य श्री नानेश की यह मौलिक विशेषता है कि उन्होंने क्रोध की उत्पत्ति, स्फीति, अभिव्यक्ति, परिणति, और उसके गमन की प्रक्रिया और सिद्धि पर सैद्धान्तिक और प्रायोगिक दोनों स्तरों पर शास्त्रीय और अनुभवप्रवण प्रकाश डाला है। साहित्य शास्त्र में क्रोध को रौद्र रस का स्थायी भाव माना गया है पर यहाँ आचार्य श्री ने क्रोध त्याग द्वारा सहिष्णुता के विविध आयामी विकास की जो चर्चा की है, वह सौम्य भाव जगाने वाली है। यह सौम्य भाव ही रस अर्थात् आनन्द का स्रोत है। रौद्र से सौम्य की ओर हमारी यात्रा हो, यही इस कृति का सन्देश है।

— डॉ० नरेन्द्र मानावत

एसोशियेट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर




अनुक्रमणिका

क्रोध-समीक्षण	१
मोक्ष का अधिकारी कौन	२
कपाय-विरति का मार्ग	३
कपायो का वर्गीकरण	४
क्रोध कपाय	५
समीक्षण दृष्टि से "कोहदसी" वनें	५
क्रोध की तरतमता	७
अनन्तानुबधी श्रेणी	७
अप्रत्याख्यानानावरण श्रेणी	७
प्रत्याख्यानानावरण श्रेणी	८
सज्वलन श्रेणी	८
क्रोध की अभिव्यक्ति	८
क्रोध का वैज्ञानिक स्वरूप	११
क्रोध : स्वरूप-समीक्षण	१२
सहारक शस्त्र के रूप में क्रोध	१४
क्रोधोत्पत्ति के कारण	१५
(१) दुर्वचन	१६
(२) स्वार्थपूर्ति में बाधा	१६
(३) अनुचित व्यवहार	१६
(४) भ्रम	१६
(५) विचारभेद या रुचिभेद	१६

क्रोध के प्रस्फुटित होने के प्रकार	१७
अ (१) आत्म प्रतिष्ठित	१७
(२) पर प्रतिष्ठित	१७
(३) तदुभय प्रतिष्ठित	१८
(४) अप्रतिष्ठित	१८
ब (१) आभोगनिवृत्तए-(आभोगनिर्वृत्तित)	२०
(२) अणाभोगनिवृत्तए-(अनाभोगनिर्वृत्तित)	२०
(३) उवसत-उपशान्त	२०
(४) अगुवसतए-अनुपशान्त	२०
क्रोध के घातक दुष्परिणाम	२०
(१) परनिन्दा	२२
(२) दु साहस	२२
(३) वैर	२२
(४) जलन	२२
(५) दोष-दर्शन	२२
(६) दुष्ट ध्यान	२३
(७) कठोर वचन	२३
(८) क्रूर व्यवहार	२३
वस्तुतः पागल हो जाता है क्रोधी	२३
विष-तरंगो का प्रवाह	२४
अनेक असहिष्णुताओ का जनक क्रोध	२५
(१) मानसिक असहिष्णुता	२६
(२) वैचारिक असहिष्णुता	२७
(३) परगुण-असहिष्णुता	२८
(४) उन्नति सम्बन्धी असहिष्णुता	३०
(५) वाणी सम्बन्धी असहिष्णुता	३१

(६) शारीरिक असहिष्णुता	३२
क्रोध त्याग से सहिष्णुता का विकास	३४
(१) उन्नति-अवनति सहिष्णुता	३४
(२) उत्कर्ष-अपकर्ष सहिष्णुता	३५
(३) वैयक्तिक सहिष्णुता	३७
(४) पारिवारिक सहिष्णुता	३८
(५) सामाजिक सहिष्णुता	३९
(६) राष्ट्रीय सहिष्णुता	४०
(७) पढीस की सहिष्णुता	४२
(८) नैतिक सहिष्णुता	४३
(९) साम्प्रदायिक सहिष्णुता	४४
(१०) आध्यात्मिक सहिष्णुता	४८
क्रोध दर्शिता का अनुसधान	५१
मूछविस्था से जागृति	५३
आभ्यन्तर शक्ति का विकास	५५
समभाव एव समीक्षण दृष्टि	५६
क्रोध की विफलता के सूत्र	५६
(१) एकान्त मे चले जाएँ	५८
(२) मौन हो जाएँ	५८
(३) क्रोध विरोधी चिन्तन आरभ कर दे	५९
(४) कार्य मे प्रवृत्त हो जाएँ	५९
(५) श्वास निरोध क्रिया करें	५९
निर्विकार अन्तर्दृष्टि	५९
शान्ति और प्रेम का वायुमण्डल	६१
क्रोध शमन के तात्कालिक उपाय	६२
(१) पूर्व प्रतिज्ञा का विचार	६२

(२) पूर्वं प्रतिज्ञा दृष्टि मे लें	६२
(३) प्रतिज्ञा का बारम्बार स्मरण करें	६२
(४) मन और कार्य की दिशा बदलें	६३
(५) पञ्चपरमेष्ठि का ध्यान करें	६३
क्रोध त्यागें, अज्ञातशत्रु बनें	६३
अभय बनें, अभय बनावें	६३
साधनों की प्रामाणिकता	६४
जे कोह दसी, से माण दसी	६५



क्रोध-समीक्षण

समीक्षण ध्यान की विधा इतनी विलक्षण एवं प्रभावोत्पादिका है कि उसकी विधिवत् साधना से साधक की अन्तर्दृष्टि जागृत होकर यथातथ्य अवलोकन में सक्षम बन जाती है। वैसी अन्तर्दृष्टि समभावना एवं समदर्शिता के आधार पर एक ओर जड तत्त्वों की विभिन्न पर्यायों की भीतरी परतों को देख लेती है तो दूसरी ओर वह आत्मा की वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों के रहस्यों का अवलोकन भी कर लेती है। वस्तुतः समीक्षण ध्यान का अभ्यास करने वाला साधक आत्मदृष्टा बन जाता है। उसकी दृष्टि तब समीक्षण-दृष्टि हो जाती है।

समीक्षण दृष्टि की शक्ति से ही यह ज्ञात किया जा सकता है कि मानव-जीवन के विकास को चरम लक्ष्य तक पहुँचा देने में कौन सी वृत्तियाँ अवरोध रूप हैं तथा उन अवरोधों को दूर करने में किस प्रकार का पुरुषार्थ सहायक हो सकेगा ?

सिद्धात्मा और ससारी आत्मा के मूल स्वरूप में कोई अन्तर नहीं है। अन्तर है तो केवल उस स्वरूप की आवृत्तता का एवं अनावृत्तता का। ससारी आत्माओं के मूल स्वरूप पर कर्माविरण होता है और सिद्धात्मा पूर्ण रूप से अपने मूल तेजस्वी स्वरूप में निरावृत्त होती है। ये कर्माविरण आत्मा की स्वाभाविक शक्तियों को आच्छादित किये रहते हैं, आत्मा की ही अपनी विषय-गामिनी वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों के कारण विषय कपाय से अनुरजित होकर उसकी वैसी वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों के कुप्रभाव से आत्मा के मूल गुण दब जाते हैं, छिप जाते हैं अथवा विकृत रूप ले लेते हैं। प्रवाह रूप में अनादि काल से गसारी आत्मा की यही स्थिति बनी हुई है।

समीक्षण-ध्यानी अपनी विशिष्ट विवेक शक्ति द्वारा शुद्ध एवं अशुद्ध आत्म-स्वरूप का पृथक्करण करता है। और अशुद्धता के कारणभूत कापायिक वृत्तियों को भी देखता है। श्री आचारार्य सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ उद्देशक में कहा गया है—“से वता कोह च माण च माय च लोभ च, एय पासगस्म देनण उवरयसत्यस्स पलियतकरस्स, आयाण सगडब्भि”। अर्थात् कापायित वृत्तियों तथा अवरोधों को शास्त्रोक्त रीति से समय का अनुष्ठान करके दूर कर सकते हैं। यह उपदेश किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं बल्कि उन नवज तीर्थंकरों का है जिन्होंने स्वयं इन शस्त्र रूप अवरोधों को समीक्षण ध्यान द्वारा दूर किया तथा अपने आन्तरिक विचारों का समूल उन्मूलन करके भव-भ्रमण का अन्त किया

और परम पद प्राप्त किया । अतः इस उपदेश में किञ्चित्मात्र भी सन्देह को स्थान नहीं है ।

मोक्ष का अधिकारी कौन ?

वीतराग वाणी के अनुसार वही मोक्ष का अधिकारी बनता है जो पुरुष सम्यक्ज्ञान, दर्शन एव चारित्र्य की आराधना करते हुए सयम का अनुपालन करता है । वह क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का क्षय करके आठो कर्मों तथा तज्जन्य विकारों का क्षय करता है और फलस्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है । इस प्रकार प्रस्तुत आगमसूत्र में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों के क्षय को मुक्ति प्राप्ति का मुख्य साधन कहा गया है । इसका कारण यह है कि कषाय ही प्रमुख रूप से आत्म-गुणों का घात करने वाली है । कषाय की व्याख्या ही यह है कि जो आत्म-गुणों को कषे (नष्ट करे) तथा भव-भ्रमण की आय-वृद्धि उत्पन्न करे । अतएव कषाय के स्वरूप को समझना तथा उससे विरति लेने के उपायों को अपनाना परमावश्यक हो जाता है ।

आत्मा की विकास-यात्रा के ये सभी काषायिक अवरोध दूर हो और उसका मूल स्वरूप निरन्तर उज्ज्वल से उज्ज्वलतर होता रहे, तभी मोक्ष का अधिकार निरन्तर समीप से समीपतर आता है । अतएव मोक्ष के इस अधिकार को समग्र रूप से समाहित कर लेने के लिए कषायों को विलग करने का पुरुषार्थ क्रियान्वित किया जाना चाहिये ।

काषायिक वृत्तियों का जब समग्र रूप से उन्मूलन हो जाता है तो चेतना शक्ति परिपूर्ण रूप से उद्भासित हो जाती है और उसका अनन्त ज्ञान-दर्शन स्वभाव प्रकट हो जाता है । तब पुरुष समस्त पदार्थों के समग्र का ज्ञाता, त्रैकालिक गुण पर्यायों का, दृष्टा, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी बन जाता है । क्योंकि परमाणु आदि द्रव्यों में से जो किसी एक को परिपूर्णतः जानता है, वह ससार के समस्त पदार्थों को भी सम्पूर्णतया जानता है और जो ससार के समस्त पदार्थों को सम्पूर्ण रूप से जानता है, वही एक पदार्थ को समग्रता के साथ जान सकता है । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षाओं से एक-एक पदार्थ की अनन्तानत पर्यायें होती हैं और इनका समस्त रूप से ज्ञान कषाय क्षय के पश्चात् ही सम्भव बनता है ।

यही नहीं, कषाय-क्षय के पश्चात् भय की परिसमाप्ति भी हो जाती है । ऐसा साधक पूर्णतः निर्भय हो जाता है क्योंकि मोक्ष मार्ग की आराधना में आस्था रखने वाला तथा तीर्थंकर भगवान् द्वारा प्रतिपादित आगम के अनुसार आचरण करने वाला, अप्रसन्न विवेकवान् मुनि ही क्षपक श्रेणी के योग्य होता है । ऐसा पुरुष ब्रह्म कायो के जीव रूप लोक को सर्वज्ञ भगवान् के आगमोपदेश से

जानकर किसी भी प्राणी को भयभीत नहीं बनाता है। वह स्वयं निर्भय होता है, दूसरो को निर्भयता प्रदान करता है, उसके आसपास निर्भयता का पावन-प्रशान्त वातावरण स्वतः निर्मित हो जाता है।

कषाय—विरति का मार्ग

जो साधक कषायो का क्षय कर देता है, उसे किसी से भी भय नहीं रहता तथा उससे भी किसी को भय नहीं रहता है। प्राणियों को शस्त्रो के द्वारा भय उत्पन्न होता है। ये शस्त्र दो प्रकार के होते हैं—द्रव्य शस्त्र और भाव शस्त्र। भाव शस्त्रो मे कषायो का मुख्य स्थान है। ये शस्त्र तीक्ष्ण से तीक्ष्णतर होते हैं और इनका अन्तःशस्त्र रूप समय से ही होता है। समय ही कषायविरति का राजमार्ग है।

साधना से ही सम्यग् दृष्टा होकर साधक समीचीन कषाय-दर्शी बन सकता है। आत्मा स्वयं जब स्वयं की कषाय वृत्तियों का समीक्षण करने लगेगी, तभी उसे स्पष्ट रूप से अनुभूति होने लगेगी कि उसके मूल गुणो का घात करने मे ये कषाय कितने अनर्थकारी हैं। उस अनर्थकारी स्वरूप के दर्शन के बाद ही वह अन्तर्दृष्टि तथा अन्तर्जागृति उत्पन्न हो सकेगी कि इन कषायो का क्षय किया जाना आवश्यक है।

आचाराग सूत्र के तृतीय शीतोष्णीय नामक अध्ययन के चतुर्थ उद्देशक मे कहा गया है—

“जे कोह दसी, से माण दसी
जे माण दसी, से माया दसी
जे माया दसी, से लोभ दसी
जे लोभ दसी, से पिज्ज दसी
जे पिज्ज दसी, से दोस दसी
जे दोस दसी, से मोह दसी
जे मोह दसी, से गव्भ दसी
जे गव्भ दसी, से जम्म दसी
जे जम्म दसी, से मार दसी
जे मार दसी, से णरय दसी
जे णरय दसी, से तिरिय दसी
जे तिरिय दसी, से दुक्ख दसी
से मेहावी अग्निवट्टिज्जा कोह च माण

च मायं च लोभं च पिज्जं च दोसं च मोहं च गव्भं च जम्मं च मारं च णरयं,
च तिरियं च दुक्खं च। एयं पानगस्स दसणे उवरयसत्थस्स पट्टलियंतकरस्स

आयाणं णिसिद्धा सगडब्भि, किमत्थि ओवाही पासगस्स ? ण विज्जई ?
णत्थि ॥ २५ ॥ त्ति वेमि ॥

अर्थात् जो पुरुष क्रोध को (अनर्थकारी) देखता है, वह मान को (अनर्थकारी) देखता है और इसी प्रकार माया, लोभ, प्रेय, द्वेष, मोह को (अनर्थकारी) देखता है वह गर्भावास के, जन्म-मरण के तथा नरक व तिर्यंच गति के दुःखो को भी देखता है। ऐसा आत्म-दृष्टा साधक सभी दुःखो को देखता है, उन्हें अनर्थकारी मानता है तथा उनसे मुक्त होने का पुरुषार्थ प्रारम्भ करता है। कषाय जनित दुःखो से मुक्त होने का उपदेश सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकरो का है। क्या सर्वज्ञ एव सर्वदर्शी तीर्थंकरो को किसी प्रकार की उपाधि होती है ? नहीं होती है। ऐसा स्वयं वीतराग देव फरमाते है।

क्रोधादि कषायो का “दर्शी” बनना अर्थात् इन कषायो के स्वरूप, इनके प्रकार, इनकी परिणति एव इनके दुर्विपाक का समीक्षण करना। यह एक महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी गई है। जो साधक अपनी आत्मा के भीतर उतरता है और भीतर के स्वरूप को अपनी ज्ञान दृष्टि से देखता है, वही आत्म-दृष्टा कहलाता है। ऐसा आत्म-दृष्टा इन कषायो को भी देखता है और यह भी देखता है कि ये कषाय किन-किन रूपो मे आत्म-गुणो पर आघात पहुँचाते है ?

इस कषायदर्शन से उसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि काषायिक परिणामो की जटिलता एव तीक्ष्णता कैसी होती है तथा उससे सफल सधर्ष करने के लिये उसकी सयम-साधना कितनी उत्कृष्ट होनी चाहिये ?

कषायो का वर्गीकरण

कषाय के मूलतः चार प्रकार है—क्रोध, मान, माया और लोभ।

आचाराग सूत्र मे किया गया कषायो का वर्गीकरण आध्यात्मिक होने के साथ-साथ गूढ वैज्ञानिक एव मनोवैज्ञानिक भी है। सम्यक्दृष्टा साधक के मन एव आत्मीय भावो मे जब काषायिक वृत्तियाँ सक्रिय होने लगती है, तब वह आत्मदृष्टा साधक कषायो के तारतम्य को तुलनात्मक रूप से देख सकता है। कषायो की तरतमता की दृष्टि से ही उनका शास्त्रीय वर्गीकरण किया गया है। पहले से दूसरा तथा दूसरे से तीसरे कषाय की जटिलता एव तीक्ष्णता सूक्ष्मतर होती हुई चली जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जो क्रोधदर्शी होता है, वह मानदर्शी होता है, जो मानदर्शी होता है वह मायादर्शी होता है, जो मायादर्शी होता है, वह लोभदर्शी होता है आदि आदि। इस क्रम का अभिप्राय यह है कि क्रोध से मान की जटिलता एव तीक्ष्णता अधिक, तो उससे माया की अधिक। इस प्रकार इन कषायो की उत्तरोत्तर अधिक जटिलता एव तीक्ष्णता देखी जा सकती है, अनुभव की जा सकती है, तथा उन्हें त्यागने का पुरुषार्थ क्रियान्वित किया जा सकता है।

क्रोध कषाय

कषायो के इस क्रम मे क्रोध सबसे पहले है । उल्लिखित सूत्र—“से वता कोह च मारण च . . .” मे क्रोधादि के वमन की बात कही गई है । इस पर जिज्ञासु की जिज्ञासा सहज ही प्रस्तुत होती है—क्रोधादि का वमन कैसे किया जाय ? क्रोध उदर मे पडा स्थूल पदार्थ तो नही है, जिसे वमन कर दिया जाय । यह तो आत्म प्रदेशो से सम्बन्धित कर्म-वर्गणा के पुद्गल-स्कष रूप है और वे स्कष भी योग और कषाय रूप मन्द, मन्दतर, मन्दतम एव तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम अर्धवसायो के रग से अनुरजित परिणामो के कारण वधन को प्राप्त हुए है । इस प्रकार के अर्धवसायो से एक समय जिन और जैसे कर्म-स्कषो का आत्मा के साथ सम्बद्ध होने का प्रसंग आता है, दूसरे समयो मे अन्य प्रकार के अर्धवसायो के कारण अन्य ही प्रकार के कर्म स्कष वद्ध होते हैं । इस प्रकार क्रोधादि से सम्बन्धित कर्म-स्कष एक ही तरह के नही होते हैं । फिर उनके वमन करने का विधान कैसे फलित हो सकता है ? यह जिज्ञासा अति महत्त्वपूर्ण है ।

इसका समाधान प्राप्त करने के लिए एकावधानता, एकाग्रता की नितान्त आवश्यकता है । इसके लिए साधक बाह्य विषयो के परिवेशो से सम्बन्धित अवलोकन का रूपान्तरण करके अन्तर्मुखी बने । इस अन्तर्मुखी अवलोकन मे आन्तरिक ज्ञान-प्रज्ञा के चक्षु उद्घाटित करने होंगे जो सम्यक् विशेषता से समन्वित हो ।

ऐसे सम्यक् अवलोकन को ही समीक्षण ध्यान की सज्ञा दी गई है । इस प्रज्ञा-रूप चक्षु से शरीर मे रहे हुए समग्र तत्त्वो का समभावपूर्वक अवलोकन करना चाहिये । इस शरीर पिण्ड के भीतर जिन महत्त्वपूर्ण तत्त्वो का सन्धियुक्त जाल विच्छा हुआ है, उसके छिद्रो मे अपनी आन्तरिक प्रज्ञा का अवरोध न करते हुए उन छिद्रो मे रहे विवरो से प्रतरो एव प्रतरो की सधियो का सम्यक् अवलोकन करना चाहिये । इस अवलोकन मे साधक को अत्यन्त वैर्य के साथ गतिशील रहना चाहिये । तभी समीक्षण की शक्ति तीक्ष्ण होती हुई आगे आत्मप्रदेशो से सम्बद्ध कर्म-स्कषो तक पहुँचाई जा सकती है । तब उसे और अधिक तीक्ष्ण बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कर्म-स्कष सिर्फ क्रोधादि कषायो मे ही सम्बन्धित नही हैं । वे तो अन्य कर्मो से भी सम्बन्धित रहते हैं । ये कर्म-स्कष भी एक दो नही, पर च अनन्तानन्त हैं जो असंख्य-असंख्य अर्धवसायो के रगो से अनुरजित होते हैं । उनमे वे बहुलता से कषायो से अनुरजित रहते हैं । उन कर्म-स्कषो में से सिर्फ क्रोध-कषाय के स्कषो को तथा उनके तारतम्य को समीक्षण का विषय बनावें ।

समीक्षण दृष्टि से “कोहदंसी” बनें

समीक्षण-दृष्टि से जब क्रोध के कर्म-स्कषो का अवलोकन किया जाता है

तो उनका अवलोकन करने वाला एव समग्र तारतम्य से युक्त उन स्कंधो को सम्पूर्ण आत्म-प्रदेशो से विलग करने वाला “वता” सज्ञा से अभिहित होता है। यह तो विलग करने वाले “वता” की स्थूल प्रक्रिया है, किन्तु यह स्थूल प्रक्रिया भी साधक के द्वारा कब सम्पन्न हो सकती है? इसका सकेत प्रभु महावीर ने मारगभित विधि से दिया है।

समीक्षण के लिये साधक की अवधानता तभी बन सकती है, जब वह सतत प्रयत्नपूर्वक चरम लक्ष्य की उपलब्धि के लिये जागृत रहे। इस जागृति में यदि कोई अवरोधक तत्त्व हैं तो उनको नमा कर उन्हें स्वयं के नियन्त्रण में करना एव स्वयं की जागृति के माध्यम से स्वयं नियता बनना अत्यन्त आवश्यक है।

क्रोधादि कापायिक भाव ऐसे अवरोधक तत्त्व हैं जिन्हे एक शास्त्रीय-शब्द द्वारा कहा जाय तो वह होगा “प्रमाद”। प्रमाद, जागृत दशा की सुषुप्ति है। द्रव्यतः जागते हुए भी भावतः सुषुप्त रहना अर्थात् अनवहित रहना प्रमाद है। अनवहित अवस्था का लाभ उठाकर ही अन्य सभी अवरोध रूपी तस्कर क्रियाशील हो जाते हैं—उभरते हैं। अतः जब तक साधक प्रमत्त है, वह उपर्युक्त विधि से समीक्षण सम्बन्धी अवधानता को निरन्तर साध नहीं सकेगा, क्योंकि साधक की एकाग्रता प्रमत्ता से छिन्न-भिन्न हो जाती है। ऐसी दशा में वह “कोह दंसी” भी नहीं बन सकेगा।

यदि साधक पहले से भी अधिक क्षमता प्राप्त करके आन्तरिक शुद्धि की प्रवृत्ति के साथ प्रमाद को पराजित कर देता है तो वह विजेता होकर “कोह दंसी” और उससे आगे का भी दृष्टा बन जाता है। प्रमत्ता की पराजय से, उससे उत्पन्न होने वाली कापायिक एवं अन्य विकृत वृत्तियाँ स्वमेव पराजित हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में यो कहे कि इन सभी वृत्तियों को स्व-नियन्त्रण में लेकर उनको पराजित करना ही प्रमत्त भाव को पराजित करना है।

तब साधक “कोह दंसी” बनकर क्रोध के कर्म स्कंधो को देखने लगता है। वह उन कर्म-स्कंधो के तारतम्य को विश्लेषित भी करने लगता है। इस विश्लेषण से यह ज्ञात हो जाता है कि कौनसा कर्म-स्कंध कितनी रक्ष-शक्ति को रखने वाला है तथा रस एव स्थिति-काल मर्यादा सम्बन्धी उसकी कितनी प्रगाढता या अल्पता है? इस ज्ञान के साथ कर्म-स्कंधो की मूल सत्ता प्रकम्पित होती है, क्योंकि तब “कोह दंसी” उन स्कंधो का क्षय करने के लिये तत्पर बन जाता है।

किन्तु साधक के लिये निर्देश दिया गया है कि वह आगमो में उल्लिखित विधेयात्मक आज्ञाओं के आधार पर ही आगे बढ़े। क्योंकि उन आज्ञाओं में अनुभूत तथ्य और सर्वज्ञता का सत्य भरा हुआ है। अन्तर्जागृति के साथ जब वह साधक वीतराग देव की आज्ञाओं का अनुपालन करेगा तभी वह क्रोधादि कपायो

के कर्म-स्कंधों का भली-भाँति विश्लेषण कर सकेगा तथा उस विश्लेषण से उन्हें धीण करने का पुरुषार्थ मन्त्रिय बना सकेगा । सच्चे अर्थों में तभी वह "कोह दसी" (क्रोध दर्शी) आदि बन सकेगा ।

क्रोध की तरतमता

ममीक्षण दृष्टि के विस्तार के पश्चात् ही यह विदित हो सकता है कि परिणामों की आन्तरिकता में क्रोध की तरतमता किस रूप में चल रही है ? क्रोध के कर्म-स्कंध किस रीति से क्रियाशील है ? क्या वे अनन्तानुबन्धी वृत्ति से सम्बन्धित हैं, अथवा अप्रत्याख्यानादि वृत्तियों से ? वे तीव्र रस वाले हैं, अथवा मन्द रस वाले ? और उनमें भी वे निकामित हैं या अनिकामित ? उनका किस अवस्था में अवस्थान चल रहा है ? इस तथ्य का भी अवलोकन किया जाना चाहिये कि क्या वे कर्म-स्कंध सत्तागत हैं । यदि वे सत्तागत हुए तो उनका समीक्षण करने में कठिनाई अधिक आयागी और यदि वे उदयगत हैं तो कठिनाई अपेक्षाकृत कम होगी ।

क्रोध की सत्तागत एव उदयगत अवस्थाओं की चर्चा करें, उससे पहले उसकी तरतमता की विभिन्न श्रेणियों की जानकारी जरूरी है । आध्यात्मिक दृष्टि से क्रोध के तारतम्य को, साथ ही अन्य कपायों के भी तारतम्य को परखने के लिए निम्न श्रेणियाँ वर्णित की गई हैं—

अनन्तानुबन्धी श्रेणी

समभाव को सर्वथा भूलकर जब कोई गहरे आक्रोश से भर उठता है और रोष की उस जटिलता को सुदीर्घ काल तक पकड़े रहता है तब वह इस श्रेणी में फसा हुआ माना जाता है । इसे समझने के लिए शास्त्रों में एक स्थूल उदाहरण दिया गया है कि जैसे पर्वत शिला टूट जाने से उसमें पड़ जाने वाली दरार का पटना असंभव-सा होता है, उसी प्रकार अनन्तानुबन्धी क्रोध कब और कैसे समाप्त होगा—इसका अनुमान कठिन ही है । क्रोध की यह जटिलता एव तीक्ष्णता इतनी आत्मगुण-घातक मानी गई है कि इसके रहते सम्पद्दर्शन तक का वरण संभव नहीं होता है, जो साधना का मूलाधार है, मोक्ष महल का प्रथम सौपान है और जिसके अभाव में समस्त ज्ञान और अनुष्ठान नाघ्य (सिद्धि) की दृष्टि से निरर्थक है ।

अप्रत्याख्यानावरण श्रेणी

यह श्रेणी प्रथम श्रेणी से कम जटिल एव कम तीक्ष्ण होती है, किन्तु इस श्रेणी में फसी हुई आत्मा आवकत्व-आशिक समय की साधना से वंचित रहती है । इस श्रेणी के स्वभाव को परखने के लिये सूखी मिट्टी की दरार का दृष्टान्त दिया गया है । जैसे—तानाब का पानी जब पूरी तरह से सूख जाता है तो उसकी सूखी हुई मिट्टी में जगह-जगह दरारें पड़ जाती हैं । लेकिन वे दरारें

सुदीर्घकाल तक नहीं टिकती हैं। ज्योही पुनः वर्षा आती है और तालाब में पानी भरता है तो उसके सयोग से वे दरारें फिर भर जाती हैं। इस प्रकार इस श्रेणी के क्रोध की तीव्रता अनन्तानुबन्धी क्रोध से कम होती है।

प्रत्याख्यानावरण श्रेणी

इस श्रेणी के क्रोध को तीव्रता अप्रत्याख्यानावरण क्रोध से भी कम होती है, किन्तु अगली श्रेणी सज्वलन क्रोध से तीव्र होती है। इस श्रेणी के क्रोध की उपमा रेत में खीची गई लकीर से दी गई है। जैसे—हाथ की अगुली से रेत में खीची गई लकीर, ज्योही हवा का झोंका चलता है, मिट जाती है, उसी प्रकार यह क्रोध कुछ समय तक ही टिकता है। इससे सकल सयम-साधुत्व गुण का घात होता है।

संज्वलन श्रेणी

यह क्रोध की मन्दतम श्रेणी है। यह साधक को कषाय के सर्वथा त्याग की ओर आगे बढ़ाने वाली श्रेणी है। यह श्रेणी पानी में खीची हुई लकीर के तुल्य वर्णित की गई है। अगुली से पानी में लकीर खींची जाय तो यही होगा कि इधर लकीर खींची और उधर मिट गई। इसी प्रकार इस श्रेणी का क्रोध इधर आया और उधर गया—इतना अल्पजीवी होता है। सज्वलन क्रोध की अवस्था में यथाख्यात चारित्र्य का घात होता है। इस श्रेणी से ऊपर उठने पर क्रोध कषाय की सम्पूर्णतया परि-समाप्ति हो जाती है।

इस प्रकार क्रोध के भाव-परिणामो एव कर्म-स्कन्धो के सम्यक् प्रकार से किये गये अवलोकन से उसकी तरतमता का विश्लेषण किया जा सकता है और तदनुसार किस प्रकार के पुरुषार्थ की उस वर्तमान श्रेणी से ऊपर की श्रेणी में पहुँचने के लिये आवश्यकता होगी, इसका सही-सही अनुमान लगाया जा सकता है।

क्रोध की अभिव्यक्ति

आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस अवस्था में रहने वाले क्रोध-कर्म-स्कन्धो की अभिव्यक्ति के चित्र तक ले लिये हैं। इस अवस्था तक पहुँच कर वे क्रोध-कर्म-स्कन्ध निर्जरित तो होने लगते हैं, किन्तु वे नये कर्म स्कन्धो के निर्माण की सामग्री भी छोड़ जाते हैं, जिससे आत्मा और अधिक नवीन क्रोध-कर्म-स्कन्धो का सचय कर लेती है। यह प्रवाह अनादि काल से चल रहा है।

सत्तागत क्रोध-स्कन्धो का प्रारम्भिक अवस्था में अवलोकन होना भी अत्यन्त कठिन होता है, किन्तु अशक्यता जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, उदयगत स्कन्धो का अवलोकन अपेक्षाकृत सरलतापूर्वक हो सकता है। इसके लिये

आवश्यकता होती है, समीक्षण दृष्टि की । जिस दृष्टि के द्वारा सत्तागत और उदयगत शोध के कर्म-स्कन्धों का सम्यक् अवलोकन करने की ऊर्जा प्राप्त कर ली जाय ।

कर्म-स्कन्ध दो रूपों में उदय को प्राप्त होते हैं—एक स्वाभाविक रूप से सम्बन्धित कर्म का अवाधा काल समाप्त होने पर होने वाला कर्मोदय और दूसरा उदीरणा विशेष द्वारा अनुदय प्राप्त सम्बन्धित कर्म-स्कन्धों को उदय प्राप्त बनाने पर होने वाला उदय । इन दोनों प्रक्रियाओं में बाह्य निमित्त भी उभर कर सामने आते हैं । यद्यपि स्वाभाविक रूप में होने वाले उदय में भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावादि की अपेक्षा रहती है, तथापि उदीरणा में बाह्य निमित्त प्रधान होता है ।

यहाँ इतनी विशेषता ध्यान में रखनी चाहिये कि बाह्य निमित्तों की अपेक्षा विपाकोदय एवं उदीरणा के लिये ही है । जब किसी कर्म-स्कन्ध का स्थिति काल पूर्ण होता है तो वह बाह्य निमित्तों के अभाव में भी अनायास उदय में आकर निर्जीण-क्षीण हो जाता है । कभी-कभी निमित्त भले ही कमजोर हो, पर वे शोध-स्कन्धों को तो अवश्य उत्तेजित कर देते हैं ।

शोध का उदय होने पर, शोध का प्रकटीकरण होना एवं उसके निमित्त के यत्किञ्चित् दोष को बड़े रूप में प्रकट करने का अथवा निमित्त का दोष न होने पर भी उसमें दोष के आरोप का प्रसंग पैदा करना विचारणीय बन जाता है । उस समय समीक्षण पूर्वक निमित्त के व्यवहार का विश्लेषण करना अति आवश्यक बन जाता है तथा उसके प्रति होने वाले विषम भाव को समभाव में परिणत करने की तत्परता बनाना साधक के लिये महत्त्वपूर्ण होता है ।

विषम भाव को समभाव में किस प्रकार परिणत किया जा सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि साधक को पारमार्थिक चिन्तन करना चाहिये कि जो भी कर्म-स्कन्ध उदय में आये हैं और उनका जो भी इष्ट या अनिष्ट विपाक हो रहा है, उसका फल तो मैं स्वयं ही हूँ ।

स्वयं कृत कर्म यदात्मना पुरा,
फल तदीयं लभते शुभाशुभम् ।
परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुट,
स्वयं कृत कर्म निरर्थकं तदा ॥

—आचार्य अमितगति

अर्थात् अतीत में इस आत्मा ने जो भी, जैसे भी, शुभ या अशुभ कर्मों का उपार्जन किया है, उन्हीं का शुभाशुभ फल वह पाना है । दूसरों द्वारा दिया फल भोगना पड़े तो अपने किये कर्म निरर्थक निष्कान ही ही जाएँ ।

आगम कहता है—

अप्पा कत्ता विकत्ता य, सुहाण य दुहाण य ।

अर्थात् अपने सुख-दुःख का कर्ता-हर्ता स्वयं आत्मा ही है ।

इस प्रकार के पारमार्थिक चिन्तन से अवगत होना कि जो भी परिस्थिति मेरे समक्ष उपस्थित है, उसका उपादान कारण मैं स्वयं हूँ । इस अवगति से परिनिमित्त कारण के प्रति होने वाला राग-द्वेष उत्पन्न नहीं होगा और राग-द्वेष जन्य विषम भाव भी उत्पन्न न हो सकेगा ।

निरन्तर इस प्रकार का समीक्षण करने से विषम भाव उत्पन्न ही नहीं होगा और एक समय ऐसी मानसिक स्थिति बन जाएगी कि विषम भाव को समभाव में परिणत करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । साधक का समभाव प्रत्येक परिस्थिति में अखण्ड ही बना रहेगा ।

साथ ही कर्म-स्कंधों का जैसा स्वरूप हो, उसी स्वरूप में उनका अवलोकन करना चाहिये तथा उससे होने वाली लाभ-हानि का चिन्तन समता भाव से करना चाहिए । इस आन्तरिक एवं सूक्ष्म अवलोकन में बाह्य रूपक का आश्रय भी लिया जा सकता है । जैसे काला नाग घर में घुस जाय तो हर कोई उसे बाहर निकाल देने में ही अपना हित समझता है । वह उसे छेड़ने का प्रसंग नहीं लाता हुआ यदि नाग स्वतः ही बाहर निकल जाए तो बहुत प्रसन्न होता है । घर में नाग के रहने पर परिवार के सभी सदस्यों को खतरा बना रहता है, क्योंकि नाग न जाने किस समय किस को डस ले—अपना जहर उन पर छोड़ दे ? वह घर में रहा और कभी किसी के द्वारा छेड़ दिया गया तो खतरा भयावह हो सकता है । जिस व्यक्ति को वह डस लेता है, उसके जहर का उस व्यक्ति के शरीरस्थ ग्रन्थि तंत्र के सभी केन्द्रों पर असर पड़ता है । शरीर के भीतर में विषवर्षी ग्रन्थि-तंत्र भी होते हैं, तो अमृत वर्षी ग्रन्थि-तंत्र भी होते हैं । बाहर के मारक विष का प्रभाव होने पर अमृत वर्षी ग्रन्थि-तंत्र निष्क्रिय होने लगते हैं तथा विषवर्षी ग्रन्थि-तंत्र सक्रिय, जिसके कारण बाहर के जहर तथा भीतर के जहर के संयुक्त हो जाने से एक नई विष शक्ति का स्रोत फूट पड़ता है ।

जैसे इस रूपक में परिवार के सदस्यों की दशा बनती है, वैसे ही ये क्रोध-स्कंध इस शरीर रूपी घर में रहने वाले केन्द्रों एवं ग्रन्थि तंत्रों रूप सदस्यों के लिये काले नाग का काम करते हैं । जब ऐसे कर्म-स्कंध उदित होते अर्थात् अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, तब नेत्रों के लाल हो जाने के साथ सर्प की जिह्वा की तरह रक्तमय विष-तरंगें मनुष्य के ज्ञान तंत्र पर छा जाने लगती हैं ।

क्रोध का वैज्ञानिक स्वरूप

शरीर में एक कठमणि भी होती है, जिसे योगिक भाषा में विशुद्धि चक्र कहा जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक जिस ग्रन्थ को "थाइराइड" कहते हैं। जिससे एक प्रकार के अमीय रस का स्राव होता है। वैज्ञानिक जिसे थायरोक्सिन रस कहते हैं। यह रस प्रणाली विहीन पद्धति से सीधा रक्त में सम्मिश्रित होता है, जिसके फलस्वरूप शरीर के समस्त केन्द्रों तथा ग्रन्थि-तंत्रों को सम्पुष्टि प्राप्त होती है। इस रस का अनुसंधान इमी शताब्दी में किया गया है। इस रस के सिवाय इस प्रकार के अन्य रस भी भीतर में संचित होते रहते हैं, जिनका शरीर-संस्थान के संचालन में विविध रूपों में उपयोग होता है।

क्रोध से होने वाली हानियों को स्पष्ट करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने भी कहा है—

भय और क्रोध की अवस्था में जिस तरह मुह से लार पैदा करने वाली गिन्टिया ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, जिससे ऐसी अवस्था में मुंह सूखा जाता है, उसी तरह यह गिल्टी भी ठीक से काम नहीं करती। अतएव जितने परिमाण में वह गिल्टी साधारणतः थायरोक्सिन नामक रस का उत्पादन करती है, उतने परिमाण में वह भय और क्रोध की अवस्था में उस रस को उत्पादित नहीं करती। रक्त में इस रस की कमी होने पर शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियाँ पैदा होती हैं। थायरोक्सिन एक प्रकार का अमृत रस है। यह अमृत हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है तथा रोगों का विनाश करता है। इसकी कमी होने पर शरीर की विनाशात्मक क्रियाओं की वृद्धि हो जाती है तथा मनुष्य का मृत्युकाल निकट आ जाता है। सिर दर्द, हृदय की धड़कन, अपच आदि रोग बढ़ जाते हैं। शरीर की स्फूर्ति और तेज चले जाते हैं। इस तरह जिम व्यक्ति को जितना ही अधिक भय और क्रोध सताते हैं, उनका शारीरिक स्वास्थ्य उतना ही नष्ट हो जाता है।

इन अमीय रसों के अतिरिक्त विषवर्षों गंधियाँ भी भीतर में मौजूद हैं, जिनका रस भी शरीर में यथास्थान आवश्यक कार्यों के लिये प्रयुक्त होता है किन्तु बहुत ही नियंत्रित एवं सीमित रूप में। इन ग्रन्थि-तंत्रों का ज्ञान भले ही भौतिक वैज्ञानिकों को इसी शताब्दी में हुआ हो, परन्तु सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी तीर्थकार देवों के केशव्यालोक में इतना ही नहीं, अपितु नमूचा विज्ञान भासित था। इनीलिये उन्होंने इस विषय में बहुत ही महत्त्वपूर्ण संकेत दिये हैं, जिनका ज्ञान समीक्षण ध्यान के अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है।

आधुनिक वैज्ञानिकों का क्रोध के स्वरूप के सम्बन्ध में एक और मत भी है। वे क्रोध के प्रवर्धकत्व के बाद उनसे उमी के होने वाले मध्य को महत्त्व

देते हैं। उनकी अभी तक की धारणा यह है कि जो क्रोध एक बार उत्पन्न हुआ और वह यदि पूरी तरह से अभिव्यक्त हो जाय तो क्रोध सदा के लिये समाप्त हो जाएगा। उसकी अभिव्यक्ति को न होने देने या उसे दबाने से उसका प्रवाह कायम रहता है। किन्तु उनकी यह धारणा आशिक है। वे इस दिशा में गतिशील रहें तो उन्हें अपनी आशिकता का अनुभव भी हो जायगा। इस अनुभव से ही वे अपने अनुसंधान में आगे बढ़ सकेंगे। वे यदि इस अनुसंधान में वीतराग वाणी का आश्रय लें तो अभीष्ट लक्ष्य तक शीघ्र पहुँच सकेंगे। उस समय उनको सही रूप से ज्ञात होगा कि अवयवों में अभिव्यक्त क्रोध का सक्षय क्या सर्वथा एव सर्वदा के लिये सक्षय को प्राप्त हो गया? नहीं, अवयवों में अभिव्यक्त क्रोध अधिक नूतन क्रोध सम्बन्धी कर्म-स्कंधों को निर्मित करने वाला बनेगा। अतः आवश्यक यह है कि उदयगत क्रोध-ऊर्जा का न निरोध किया जाय और न ही उसे पूरी तरह अभिव्यक्त ही किया जाय। बल्कि इस क्रोध-ऊर्जा को क्षमा के पुट से रूपान्तरित कर देना क्रोध का विधिवत् संक्षय कहलायेगा।

वैसे वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया है कि विचारों तथा भाव-परिणामों की भी तरंगें तथा रूप व रंग होता है। क्रोध का रूप भयावह तथा रंग गहरा लाल माना गया है। इसकी तरंगें मन को उद्वेलित करने वाली होती हैं। क्रोध की स्थिति में मनुष्य किसी भी प्रकार पूर्णतया शान्त नहीं रह सकता है। क्रोध की अवस्था ऐसी होती है कि मनुष्य के अन्तःकरण में उवाल उठता है जो उसके मन और तन को उत्तेजित तथा विकृत बना देता है। इस कारण इस अवस्था में जो भी कार्य किया जाता है उसका रूप भी दूषित हो जाता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार क्रोध की ऐसी परिणति भी मानी गई है कि यदि क्रोध की अवस्था में माता अपने बालक को स्तन पान कराती है तो वह बालक रुग्ण हो जाता है। क्रोध की अवस्था में किया गया भोजन भी विष बन जाता है।

क्रोध : स्वरूप-समीक्षण

क्रोध की अवस्था अत्यन्त उग्रता और प्रचण्डता से आक्रान्त होती है और इसका आक्रमण कारण एव परिणामों के अनुसार कभी धीरे-धीरे और कभी अचानक होता है। एक बार इसका प्रभाव गहरा हो जाता है तो बिरले ही इसके प्रभाव से अपने को बचा पाते हैं। काले नाग से जिसकी उपमा दी गई है, वैसे क्रोध के स्कंध लाल-लाल चिनगारियों के साथ विष-वर्षा करते हैं, एव ज्ञानादि-केन्द्रों को प्रभावित करते हुए कंठमणि के रस को अवरुद्ध कर देते हैं। परिणामस्वरूप शरीर में विष ग्रंथियों का नियंत्रण समाप्त हो जाता है और उनका रस भी शरीर में व्याप्त होने लगता है। परिणामस्वरूप पहले प्रत्यक्ष दृष्टि में आने वाली शारीरिक क्षतियाँ शुरू होती हैं क्योंकि शरीर की अभिवृद्धि

एव उसका सपोपण तथा सरक्षण करने वाली अमृत रक्त वर्षी ग्रथियाँ अपने कार्य सुचारु रूप से करना वद कर देती हैं । विषवर्षी ग्रथियों के सक्रिय हो जाने से शरीर का सम्पोपक रक्त कुछ मात्रा में तो जल जाता है तथा जो अवशिष्ट रहता है उसमें विष का प्रभाव पैदा हो जाता है । ऐसी स्थिति में भयकर शारीरिक एव मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं ।

क्रोध का स्वरूप—समीक्षण करते हुए प्रत्येक साधक को गम्भीर चिन्तन करना चाहिये कि क्रोध क्यों उत्पन्न होता है ? क्रोध की अवस्था में क्या क्षतियाँ होती हैं तथा क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है ? समीक्षण विधि से क्रोध का विश्लेषण प्रत्येक साधक को करते रहना चाहिये ताकि क्रोध के शमन एव सक्षय के सफल उपाय अपनाए जा सकें । जब तक क्रोध के स्वरूप एव उसके प्रभाव से होने वाली हानियों को अवलोकन करने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा तब तक साधक के लिये क्रोध रूप महा बाडाल को परास्त करना शक्य नहीं बन सकेगा ।

क्रोध-आन्तरिक सद्वृत्तियों के लिये अतीव घातक होता है, एक भयानक शस्त्र के समान । अनादि कालीन कर्म-सम्पर्क के कारण आत्मा की प्रायः सभी वृत्तियाँ विकार ग्रस्त बनी हुई रहती हैं । वृत्तियों का जिनकी वजह से वैकारिक रूप ढलता है, वे होते हैं काम-भोगी की विचारणा के केन्द्र । इन केन्द्रों व उप-केन्द्रों का पूरे शरीर में जाल सा विछा हुआ रहता है । शरीर के प्रत्येक अवयव में काम तृप्ति की न्यूनानधिक रूप में चेष्टा होती रहती है । जब किसी बाह्य तत्त्व को काम-दृष्टि में देखने का प्रसंग आता है तब लोभ के रूप में रागवृत्ति का प्रादुर्भाव होता है । कामानुरजित लोभ की पूर्ति के लिये उस बाह्य तत्त्व को प्राप्त करने हेतु प्रत्येक सुलभ प्रयत्न किया जाता है । जब उन प्रयत्नों में असफलता का भान होने लगता है, तब वह वृत्ति टेढ़ा भेढ़ा रूप बनाती है और द्वेष के विकारों से ग्रस्त बन जाती है । उन प्रयत्नों से यदि सफलता मिल जाती है तो उस समय मान का विकारी भाव जागता है ।

अथ अहंकार ग्रस्त वृत्तियों पर किसी भी श्रेय से आघात होता है तो उस आघात पर प्रत्याघात करने के लिये क्रोध रूपी शस्त्र उभर कर आता है । यह शस्त्र पहले भीतर में प्रकट होता है, फिर वह शरीर व्यापी बनकर बाह्य शस्त्रों को अपनाता है । कहा गया है—

क्रोधः प्राणहर. शत्रुः, क्रोधोऽमितमुखो रिपुः ।

क्रोधः असि समुहातीक्ष्ण, तस्मात् क्रोधं विवर्जयेत् ॥

क्रोध को प्राण हरण करने वाला अनेक मुखी शत्रु बताते हुए यही कहा गया है कि वह तेज धार वाली तलवार के समान है ।

सहारक शस्त्र के रूप में क्रोध

विश्व में विविध प्रकार के सहारक शस्त्रास्त्रों का अतीत में जो निर्माण होता रहा है और वर्तमान में हो रहा है उसके पीछे मूल में क्रोध रूपी शस्त्र ही रहा हुआ है। यह शस्त्र उन समग्र आन्तरिक काम-वासनाओं से प्रभावित वृत्तियों का संरक्षण करने वाला होता है जो विभिन्न प्रकार की इच्छाओं से जागृत होती रहती हैं। ये बाहर की आयुधशालाएँ स्वतः प्रेरित उत्तनी नहीं होती, जितनी कि बाहर से समझ में आती है। इनकी जड़ें क्रोध के स्कंधों में होती हैं और वह क्रोध जिन रूपों में फूटता है और वह जैसा माघातिक रूप लेता है, उसके अनुसार ही ये आयुधशालाएँ सहार की मारक प्रवृत्तियों में नियोजित की जाती हैं।

सहारक शस्त्र के रूप में क्रोध जिस प्रकार भीतर और बाहर विनाश का ताड़व रचता है, उससे सर्वप्रथम आत्मा की शुद्ध वृत्तियों का ही नाश होता है। क्रोध उनको प्रतिशोध के विकार से रग कर कलुषित बना देता है। शुद्ध वृत्तियों के नाश से अभिप्राय उनके विकृत एवं दूषित हो जाने से है। जैसे वेडियों से जकड़कर किसी को कारागार में डाल देने से उमकी जिस रूप में बाह्य दशा देखी जा सकती है, वैसी ही आन्तरिक दशा का अनुमान क्रोध की अवस्था में किया जा सकता है। उस समय क्रोध के सहारक शस्त्र के आघातों से परमात्मा के तुल्य आत्मा का अवमूल्यन हो जाता है। आन्तरिक शक्तियों का जिस रूप में हनन क्रोध के शस्त्र से होता है, वह हनन आत्मा के सार परिभ्रमण को अधिक जटिल तथा अधिक दुःखदायक बना देता है। यह निकाचित बध का एक बध की दीर्घकालीन स्थिति का भी कारण बनता है।

सहारक शस्त्रों के रूप में आज विषमय रासायनिक शस्त्रों को मानवता विरुद्ध अत्यन्त जघन्य अपराध माना जाता है। लेकिन क्रोध के दुष्परिणाम उन शस्त्रों से कम भीषण नहीं हैं। क्रोध का विष मस्तिष्क के ज्ञान-तन्तुओं को शून्य बना देता है और अपनी तीव्रता के अनुसार उनको अधिकाधिक निष्क्रिय कर देता है। इस क्रोध को कई मेगाटन शक्ति वाला बम भी कह सकते हैं जो जहाँ गिरता है, वहाँ की आत्म-गुणों की उपजाऊ भूमि को नष्ट-भ्रष्ट कर डालता है। क्रोध के इस कुप्रभाव की विष-तरंगें इस प्रकार फैल जाती हैं कि जो क्रोधी के तन-मन को दीर्घकाल तक स्वस्थ नहीं होने देती।

क्रोध एक प्रकार के ऐसे कर्म स्कंधों का समूह होता है, जो उदय में आने पर शरीर के अणु-अणु में फैल जाते हैं और नवीन कर्मों का सचय करने लग जाते हैं। उस समय क्रोध की प्रबल शक्ति अग्नि ज्वाला की भाँति उष्ण तरंगें प्रवाहित करती है तथा शरीर की आकृति पर उसकी छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। उन समय तो क्रोध के उस सहारक स्वरूप को स्थूल दृष्टि से भी देखा और

महसूस किया जा सकता है। क्रोध के इस बाह्य अभिव्यक्त स्वरूप के फोटोग्राफ भी लिये जा सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। बाहर से क्रोध का जो यह उग्र स्वरूप दिखाई देता है, उसे उपचार से द्रव्य-क्रोध की संज्ञा दी जा सकती है। वस्तुतः क्रोध-कर्म के स्कंध पौद्गलिक होने से द्रव्य क्रोध कहे गये हैं और उनके निमित्त से उत्पन्न होने वाला आत्मिक अध्यवसाय भाव क्रोध है। बाहर से नेत्रों की रक्तता, भृकुटि चढना, होंठों का फडकना आदि जो उग्र या प्रचण्ड रूप दृष्टि-गोचर होता है, वह दोनो प्रकार के क्रोध का ही कार्य है। अतएव उसे भी द्रव्य क्रोध कहा जा सकता है। इन दोनो प्रकार के क्रोधों का बीजाकुर की तरह अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। ये परस्पर एक-दूसरे को उत्तेजित बनाते हुए विनाश-लीला की रचना करते हैं तथा सहायक स्वरूप को दिखाते हैं।

क्रोधोत्पत्ति के कारण

शास्त्रकारों ने क्रोध की उत्पत्ति के चार मुख्य कारण बताये हैं।

- १—क्षेत्र—खेत, जंगल चरागाह आदि खुली भूमि सम्पत्ति,
- २—वास्तु—अर्थात् मकान, दुकान आदि आच्छादित भूमि,
- ३—शरीर—अर्थात् अपनी काया एव
- ४—उपाधि—उक्त तीन के अतिरिक्त जेप सारी साधन सामग्री।

आशय यह है कि जड़ पदार्थों के सम्बन्ध में जो-जो कामनाएँ उपजती हैं और उन कामनाओं के अनुसार जब व्यक्ति उन पदार्थों को प्राप्त करने की चेष्टा में लगता है, तब उन चेष्टाओं में आने वाले आघातों के कारण पहले भीतर में क्रोध की उत्पत्ति होती है और बाद में बाहर उसके विविध रूप फूटते हैं। अतः मूल रूप में यह कहा जा सकता है कि काम और कामनाओं की प्राप्ति के बीच में आने वाली बाधाओं के कारण क्रोध अधिकांशतः उत्पन्न होता है। गीता के दूसरे अध्याय में इसी के अनुसार कहा गया है—“कामात्क्रोधोऽभिजायते।” तथ्य यह है कि किसी प्रकार की सामाजिक कामना ही क्रोध को आमंत्रण देना है। ससारी आत्मा तो न जाने कितने प्रकार की कामनाओं में ग्रस्त रहती है। ऐसी दशा में क्रोध से दूर रहना बहुत ही कठिन कार्य होता है।

कामजयी ही क्रोधजयी हो सकता है। जो क्रोध की समीक्षण दृष्टि से देख लेता है और उससे दूर हटने का यत्न करता है वह तज्जनित इच्छाओं का भी धीरे-धीरे अन्त करने वाला बन जाता है। “इच्छा ह्य-आगास्तप्तमा-अणतिया” के अनुसार आकाश के सदृश इच्छाएँ अनन्त हैं। इच्छाओं के शमन का पुरुषार्थ क्रोध का शमन करने के पुरुषार्थ से जुड़ जाता है।

प्रकारान्तर से क्रोध की उत्पत्ति जिन बाह्य कारणों से उत्तेजना पाती है, उन्हें इस प्रकार गिनाया है—

१—**दुर्वचन**—कटु वचन को तलवार की धार की उपमा दी जाती है। तलवार का घाव तो कालान्तर में शीघ्र भर जाता है लेकिन दुर्वचन का घाव दस वर्षकाल तक हरा रहता है। इस दृष्टि से जब एक व्यक्ति किसी प्रकार के दुर्वचन दूसरे के प्रति उच्चारित करता है तो सुनने वाला साधारणतया क्रोध से तिलमिला उठता है।

२—**स्वार्थपूर्ति में बाधा** . मन में किसी उपलब्धि की कामना करके जब व्यक्ति उसकी पूर्ति हेतु बाह्य प्रयत्न प्रारम्भ करता है और अपने उस स्वार्थ को सफल बनाना चाहता है, तब उस के बीच जो भी बाधा उपस्थित करता है, उसके प्रति उग्र क्रोध भडक उठता है, क्योंकि वह बाधा उसकी कामना पर आघात करती है।

३—**अनुचित व्यवहार**—जब कोई व्यक्ति अपने प्रति व्यवहार किये जाने की अमुक धारणा बना लेता है और सामने वाला जब उसके साथ उस धारणा की तुलना में निम्न कोटि का व्यवहार करता है तो उससे वह व्यक्ति क्रुद्ध हो जाता है। धारणा के सिवाय व्यवहार के सामाजिक मानदण्ड भी होते हैं और उनकी अपेक्षा से भी व्यवहार की अनुचितता का निर्णय लिया जा सकता है।

४—**भ्रम**—कई बार सामने वाले का अनुचित व्यवहार करने का कोई इरादा नहीं होता और इसी प्रकार कई कार्यों में अहितकारी आशय नहीं होता फिर भी व्यक्ति वैसा होने का भ्रम कर बैठता है। उस भ्रम से भ्रमित होकर भी क्रोधावेश के चक्कर में फंस जाता है।

५—**विचारभेद या रुचिभेद**—प्रायः देखा जाता है कि कई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अपने विचारों से भिन्न विचार अथवा अपनी रुचियों से भिन्न रुचियाँ सहन नहीं कर पाते हैं और उनकी सहनशीलता का वह अभाव क्रोध का कारण बन जाता है।

वास्तव में क्रोधोत्पत्ति के समस्त कारणों को गिन पाना या गिनाना सम्भव नहीं है, क्योंकि वे कारण विभिन्न व्यक्तियों, उनके सामने आने वाली विभिन्न परिस्थितियों, उनके कारण उत्पन्न आन्तरिक परिणामों तथा उनमें फूटने वाले बाह्य व्यवहार से सम्बन्धित होते हैं। एक व्यक्ति के सम्बन्ध में ही इस रूप में क्रोध के असह्य कारण हो सकते हैं तो सबसे सम्बन्धित कारणों की सख्या की सीमा कैसे बांधी जा सकती है? इसलिये कामना पर आघात को क्रोध की उत्पत्ति का मूल कारण मानना चाहिये।

क्रोध के प्रस्फुटित होने के प्रकार

क्रोध के प्रस्फुटित होने के प्रकार भी उपर्युक्त दृष्टि से सत्यातीत होते हैं, किन्तु उनका एक वर्गीकरण शास्त्रो में इस प्रकार किया गया है —

१. आत्म प्रतिष्ठित

अपने ही दोष से सकट उत्पन्न होने पर अपने ही ऊपर क्रोध उत्पन्न होना (किसी भी उत्तेजक विचारणा के आघार पर क्रोध का प्रस्फुटन अपने भीतर से ही हो अर्थात् क्रोध भीतर ही प्रतिष्ठित हो और कारण पाते ही प्रस्फुटित हो जाय ।)

एक विद्यार्थी अपना परीक्षा फल श्रवण कर अत्यन्त व्यथित-व्याकुल बन गया । परीक्षा फल उसको उद्वेलित बना रहा था । क्रोध का वेग तीव्रता धारण कर रहा था कि इतना कठोर परिश्रम करने के उपरान्त भी वह कैसे अनुत्तीर्ण हुआ । इस दशा पर विचार करते-करते उसका क्रोधानल अधिकाधिक भड़क रहा था । हीन विचारों का शिकार बनता हुआ वह अपने जीवन को भार स्वरूप महसूस करने लगा । वह विचार करने लगा कि मैं अपना मुँह पारिवारिक जनो एव मित्रों को कैसे बताऊँ । मैं मुँह बताने लायक नहीं रहा । अनुत्तीर्णता की व्यथा उसके मन-मस्तिष्क को भकभोर रही थी । आखिर वह क्रोध जनित सज्ञाहीनता में इस निर्णय पर पहुँचा कि ऐसा जीवन जीने की अपेक्षा मरना ही श्रेष्ठ है । इस भावना के साथ वह वहाँ से आगे बढ़ा—अपने निश्चय को पूर्ण करने । महारौली की कुनुवमीनार पर चढ़ा और जीवन से हतोत्साह-निराश बना नीचे कूद पड़ा अपनी जीवनलीला को समाप्त करने । जीवन को समाप्त करने की यह दशा घोर अज्ञानतापूर्ण ही कही जाएगी । ऐसी अज्ञानता से भव-भ्रमण की शृंखला बढ़ने के साथ ही दुःख-द्वन्द्व की अवस्था अधिक प्रगाढ़ बनती है । यह घटना दिल्ली चातुर्मास के समय की है । यह स्वात्म प्रतिष्ठित क्रोध की दशा है ।

२. पर प्रतिष्ठित

किसी अन्य व्यक्ति की उत्तेजना से क्रोध का प्रस्फुटन हो अर्थात् क्रोध अपने आप भीतर में नहीं किन्तु अन्य व्यक्ति के किसी विचार या व्यवहार में जागे, तो वह क्रोध का पर-प्रतिष्ठित प्रकार कहलाता है ।

एक साधक साधना के पथ पर गतिशील था । तपस्या में ही अपने जीवन को समर्पित करके चल रहा था किन्तु उसके अन्तर में क्रोध की ज्वाला घुमक रही थी । उसके श्रमण की ओर उसका लक्ष्य नहीं बन पा रहा था । तप के पारणों के दिन गुरु महाराज के समक्ष उत्तेजित होकर कहने लगा—“प्राज्ञ मेरे तेने यानी अष्टम भक्त का पारणा है । आज्ञा हो तो भिक्षायें जाऊँ ?”

शिष्य की बात श्रवण कर गुरु महाराज शान्त भाव से मधुर शब्दों में उसे कहते हैं—“शिष्य, पतला कर ।”

शिष्य गुरु महाराज का आशय न समझने के कारण विचार करने लगा कि गुरु महाराज मेरी शारीरिक स्थूल दशा को पतला करने का संकेत फरमा रहे हैं । ऐसा सोच पुनः तपाराधना में लग जाता है । इस तरह तपश्चरण करते-करते शरीर शुष्क बन गया, अन्त में वह सथारे का आग्रह करने लगा । किन्तु पुनः-पुनः गुरु महाराज का एक ही संकेत बार-बार सुनता रहा । इसे सुन-सुन करके उसका क्रोध भडक उठा, मस्तिष्क का संतुलन टूट गया और वह विवेक विकल बना उसी संज्ञा शून्य दशा में अपने ही हाथ से अपनी अंगुली मोड़ कर गुरु महाराज पर फेंकते हुए क्रोधावेश में, तीव्र रोष भरे स्वर में कहने लगा—“अब मैं क्या पतला करूँ । मेरा शरीर तो इतना पतला जीर्ण-शीर्ण शुष्क हो चुका है । मुझसे आप क्या चाहते हैं ?” आदि आदि ।

गुरु महाराज ने मुस्कराते हुए, शान्त भाव से मधुर स्वर में कहा—“तुमने इस देह को तो शुष्क कर लिया, किन्तु तुम्हारे अन्तरंग में कषाय का रस प्रगाढता लिये हुए है । उसे पतला करो ।” यह दशा परप्रतिष्ठित क्रोध की है ।

३ तदुभय प्रतिष्ठित

इस प्रकार पहले तथा दूसरे प्रकारों का मिश्रित रूप है । अपने और दूसरे के किसी विचार या व्यवहार के कारण जो क्रोध जागे, वह तदुभय प्रतिष्ठित कहलाता है ।

प्रणय के पाश में बंधा एक नव-विवाहित युवक ससुराल पहुँचा पत्नी को लेने । युवक का स्वभाव तेज-तर्रार था । उसका वहा आदर-सत्कार हुआ । जब उसने पत्नी को साथ भेजने के लिये कहा, तब उसके श्वसुर ने दिशाशूल, वार वगैरह अनुकूल न होने से इन्कार कर दिया । इन्कार करते ही उसके क्रोध का पारा आसमान को छूने लगा । कहने लगा—“मैं पुन नहीं आऊँगा, दूसरी शादी कर लूँगा ।” शान्ति से समझाने पर भी वह नहीं माना तब श्वसुर साहब के मुँह से निकल गया—“अभी नहीं भेजेंगे । आप पुन नहीं आयेंगे तो यही समझ लेंगे कि पुत्री विधवा हो गई ।” यह सुनते ही वह क्रोध में वेभान बन गया । बोला—“अब मैं आपकी पुत्री को विधवा बना कर ही रहूँगा । उपाय सोचते हुए वहा से निकला और क्रोधावेश में आत्मघात का निर्णय कर कुए में गिर पड़ा । निश्चय की सम्पूर्ति हेतु ऐसी स्व-पर दाहक क्रोध की अवस्था को तदुभय प्रतिष्ठित क्रोध की संज्ञा दी गयी है ।

४. अप्रतिष्ठित

जो क्रोध किसी अन्य व्यक्ति के अथवा अपने निमित्त से न उत्पन्न होकर

क्रोध कपाय के उदय मात्र से सहसा भड़क उठे, वह क्रोध का अप्रतिष्ठित प्रकार माना गया है। इस प्रकार बिना किसी निमित्त के ही प्रस्फुटित हो जाता है।

इन चारों प्रकार के क्रोधों में उपादान कारण आत्मा है, क्योंकि क्रोध-रूप परिणति आत्मा की एक अवस्था है। निमित्त कारण दो प्रकार के होते हैं। अन्तरंग और बहिरंग। क्रोधो का अन्तरंग निमित्त कारण क्रोध कपाय-चारित्र्य मोहनीय का उदय है। यह भी सब में समान नहीं होता है। हाँ, बहिरंग निमित्त कारण पृथक्-पृथक् हैं और इसी के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। प्रथम प्रकार के क्रोध में आत्मा, दूसरे में आत्मातिरिक्त कोई अन्य सजीव या निर्जीव पदार्थ, तीसरे प्रकार में दोनों और चतुर्थ प्रकार अतरंग निमित्त कारण से ही उत्पन्न हो जाता है।

कभी-कभी इन कारणों में सम्मिश्रण भी हो जाता है, तथापि प्रधानता-गौणता की विवक्षा करने से यह वर्गीकरण समीचीन ही है।

एक योगी महात्मा अपने शिष्य परिकर के साथ भ्रू-मण्डल पर विचरण कर रहे थे। वे शान्त प्रकृति एवं सौम्य आकृति के थे। जीवन में सयम की माधना और तप-आराधना सम्यक् रूपेण कर रहे थे। क्रोध को तनु-तनुतर करते हुए अन्तरात्मा का दिव्यानन्द ले रहे थे।

शिष्यों को भी समय-समय पर यथायोग्य सयमानुकूल शिक्षा देते रहते। शिक्षा को श्रवण कर प्रायः शिष्य हर्षोल्लान का अनुभव करते और आभार व्यक्त करते। पर वे समभाव के साथ राग-द्वेष को परे करते हुए चल रहे थे। एक शिष्य को वह शिक्षा त्रिशूल की भाँति खटकती, द्वेषोत्पादक बनती। वह सोचने लगता कि क्या हम से ही खलनाए होती है, गुरु महाराज से नहीं? वह प्रतिशोध लेने हेतु छिद्रो का अन्वेषण करता रहता। एक दिन उपयोगपूर्वक चलते हुए भी गुरु महाराज से कुछ असावधानी हो गई। शिष्य रास्ते में ही चिल्लाने लगा और गुरु महाराज को प्रायश्चित्त के लिए बाध्य करने लगा। गुरु वस्तुस्थिति समझ उपेक्षा पूर्वक शान्तभाव से आगे बढ़े, और उपाश्रय पहुँचे, मध्या का प्रतिश्रमण किया। आलोचनादि श्रवण कर रहे थे। तभी वह जोर से बोल उठा—“आप अपनी गलती का प्रायश्चित्त कर लीजिये।” इस बात को पुनः-पुनः जोर-जोर से दुहराने लगा। आखिर समता एवं धैर्य का बाध टूटा और गुरु भी क्रोधोन्मत्त बन गये। उन्होंने जीवन की परिसमाप्ति कर डाली। यह है क्रोध की अप्रतिष्ठित दशा का भयकर परिणाम।

क्रोध प्रस्फुटित होने के प्रकारों में एक अन्य वर्गीकरण का संकेत भी ग्रन्थों में मिलता है। उन वर्गीकरण के चार प्रकार हैं—

१. अभोगनिवृत्तए (आभोगनिर्वृत्तित)

कामनायुक्त भोग्य पदार्थों की प्राप्ति में बाधाओं के कारण क्रोध का फल जानते हुए भी जो क्रोध प्रस्फुटित होता है, वह अभोगनिवृत्तए-आभोगनिर्वृत्तित कहलाता है, अर्थात् भोगेच्छाओं की पूर्ति के निमित्त फल-ज्ञान के उपरान्त भी प्रस्फुटित होने वाला क्रोध ।

२. अणामोगनिवृत्तए-अनाभोग निर्वृत्तित

इसमें भोगेच्छाओं की पूर्ति के निमित्त से प्रस्फुटित होने वाले क्रोध के साथ फल-ज्ञान नहीं होता । क्रोधी यह नहीं जानता कि उसके क्रोध करने का उसे क्या फल भोगना पड़ेगा ।

३. उवसंत-उपशान्त

जो क्रोध अभी तक उदय में नहीं आया, सत्ता में ही विद्यमान रहता है, वह उपशान्त क्रोध कहलाता है । क्रोध का यह प्रकार उपशान्त दशा में रहता है । क्रोध भीतर ही भीतर उमड़ता-धुमड़ता है, किन्तु क्रोध करने वाला उसे बाहर प्रकट नहीं होने देता है । बाहर से उस क्रोधी का ऐसा रूप दिखाई देता है, जैसे-कि उसे किसी पर कोई क्रोध नहीं है ।

४. अणुवसंतए-अनुपशान्त

जो क्रोध उदय में आ चुका है वह अनुपशान्त कहा जाता है । जब यह क्रोध तीव्र रूप में प्रस्फुटित होता है तो उसे उपशान्त करने का कोई प्रयत्न नहीं होता है । क्रोध करने वाला अपने क्रोध को खुले रूप में बाहर प्रकट होने देता है ।

मूल रूप में क्रोध-स्कन्धों का सम्बन्ध आत्म-तत्त्व के साथ है । जब तक क्रोध-कषाय का क्षय नहीं हो जाता, प्रकारान्तरो से वह भीतर और बाहर प्रस्फुटित होता रहता है । इस प्रकार ससारी आत्माओं की नानाविध वृत्तियों, प्रवृत्तियों तथा अनेक प्रकार के निमित्तों के अनुसार बनते, बदलते और नये-नये रूपों में ढलते रहते हैं । क्रोध की संलग्नता से मानव-हृदय छोटी-छोटी घटनाओं के प्रभाव से भी आन्दोलित हो उठता है ।

क्रोध के घातक दुष्परिणाम

एक साधक अति कठिन साधना कर रहा था । वह अत्यल्प वस्त्र रखकर शीत-ताप सहन करता, कभी-कभी अनशन करता और भी अत्यल्प भोजन से अपना निर्वाह चलाता । वह सोचा करता—ये सासारिक लोग किस तरह भोगोपभोग की लालसाओं में फंसे हुए हैं ? एक दिन लोगों को साधक की साधना की जानकारी हुई तो वे श्रद्धाभाव से जरी की-रेशम की मालाएँ लेकर वहाँ पहुँचे और साधक का सम्मान करने लगे । एक श्रद्धालु ऐसा था जो बहुत

ही गरीब था। वह कोई कीमती माला नहीं जुटा सका। उसे तो अपनी श्रद्धा प्रकट करनी थी अतः कच्चे सूत की ही एक माला बनाकर वह भी साधक के पास पहुँच गया। उसने भी अपनी माला साधक को अर्पित कर दी। साधक का उपशान्त क्रोध यह देखकर भड़क उठा कि शोभनीय मालाओं के बीच यह कैसी अशोभनीय माला ?

अमृत-वचन निकालने वाला वह साधक तब अपने उपदेश-प्रवाह में कहने लगा—कुछ लोगों में श्रद्धा नाम मात्र की भी नहीं रहती। वे महात्माओं का अपमान करने चले आते हैं। ध्यान रखिये कि ऐसे लोगों की नरक में भी स्थान नहीं मिलता है। साधक का क्रोध फूट रहा था, उस गरीब श्रद्धालु पर, किन्तु वह तो अपनी श्रद्धा के अतिरेक में आनन्दित हो रहा था। इस प्रकार श्रद्धालु का हृदय तो श्रद्धा के दीपक से प्रदीप्त था किन्तु साधक का हृदय क्रोध की ज्वाला में जल रहा था। एक साधक की दीर्घकालीन साधना क्रोध की आग में पल भर में भस्म हो जाय, इसमें अधिक क्रोध का घातक दुष्परिणाम और क्या हो सकता है ?

‘गौतम कुलक’ में कहा गया है—

“कोहाभिभूया न सुह सहति ।”

अर्थात् क्रोध से पराजित व्यक्ति कभी सुख नहीं पाते। इसका मुख्य कारण है कि क्रोध अग्नि की ज्वाला के समान होता है। जो भी इसके सामने आता है, उसको जला देने की चेष्टा करता है। सामने आने वाला भले इससे जले या न जले, किन्तु क्रोध करने वाला तो इसमें बुगी तरह जलता और भूनसता ही है। क्रोधाग्नि एक प्रकार से स्व-पर-दाहक होती है। क्रोधी स्वयं भी जलता है तो अपने ताप में दूसरों का भी अनुत्पन्न बनाता है।

उसका मन जलता है जो क्रिया-प्रतिक्रियाओं के उतार-चढ़ाव में न जाने कितना क्लृप्त संचित करता रहता है। उसका तन जलता है—अपने समस्त अवयवों से शक्ति-हीन, रुग्ण और जर्जरित बनता जाता है। सर्वोपरि उसकी आत्मा के मूल सद्गुण घू-घू कर जल जाते हैं और रह जाता है, दुर्गुणों-का अनियन्त्रित समुदाय ! जो आत्म शक्ति को सामारिकता की दासी बनाकर रख देता है।

क्रोध जब इस प्रकार की अनेकानेक विकृत वृत्तियों का जनक बन जाता है तो वह आत्मा को अपनी मुट्टी में कैद कर लेता है, जिससे वह अपने मूल गुणों की रक्षा में अपनी शक्ति का प्रयोग करने में अक्षम बन जाय। ऐसी अवस्था में आत्मा तेजोहीन, मन असन्तुलित तथा शरीर जीर्णशीर्ण बन जाता है। बुद्धि का नाश भी गृष्णित हो जाता है जिसके कारण हिताहित अथवा कर्तव्याकर्तव्य सूझ

नहीं पड़ता । थायराइड आदि अमृत वर्षी ग्रथियों का कार्य भी अवरुद्ध हो जाता है । क्रोधाविष्ट व्यक्ति की विचारधारा स्वार्थपरायण बन कर नवीन स्फुरणाओं को ग्रहण करने में अयोग्य हो जाती है । शनै-शनै उसकी विचारधारा का प्रवाह ही विषाक्त बन जाता है । इस विषाक्तता से सर्वाधिक हानि आत्मा के मूल गुणों अर्थात् आ तरिक सद्गुणों की ही होती है । किसी भी अतिशय क्रोधी व्यक्ति के जीवन में ऐसे सद्गुण विलुप्त हो जाते हैं ।

यह भी एक प्रकट तथ्य है कि क्रोधी अपने जीवन के सारभूत सद्गुणों को नष्ट करने के साथ अपने आस-पास के वातावरण में भी जहर भरता है और अपने व्यवहार में आने वाले लोगों के दिलों में भी जहर की झाड़ियाँ उगाता है । उसका स्व-पर-दाहक स्वरूप तब सबके सामने भलीभाँति उजागर हो जाता है । आत्मा के मूल गुणों की विलुप्ति के साथ उसके आचरण में कई अन्यान्य दुर्गुणों का समावेश भी हो जाता है । क्रोध से उत्पन्न दुर्गुणों का दुष्परिणाम रूप वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है—

१. परनिन्दा

क्रोधी व्यक्ति अपने चरित्र को देखना और समझना तो भूल जाता है परन्तु दूसरों की अधिकांशतः भूठी निन्दा करने में कुशल बन जाता है । उसके स्वभाव की यह विकृति उसे असामाजिक बना देती है ।

२. दुःसाहस

क्रोध के अपने दुर्गुण को क्रोधी अपना बल मान लेता है जिसके कारण भद्र व्यक्ति उससे दूर रहते हैं । वह उन्हें अपने से भयभीत समझ लेता है । इस कुविचार के कारण क्रोधी व्यक्ति दुःसाहसी भी हो जाता है । वैसे दुःसाहस का वह कुफल भुगतता रहता है लेकिन क्रोधावेश के कारण सचेत नहीं बनता है ।

३. वैर

अपने क्रोध के कारण वह उन व्यक्तियों का भी वैरी हो जाता है जो उसे अपनी सदाशयता के कारण क्रोध से विलग होने की सतिशक्षा देने का प्रयास करते हैं ।

४. जलन

क्रोध की अग्नि ईर्ष्या का रूप धारण करके भी जलाती है और उस जलन में क्रोधी अन्य किसी की उन्नति को फूटी आखी भी नहीं देख पाता है ।

५. दोष-दर्शन

क्रोधी अकारण ही दूसरों की प्रवृत्तियों में मनःकल्पित दोष आरोपित करता है और अपने प्रति रही हुई दूसरों की सहानुभूति खोता रहता है ।

६ दुष्ट ध्यान

क्रोधी सदा दूसरों का अहित-चिन्तन करता है और तरह-तरह की विचारणाओं में क्रूर कल्पनाएँ करता रहता है ।

७ कठोर वचन

मन की क्रूर विचारणाएँ वचन की कठोरता में प्रकट होकर सबका दिल दुःखाती है ।

८. क्रूर व्यवहार

मन का दुष्ट ध्यान वचन की कठोरताओं के साथ व्यवहार की क्रूरता में फूटता है तो क्रोधी सबको अपना शत्रु बना लेता है ।

वस्तुतः पागल हो जाता है क्रोधी

मनोवैज्ञानिक क्रोध को अस्थायी पागलपन कहते हैं । क्रोधी को पागल की उपमा इसी कारण दी जाती है कि वह अपनी उत्तेजना की अवस्था में वास्तव में पागल ही हो जाता है । क्योंकि वह सत्-असत् विवेक से विकल, कर्तव्य-अकर्तव्य की भौमामा में मूढ़ एवं मर्यादाओं के अतिक्रमण में उद्विग्न हो जाता है । उसके हृदय में स्नेह एवं प्रेम की धारा सूख जाती है, उदारता एवं सहिष्णुता की भावनाएँ समाप्त-प्रायः हो जाती हैं तथा सहानुभूति एवं सहयोग की प्रवृत्ति भी दब जाती है । वह तो दुष्ट भाव, कठोर वचन तथा क्रूर व्यवहार का स्वामी बन कर पागलों की श्रेणी में चला जाता है । वह अपने इसी पागलपन से अपने सम्बन्धियों, मित्रों एवं स्नेहियों को अपने शत्रु बना लेता है । उसका स्वयं का जीवन उसी के लिये भारस्वरूप बन जाता है । वह अपने गृहस्थ जीवन में भी तरह-तरह के सकटों से घिर जाता है । उसके दुर्व्यवहार से उसकी आय के स्रोत सूखने लगते हैं और गृहस्थोचित व्यवहार से भी वह सबकी ओर से वंचित हो जाता है ।

क्रोध के दूरगामी परिणाम आत्मा को विविध कर्म बन्धनों से बाधते हैं, जिनमें चौरासी लाख जीव योनियों में उमका भव-भ्रमण निरन्तर चलता रहता है । वह कई बार निकाचित कर्मों का फल भोगते समय अपने आपको असहाय-सा महसूस करता है कि जैसे—प्रबुद्ध कर्मों को गृहस्थानों को तोड़ देने से अक्षम होता जा रहा है । विकारी वृत्तियों के जटिल जाल में फसा हुआ होने के कारण किमी की सत्सहायता का भी वह लाभ नहीं उठा पाता है । कमी भावना का हल्का-सा भौंका आता है और वह उस जाल को तोड़कर बाहर निकलने के लिये एक कदम उठा भी लेता है तो फिर प्राणों का कदम नहीं उठता और पुनः वह

उसी जाल में फस जाता है। जैसे गहरे कीचड़ में से हाथी का बाहर निकलना कठिन हो जाता है वैसे ही विकारों के कीचड़ में से आत्मा सरलतापूर्वक बाहर नहीं निकल पाती है। कदाचित् किसी सत्सगति के फलस्वरूप भावना का प्रबल भौंका आ जाता है तो ही वह उसे विचारों के कीचड़ में से बाहर निकाल पाता है।

क्रोधी का पागलपन भी थर्मामीटर के पारे की तरह ऊपर-नीचे होता रहता है। क्रोध की तीव्रता एवं मद्दता के परिणामस्वरूप ही कर्मबध की अवधि भी घटती और बढ़ती रहती है। उसका अनुभाग भी न्यून या तीव्र, तीव्रतर व तीव्रतम होता रहता है। क्रोध-विष का प्रभाव अगो के सक्षय रूप में परिलक्षित होता है किन्तु उससे मुख्यतः आत्म-गुणों का ही सक्षय (दबना) होता है। ऐसी अवस्था में जीवन की दशा दयनीय बन जाती है। आत्महीनता से उसका मस्तिष्क कुठाग्रस्त हो जाता है और तरह-तरह के तनावों से भर जाता है। ऐसे क्रोधी के लिये शारीरिक कष्टों की तो सीमा ही नहीं रहती है। वह इहलोक में दुःखी होता है और परलोक को भी दुःखी बनाता है। उसका समूचा आत्म-स्वरूप एवं जीवन क्षति-विक्षतियों से आकीर्ण और कटुतामय एवं कलुषितता से मलीन बन जाता है। क्रोधरूपी महाचाडाल को मन में बसा लेने पर क्रोधी स्वयं महाचाडाल हो जाता है।

विष-तरंगों का प्रवाह

क्रोधरूपी विष की तरंगों, जब किसी व्यक्ति की आत्मा, तन और मन में प्रवाहित होने लगती है तो वह सभी ओर से अपने जीवन-विकास की सम्भावनाओं को गंवा देता है। अपनी आत्मा के मूल गुणों को वह दबा देता है और अपने विवेक को शून्य-बिन्दु तक पहुँचा कर सज्ञाहीन-सा बन जाता है। इस सज्ञाहीनता का तब उसके जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है जब उसका सूक्ष्म नाडी तंत्र भी क्षत-विक्षत हो जाता है।

विष-तरंगों के प्रवाह में वहता हुआ, क्रोधी मनुष्य इस तथ्य का चिन्तन नहीं कर पाता है कि वह अपने क्रोधावेग के कारण वर्तमान जीवन में भी कैसी-कैसी हानियों का शिकार बन रहा है। वह यह भी नहीं जान पाता कि उसके शरीर के महत्त्वपूर्ण सारयुक्त तत्त्व नष्ट हो रहे हैं और मस्तिष्क का सूक्ष्म नाडी तंत्र भी आघातों से जर्जर बन रहा है। उसकी चिन्तन क्षमता का भी ह्रास होता चला जाता है। एक क्रोधी व्यक्ति अपनी विवेक शून्यता से जीवन का सन्तुलन बिगाड़ लेता है तो अपने शरीर को "ब्रेन-हेमरेज", रक्त-चाप, लकवा आदि भयकर रोगों के आक्रमण के लिये खुला छोड़ देता है।

रक्त-चाप जैसे रोग अधिकांशतः क्रोधी व्यक्तियों को होते हैं। भादसोद्य (मेवाड) की सत्य घटना है। मन्दिर की एक शिला को लेकर दो भाइयों के

बीच उग्र विवाद हो गया। फलतः क्रोधावेश की अधिकता के कारण एक भाई को ब्रेन हेमरेज हो गया और वह मृत्यु-मुख में चला गया। इंग्लैण्ड की एक घटना है। घुडदौड़ की प्रतियोगिता चल रही थी। उसमें एक घुडसवार को पक्की उम्मीद थी कि वही जीतेगा। किन्तु वह उस समय क्रोधावेग से कापने लगा जब उसका प्रतिपक्षी जीत गया। वह भीतर ही भीतर क्रोध से घुटता हुआ अपने घर पहुँचा। उसकी पत्नी उसके स्वभाव को पहचानती थी। जैसे ही उसने अपने पति का वह रौद्र रूप देखा, तुरन्त उसने डाइनिंग टेबिल उसकी पसन्द के विविध व्यजनों से सजा दी जिससे वह खाने में जुटकर अपने गुस्से को भूल जाय। किन्तु उस रोज उसके मस्तिष्क में क्रोध की विष-तरंगों का प्रवाह माघातिक रूप से वह रहा था। उसने वह क्रोध अपनी पत्नी पर घातक रूप से निकालना चाहा। नाजूक स्थिति देखकर पत्नी ने उसे कमरे में बन्द कर दिया तो उसने अपना गुस्सा अपने पर ही निकालना शुरू कर दिया और वह बुरी तरह से घायल हो गया।

क्रोध की विष-तरंगों से ग्रस्त व्यक्ति न अपने घर में अपना रहता है और न ही अपने धर्म या पेशे को लाभ व लोकप्रियता के साथ चला सकता है। वर्तमान जीवन से सम्बन्धित क्रोध की हानियों का दृश्य देखने चलें तो स्थान-स्थान पर ऐसे दृश्य देखने को मिल सकते हैं।

इन विष तरंगों के प्रबल प्रवाह के क्षणों में यदि आगामी जन्म की आयु का वध होने का अवसर आ जाय तो क्रोधी व्यक्ति मर्प योनि अथवा बैसी ही क्रोध प्रधान किसी अन्य योनि में जन्म लेता है और पूर्व जन्म के कुसस्कारों से ग्रस्त रहता है।

अनेक असहिष्णुताओं का जनक—क्रोध

समीक्षण दृष्टि से जब अवलोकन किया जायगा तो स्पष्टतः देखा जा सकेगा कि स्थान-स्थान और समय-समय पर क्रोध के कारण कई प्रकार की असहिष्णुताओं का जन्म होता है और उनके प्रभाव से परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व में भाति-भाति के टकराव और संघर्ष उत्पन्न होते रहते हैं।

सहिष्णुता को आत्मा का एक महत्त्वपूर्ण सद्गुण माना गया है। सहिष्णुता के आश्रय से ही अन्य कई सद्गुण इस जीवन में प्रकट होकर पल्लवित एवं पुष्पित होते हैं। ऐसे महान् सद्गुण सहिष्णुता पर ही क्रोध का सबसे कठोर आक्रमण होता है, जिसके फलस्वरूप सद्गुण नष्ट होते चले जाते हैं और दुर्गुण पनपने लगते हैं। क्रोध हम रूप में दुर्गुणों का मजक तथा सहिष्णुता व उनके सहयोगी सद्गुणों का विध्वंसक सिद्ध होता है।

जब सहिष्णुता जाती है तो क्षमा गुण का भी लोप होने लगता है। मुनि जीवन का प्रथम धर्म ही क्षमा माना गया है, क्योंकि इसी गुण के बल पर मुनि इन्द्रिय विषयो से सम्बन्धित विकारो तथा मन की चञ्चल दौड़ो पर नियन्त्रण रखने में समर्थ होता है। क्षमा को रीढ़ की हड्डी के समान आधारभूत गुण माना गया है और यदि मुनि क्रोध के वश में हो जाय तो वह अपने आधार को ही खो देने की स्थिति में पहुँच जाता है। सहिष्णुता और क्षमा एक से घरातल पर पनपने वाले सद्गुण हैं। क्रोध का आवेग उन्हें समान रूप से क्षतिग्रस्त बना देता है।

क्रोध से उत्पन्न होने वाली प्रमुख असहिष्णुताएँ निम्न हो सकती हैं —

१. मानसिक असहिष्णुता

मनोवर्गणा से निर्मित द्रव्य मन जब भाव मन की आधारशिला पर दृढ़ से दृढतर बनता हुआ कार्यरत होता है तभी वह सफलता प्राप्त करता है। मन की भूमि पर ही संप्रेषण, संग्राहक आदि शक्तियाँ उर्वरित होती हैं, जिनके अत्युच्चय विकास की दशा में भीतर के अवस्थानो तक पहुँच पाने में सुगमता हो जाती है। तब भीतर से फैला हुआ मानस तत्र सदा सक्रिय बना रहता है। इसी प्रकार निरन्तर अन्तर्यात्रा में व्यक्ति आगे बढ़ता रहे तो प्राण शक्ति की वृद्धि के साथ द्रव्य मन की क्षमता भी अभिवृद्ध बन जाती है जिसके बल पर आन्तरिक अवस्थानो तक पहुँच पाने की शक्ति का अर्जन और सर्जन पर्याप्त मात्रा में होता है। किन्तु ऐसी मानसिक सुव्यवस्था पर क्रोध का ऐसा मारक प्रहार होता है कि समूचा तन्त्र छिन्न-भिन्न हो जाता है। क्रोध के बार-बार के प्रहारो से तो द्रव्यमन की सामान्य क्षमता भी नष्ट होने लग जाती है। सारा तन्त्र शिथिल सा हो जाता है और विवेक शून्यता के साथ मानसिक तनाव तथा चिडचिडापन बढ़ने लगता है। इससे जीवन में विशेष प्रकार की दुर्बलता व्याप्त हो जाती है।

मानसिक असहिष्णुता से व्यक्ति स्वयं की ऊर्जा का भी सदुपयोग नहीं कर पाता है। परिणाम इस रूप में सामने आते हैं कि वैसे व्यक्ति अपने आप से असन्तुष्ट, हतोत्साह तथा अकर्मण्य होता चला जाता है। उसकी मिथ्या अहकार-वृत्ति इतनी उभर आती है कि जरा-सी भी प्रतिकूल बात सुनकर वह क्रोध से तमतमा जाता है और अनुकूल बात में भावातिरेक से स्वयं को भूल जाता है। वह अकरणीय को पहले कर तो लेता है लेकिन फिर पश्चात्ताप की भट्टी में फुलसने लगता है। क्रोधावेग में दूसरो के प्रति अमद्रता एवं अशिष्टता का व्यवहार करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता रहता है क्योंकि वह हर वक्त अपनी ही मानसिक असहिष्णुता से ग्रस्त बना रहता है। इस ग्रस्तता से वह

अपना अहित करता है, परिवार के साथ शान्ति से नहीं रह पाता है तो समाज में भी दुर्व्यवस्था लाने का माध्यम बनता है। वह इस प्रकार समाज-विरोधी बन कर छल, कपट, धूर्तता आदि अनेकानेक दुर्गुणों को अपनाता हुआ आत्म-विरोधी भी बन जाता है। उसके ऐसे दुर्गुण चारों ओर फैलते हुए ग्राम, नगर एवं राष्ट्र आदि को भी कलुषित बनाते हैं।

कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक व्यक्ति की मानसिक असहिष्णुता सारे विश्व को महाविनाशकारी युद्ध में भोक देती है। वर्तमान परिस्थितियों में तो यह खतरा अधिक स्पष्टता से समझा जा सकता है। यदि किसी शक्तिशाली राष्ट्र का नायक मानसिक असहिष्णुता से ग्रस्त होकर अपना सन्तुलन खो दे और परमाणु शस्त्रों का ताण्डव नृत्य शुरू कर दे तो क्या सारा विश्व जल नहीं उठेगा ?

मानसिक असहिष्णुता से जब नैतिकता भी नष्ट हो जाती है, तो अध्यात्म मार्ग के श्रुतधर्म एवं चारित्र्य धर्म के विकास की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है ?

२ वैचारिक असहिष्णुता

विचारों के सृजन का केन्द्र मस्तिष्क है। लक्षणाओं से अभिरञ्जित चित्त-वृत्तियाँ इसी केन्द्र स्थल से समुक्त होती हैं। तब चित्त-वृत्तियों की विभिन्नताओं में से एक जातीयता का स्वरूप बनता है। उसमें जब तुलनात्मक अवस्था से चित्त-वृत्तियों का उतार-चढ़ाव होने लगता है तब विचार प्रवाह की सरिता बहने लगती है। उस सरिता का प्रवाहक मुख्य रूप से विचार केन्द्र बनता है। उम केन्द्र के साथ ज्ञान वाहक नाडी-समूह जुड़कर कार्यरत होने लगता है तथा विचारों के परस्पर प्रतिपक्षी स्वरूप के सकल्प विकल्पात्मक बनावट का निर्माण होता है। उस अवस्था में मनुष्य के विचार केन्द्र ज्ञानवाहक नाडियों से विचारों को बहन करने में सक्रिय हो जाते हैं तब दोनों के बीच में एक निर्णायक शक्ति का विकास भी होता है जो केन्द्र-कार्यों के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने में सफल होता है। तदनन्तर निर्णीत विचार प्रवाह यथायोग्य 'ग्लेण्ड्स' को प्रभावित करता है। फिर अण्वी रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से मन आदि तन्त्रों में व्यवहृत होता हुआ वचन के माध्यम में निर्णीत विचार प्रवाह प्रकट होता है। उस बाहर आये विचार प्रवाह को श्रोतागण हिताहित की पसीटी पर कास कर तुलनात्मक दृष्टि से परखते हैं और उसे व्यापक कल्याण की भावना से तोलते हैं।

उस निर्णीत विचार-प्रवाह की बाह्य जो प्रतिक्रिया होती है, वह पुनः श्रोत्रेन्द्रिय आदि के माध्यम में विचार प्रणेता के मस्तिष्क में प्रवेश करती है।

तब वह मस्तिष्क के विचार केन्द्र को आन्दोलित बनाती है । उस समय मस्तिष्क में कार्यरत विचार केन्द्र एव उसका सहयोगी नाड़ी तन्त्र यदि सक्षम और सन्तुलित रहे तो वे उस प्रतिक्रिया का समीचीन समाधान अपने नये निर्णय के रूप में निर्मित कर सकते हैं किन्तु ऐसे समय में यदि क्रोध का आक्रमण हो जाय और वह घातक सिद्ध हो तो विचार केन्द्र तथा नाड़ी केन्द्र का सन्तुलन टूट जाता है तथा क्षमता मंद हो जाती है और समीचीन समाधान सामने नहीं आ पाता । तब वैसा व्यक्ति अपने पहले के विचार को ही पूर्ण उचित कहने लगता है और आलोचना सुनना वन्द कर देता है । इस रूप में वैचारिक असहिष्णुता जन्म लेकर व्यक्ति के जीवन में पुष्ट रूप लेने लगती है ।

वैचारिक असहिष्णुता विचारों के स्वस्थ विकास को अवरुद्ध कर देती है और विचारों में "हठवाद" को ऊपर ले आती है । वह असहिष्णुता इस रूप में स्व-पर जीवन के लिये अहितकर और अलाभप्रद बन जाती है । यह वर्तमान एव भावी जीवन के दुःखों का हेतु भी बन जाती है ।

३ परगुण-असहिष्णुता

गुण शब्द अनेक अर्थों में व्यवहृत होता है । मुख्यतया किसी द्रव्य का वह अणु, जो उस द्रव्य में त्रिकालस्थायी होकर रहता है और उस द्रव्य की विशिष्टता बतलाता है, गुण शब्द से कहा जाता है । तात्विक दृष्टि से सक्षेप में दो तत्त्वों में समग्र वस्तुओं का समावेश हो जाता है । वीतराग के सिद्धान्तानुसार ये दो तत्त्व हैं—चेतन और जड । वेदान्त दर्शन में इन्हे ही ब्रह्म और माया के नाम से पुकारा गया है । साख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति के रूप में इन दो तत्त्वों का आख्यान करता है । प्रायः अन्य दर्शनों में भी नामों के परिवर्तन के साथ इन्हीं दोनों तत्त्वों का निरूपण किया गया है ।

इनमें से जड तत्त्व के मौलिक गुण-वर्ण, गंध, रस और स्पर्श बताये गये हैं तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य आदि चेतन तत्त्व के मौलिक गुण कहे गये हैं । यथा—

पाण च दंसण चैव, चरित्तं च तवो तथा ।

वीरिय उवओगो य, एय जीवस्स लक्खण ॥

—उत्तरा० २८/११

तदनुसार आत्मिक गुणों के दो वर्ग किये गये हैं । एक वर्ग में स्वाभाविक गुणों का समावेश किया गया है तो दूसरे वर्ग में वैभाविक गुणों का । स्वाभाविक गुण निसर्गतः ही होते हैं जबकि वैभाविक गुण कर्मों के निमित्त से उत्पन्न होते हैं । वस्तुतः वैभाविक गुण स्वाभाविक गुणों की ही विकृति है । आत्मा की

अप्रयथायं दृष्टि के कारण वैभाविक गुणों को बल मिलता है। ये वैभाविक गुण स्वाभाविक गुणों को ओझल करने वाले होते हैं। इन्हीं वैभाविक गुणों में रस लेने वाला पुरुष अन्य व्यक्तियों के गुणों से असन्तुष्ट रहता है। वह यही सोचता है कि अन्य व्यक्ति मेरे समान गुणों से सम्पन्न न बनें। वह कदाचित् किसी को गुणों में उन्नति करते हुए देखता है तो उसके मन में एक आन्तरिक व्यथा उत्पन्न होती है। वह उम उन्नति में अवरोध डालने की बात सोचने लगता है। तदनुसार वह अपनी शक्ति को दूसरों के गुणों को लाञ्छित करने अथवा उनकी उन्नति को रोकने की चेष्टा करता है। इस दिशा में वह अपने प्रयत्नों को तेज करता रहता है। ऐसे पुरुष पर-गुण असहिष्णु कहलाते हैं।

ऐसे पर-गुण असहिष्णु पुरुष दूसरों के गुणों को लाञ्छित करने या अव-गुणों के रूप में प्रकट करने में अपनी जो शक्ति लगाते हैं, उससे दूसरों के गुणों का तो कुछ बिगड़े या न बिगड़े, परन्तु वे स्व-गुणों को तो छिन्न-भिन्न कर ही डालते हैं। पर-गुण असहिष्णुता के कारण उनके अपने गुणों का ह्रास होता चला जाता है।

असहिष्णुता स्वयं एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। और उसमें भी पर-गुणों के प्रति असहिष्णु होना पर के सिवाय स्व-गुणों का भी घातक होता है। यह ऐसी वृत्ति है जिसका कुप्रभाव उभयमुखी होता है। जिसकी वृत्ति, पर-गुणों को सहन करने की नहीं होती है, वह स्वयं के गुणों को सहन करने अर्थात् पचाने में असमर्थ हो जाता है। ऐसा पुरुष यदि अपने में किसी भी रूप में किसी गुण का विकास देखता है तो उसे उन्हें बाहर प्रदर्शित करने की बड़ी उत्सुकता रहती है।

स्व-गुणों को प्रदर्शित करने की लालसा उसमें एक प्रकार की रिक्तता पैदा कर देती है। जिन स्व-गुणों का प्रदर्शन वह दूसरों के सामने करता रहता है, वे वस्तुतः गुणान्तर से बाहर आ जाते हैं और उन गुणों के स्थान पर दंभ एवं अहंकार उसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। यह गति जब निरन्तर चलती रहती है तो वैसा पुरुष अधिकांशतः दुर्गुणों का कृपा भाजन बन जाता है। इसी कारण किसी भी सच्चे साधक को गुण प्रदर्शन के भ्रम में नहीं गिरना चाहिये, क्योंकि इससे दार्भिक वृत्ति पनपती है। वस्तु स्वरूप के कथन में भी कृत्रिमता न आए, इसके लिये उसे सतर्क रहना चाहिये।

इस प्रकार की सतर्कता तभी रह पाती है, जब साधक स्व-गुणों को पचाने की क्षमता अर्जित कर लेता है। ऐसा साधक स्व-गुणों को विकसित करने के साध-साध भीतर रहे दुर्गुणों को त्यागने का यत्न भी करता रहता है। वह भ्राम-दृष्टा बन कर समीक्षण ध्यान से अन्तरावलोकन करता है तथा भीतर रहे

हुए सद्गुणों व दुर्गुणों को चित्रवत् देखता है। यह देखकर ही वह सकल्पपूर्वक दुर्गुणों को बाहर निकालने तथा उनके स्थान पर सद्गुणों को प्रतिष्ठित करने का पुरुषार्थ करता है। इस वृत्ति के साथ वह पर-गुणों की सराहना भी करता है तो उन्हें भी अपने जीवन में अपनाने की जिज्ञासा बनाता है। वह गुण प्रशंसक होता है तथा जहाँ भी गुण दिखाई दे, उनका सम्मान करता है एवं उन गुणों को भी आत्मसात् करने का प्रयास करता है। इस प्रकार वह अपने जीवन को गुणालकृत बनाता रहता है। इसलिये गुण-सहिष्णुता जीवन-विकास की सहायिका होती है।

४ उन्नति सम्बन्धी असहिष्णुता

अपने स्वाभाविक गुणों-सद्गुणों का उत्तरोत्तर विकास करना वास्तविक उन्नति है। सामान्यतया उन्नति का इच्छुक व्यक्ति निज की उन्नति करना चाहता है। वह तदनुरूप प्रयत्नरत भी होता है। किन्तु उन्नति रूप कार्य के कारणों का यदि उसे विज्ञान न हो तो वह उन्नति नहीं कर पाता। यही नहीं, कभी-कभी वह अवनति की ओर भी गिरने लगता है। अतः उन्नति चाहने वाले पुरुष को उन्नति के हेतुओं का विज्ञान करना नितान्त आवश्यक है।

उन्नति की अभिलाषा या सकल्प का अकुर अन्तःकरण में प्रस्फुटित होता है। स्वयं की अन्तर्चेतना में जिस रूप में भी उन्नति की कामना अभिव्यक्त होती है, उस अभिव्यक्ति को पल्लवित, पुष्पित एवं फलित करने के लिये निरन्तर उसके अनुरूप विचारों का प्रवाह बनाना चाहिये। ऐसा विचार प्रवाह ही उस अकुर को अभिवृद्ध करके फलवान् बनाता है।

उन्नति एवं तदनुरूप विचार जब अन्तःकरण में दृढीभूत होते हैं तब तदनुरूप उच्चारण का प्रसंग उपस्थित होता है। वाणी के माध्यम से उन्नति के अनुरूप विचारों का बाह्य वायुमण्डल बनना प्रारम्भ होता है। तब उन्नति का आचार शारीरिक परिधि में व्याप्त हो जाता है। व्यक्ति की आचार-सहिता वैसी दशा में उन्नति के अनुरूप जीवन का अग वन जाती है और अन्य अनेक व्यक्तियों को भी नष्टभागी बना लेती है। ऐसी स्थिति में अन्य व्यक्तियों की उन्नति में स्वयं की उन्नति तथा स्वयं की उन्नति में पर की उन्नति का दर्शन होने लगता है। इसके अतिरिक्त उन्नति सम्बन्धी प्रभावकारी वायु मण्डल के बनते रहने में अवनति की परिस्थितियों का ह्रास होने लगता है। तब उन्नति की जड़ें अधिकाधिक मजबूत बनती जाती हैं।

जहाँ उन्नति का मूल मजबूत हो जाता है, वहाँ उन्नति के पौधों के पल्लवित, पुष्पित एवं फलित होने में देरी नहीं लगती। अतएव किसी भी प्रकार की उन्नति करने के इच्छुक पुरुष को सबसे पहले उन्नति को स्वयं के भीतर समा लेने

की क्षमता पैदा कर लेना चाहिये । साथ ही वह तत्सम्बन्धी हेय, ज्ञेय एव उपादेय के विज्ञान को सम्यक् रीति से सम्पादित कर अभीष्ट उन्नति के लिए सलग्न हो जाए । उमे अपनी आन्तरिक वृत्तियों का सागोपाग निरीक्षण एव परीक्षण भी करते रहना चाहिये, ताकि उसके मन में उन्नति सम्बन्धी असहिष्णुता अकुरित न होने पाए ।

५. वाणी सम्बन्धी असहिष्णुता

वाणी (वचन) कल्पलता के तुल्य कही जा सकती है । किन्तु वाणी के विशिष्ट महत्त्व को समझने की आवश्यकता है । जिह्वा मिली है तो बोलना ही इसका काम है, ऐसा सोचना योग्य नहीं है । जिह्वा वाणी का माध्यम है अतः इसका महत्त्व बहुत अधिक बढ़ जाता है । कहा है कि वचन-वचन में बहुत अन्तर होता है । एक वचन श्रौषध का काम करता है तो दूसरा वचन किसी के दिल पर गहरा धाव लगा कर घातक भी हो सकता है । वचन प्रीतिकारक भी होता है तो अप्रीतिकारक एव कट्टु भी । एक वाणी मनुष्य के अन्तःकरण में शस्त्र का काम करती है तो दूसरी वाणी मरहम का भी काम करती है । एक शब्द क्लेश का सर्जक बनता है तो दूसरा शब्द प्रशमता का वायु मण्डल निर्मित कर देता है । एक वचन स्वर्ग की भूमिका तैयार करता है तो दूसरा नरकागार की शय्या तैयार कर देता है । एक वचन दुर्गति का हेतु बनता है तो दूसरा सद्गति का नियामक हो जाता है । एक वचन आत्म शुद्धि का जनक होता है तो दूसरा आत्मा को मलिन बनाने का काम करता है । इसी वाणी के प्रयोग से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं । एक वाणी प्रवाह ऐसे चलता है कि आत्मा ससार-समुद्र में गोते लगाती ही रहती है तो दूसरा प्रवाह ऐसा बहता है कि आत्मा मोक्ष के परमानन्द में तन्मय बन जाती है । द्रौपदी के एक वचन ने महाविनाशकारी महाभारत की भूमिका तैयार कर दी थी तो भगवान् महावीर के वचन ने चण्डकीशिक जैसे घोर विषधर की आत्मा को सन्मार्ग पर ला दिया था । इसलिये वाणी के रूप, वाणी की विधि तथा वाणी के प्रयोग के सम्बन्ध में परिपक्व विज्ञान एव सदाशयी विवेक की नितान्त आवश्यकता है ।

समीक्षण दृष्टि से वचन सम्बन्धी सम्यक् विज्ञान होने पर ही वाचिक सिद्धि की सम्भूलब्धि संभव होती है । प्रत्येक साधक को वचन शुद्धि का यह विज्ञान रीतराग वाणी से प्राप्त करना चाहिये । रीतराग देवों ने वचन शुद्धि के लिये बहुत ही सूक्ष्मता से उपदेश दिया है । सत्य होने पर भी वाणी की कट्टता उसे अप्रिय व असत्य बना देते हैं । एक श्राव्य वाले व्यक्ति को सत्य होने पर भी अगर "काना" कहकर पुकारें तो क्या वह कथन प्रिय महसूस होगा ? किसी दोष को प्रियकारी वाणी के माध्यम से भी बताया जा सकता है । अन्धे को अन्धे करने वाणी अन्धे के दिल को तोड़ देता है । उसी अन्धे को यदि प्रज्ञा-बधु नृधर

पुकारें तो क्या ये शब्द उसे प्रिय नहीं लगेंगे ? कहने का आशय यह है कि वाचिक शक्ति के सत्प्रयोग के लिये वाचिक सहिष्णुता का होना जरूरी है । यह वाचिक सहिष्णुता तभी उपजती है जब मन के प्रतिकूल होने पर भी दूसरों के वाचिक प्रयोग को सहन करने की शक्ति उपार्जित की जाय ।

वाचिक असहिष्णुता कटुता एवं क्लेश का वातावरण बना देती है । इस असहिष्णुता को त्यागने के लिये मनुष्य को तटस्थ भाव अपनाना होगा । कोई उसे कुछ भी कहे, वह उसके विरुद्ध विषम वाणी का प्रयोग न करे, अपितु ऐसी समतामयी वाणी का प्रयोग करे कि विषम वाणी का उच्चारण करने वाला भी समता-विभोर बन जाय । ऐसी वाचिक सहिष्णुता से वाचिक लब्धि की प्राप्ति होती है जिसके परिणामस्वरूप उसकी वाणी नपी तुली, सयमित, सन्तुलित तथा समताभाव से पवित्र बन जाती है ।

६. शारीरिक असहिष्णुता

शारीरिक सामर्थ्य भी प्रत्येक कार्य को सम्पन्न करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है । गम्भीरता से चिन्तन किया जाय तो सभी प्रकार की शक्तियों की आधारशिला शारीरिक शक्ति है । शारीरिक अवस्थान में सहन शक्ति अर्जित करने की नितान्त आवश्यकता रहती है । इस शक्ति के अभाव में शरीर के माध्यम से अभीष्ट कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती है । किसी भी कार्य को सफलता पूर्वक सम्पादित करने के लिये शरीर प्रयोग अवश्यभावी है । वीतराग देव का कथन है कि सर्वोच्च सिद्धि-मुक्ति वही प्राप्त करता है जिसे वज्र-ऋषि-नाराच संहनन प्राप्त होता है ।

शरीर जब अनुकूल-प्रतिकूल सस्पर्श को समभाव से सवेदन करने में समर्थ होता है, तभी उस शरीर से किया जाने वाला काय व्यवस्थित रूप में सम्पन्न हो सकता है । इसके अभाव में कदाचित् भगवान् का नाम स्मरण करने में भी बाधा पैदा हो सकती है । साधक तो चाहता है कि तन्मयता के साथ प्रभु-स्मरण में तन-मन को लगा दूँ किन्तु इधर वह स्मरण करने के लिये बैठता है और उधर मच्छर डक मार देता है या गर्म हवा का झोंका वहने लग जाता है तो वह स्मरण से चलायमान हो जाता है । तो यह उसकी शारीरिक असहिष्णुता कहलायगी । वह प्रतिकूल सस्पर्श को सहन नहीं कर सका । इससे उसके कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती ।

शारीरिक सहिष्णुता के अभाव में कोई भी कार्य, चाहे वह धार्मिक हो या सांसारिक, भली भाँति सध नहीं सकता है । क्योंकि असहिष्णु व्यक्ति कार्य के बीच में ही झु झलाने लगेगा और अपने तन-मन का सन्तुलन विगाड़ देवेगा । साधारण से साधारण कार्य में भी शारीरिक सहिष्णुता एवं शारीरिक सामर्थ्य

का योगदान अनिवार्य है। फिर आध्यत्मिक साधना में शारीरिक क्षमता की कितनी अधिक आवश्यकता होती है, इसे भलीभांति समझा जा सकता है। कहा गया है कि "शरीरमाद्य खलुधर्मसाधनम्।" यह भी एक कारण है कि उत्कृष्ट आध्यात्मिक साधना के लिये उत्कृष्ट सामर्थ्य वाले शरीर की अपेक्षा रहती है। इसी कारण उत्कृष्ट शारीरिक बल की अवस्था में ही मोक्ष प्राप्ति का उल्लेख शास्त्रों में हुआ है।

आत्मा से कर्मों को विलग करने के लिये उच्च कोटि की ध्यान-साधना अपेक्षित है। उस ध्यान साधना में यद्यपि मन का पूरा प्रावधान है तथापि मन शारीरिक सामर्थ्य के साथ सम्बन्धित होता है। शरीर मन के लिये ढाल और कवच का काम करता है। युद्ध में प्रवृत्त योद्धा युद्ध करने में कितना ही कुशल पयो न हो, वह प्रतिपक्षी की ओर से आने वाले शस्त्र प्रहार से अपने शरीर को बचाने के लिये ढाल और कवच अवश्य रखता है और तभी वह युद्ध क्षेत्र में सफलतापूर्वक आगे बढ़ता रहता है। ढाल और कवच की सुरक्षा भी बड़ी मजबूत होती है। अतः मन रूपी योद्धा के लिये शरीर रूपी ढाल व कवच सुदृढ़ होना चाहिये। ऐसी अवस्था में मन की ध्यान साधना निर्बाध और सफल हो सकेगी।

शरीर का ऐसा सामर्थ्य शरीर सम्बन्धी विविध प्रक्रियाओं से प्राप्त किया जा सकता है। वे प्रक्रियाएँ इस प्रकार की होनी चाहिये, जिनसे शरीर के अवयवों को परिश्रम की अवस्था में रखा जा सके। इस प्रकार शारीरिक अवयव पुष्ट होने के साथ-साथ आने वाले आघातों को सहन करने में सहिष्णुता प्राप्त की जा सकेगी। इस हेतु दैनिक कार्यों में अवयवों को सम्यक् प्रकार से नियोजित किया जा सकेगा। इन प्रक्रियाओं में यौगिक क्रियाएँ बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। इनके माध्यम से एकावधानता की शक्ति भी बढ़ सकेगी। ऐसा साधक साहजिक योग की साधना के माध्यम से ध्यान साधना में अधिक अग्रसर बन सकता है।

शरीर के अवयवों की असहिष्णुता की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। श्लोष इनकी असहिष्णुता को बढ़ाता रहता है, जिस पर समीक्षण भाव से नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिये। यदि कर्णेंद्रिय में अप्रिय शब्दों का प्रवेश हो तो उस समय वैसी सहिष्णुता अपेक्षित है। उसमें द्वेष की अभिव्यक्ति रूप असहिष्णुता नहीं आनी चाहिए। अनुकूल शब्द श्रवण कर राग की अभिव्यक्ति भी असहिष्णुता का द्योतन करने वाली है। यही चक्षु आदि अन्य इन्द्रियों की असहिष्णुता के सम्बन्ध में समझना चाहिए। वस्तुतः शब्द, शब्द है, रूप, रूप ही है, वह अपने आपमें न प्रिय होता है न अप्रिय, मनोज्ञता-अमनोज्ञता उसका स्वभाव नहीं है। श्लोष शब्द को श्रवण करता है और मन उस पर

प्रियता-अप्रियता, मनोज्ञता-अमनोज्ञता का रग चढा देता है। इस रग की वदौलत आत्मा मे राग-द्वेष की वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। यदि शब्द को शब्द और रूप को रूप ही माना जाए और उस पर मनोज्ञता-अमनोज्ञता का रग न चढने दिया जाय तो साधक की समभावना एव सहिष्णुता खण्डित नही होगी। इस हेतु समभाव की सर्जना का अभ्यास किया जाना चाहिये। जिससे अवयवो की परिपुष्टि एव सहिष्णुता सम्बन्धी क्षमता अर्जित हो सकेगी।

शरीर के अवयव असहिष्णु रहे तो अवयवो शरीर तो नितान्त असहिष्णु रहेगा ही। ऐसी कायिक असहिष्णुता समीक्षण योग की साधना मे बाधक बनेगी। अतः समीक्षण ध्यान के माध्यम से अन्तर्यात्रा का आनन्द लेना चाहे तो कायिक सहिष्णुता परिपुष्टि रूप मे अर्जित की जानी चाहिये।

क्रोध-त्याग से सहिष्णुता का विकास

मानवजीवन सरिता के प्रवाह के समान निरन्तर प्रवाहित होता रहता है। दोनो मे उतार-चढाव आना सहज-स्वाभाविक है। कभी नदी का प्रवाह वाढ का रूप लेकर तट को छोडकर भी प्रसरित हो जाता है तो कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि प्रवाह अत्यल्प हो जाता है। किसी स्थल पर ऊपर से तो नदी सूखी जैसी दिखाई देती है किन्तु जल प्रवाह भूमिगत होकर बहता रहता है। मानव जीवन के प्रवाह की भी ऐसी ही विविध अवस्थाए चलती रहती हैं।

क्रोध जीवन मे जिस प्रकार विभिन्न प्रकार की असहिष्णुताओ को जन्म देता है, उमो प्रकार यदि समीक्षण दृष्टि से क्रोध का त्याग कर दिया जाए अथवा उपयोगपूर्वक उसे घटाया जाए तो कई प्रकार की सहिष्णुताओ का विकास भी किया जा सकता है। यहा ऐसी कुछ सहिष्णुताओ का विश्लेषण किया जा रहा है—

१ उन्नति-अवनति सहिष्णुता

कई व्यक्ति सूखी हुई नदी को देखकर तिरस्कारपूर्णा कथन कर सकते हैं कि इसमे क्या धरा है ! किन्तु क्या उस अवनति सम्बन्धी तिरस्कार को मुनकर भी नदी अपनी स्वाभाविक सहिष्णुता को छोड़ देती है ? नही ! मानव-जीवन रुपी सन्तिता भी कई प्रकार के प्रवाहो के साथ बहती है। कभी ज्ञान प्रवाह को प्रबल बनाने की उत्तुकता के साथ प्रयास किया जाता है तो भावोर्मियाँ उमडकर मामर्थ्य-तट को लाघ जाना चाहती हैं। कभी मध्यम धारा मे जानार्जन होता है तो कभी ऐसा अनुभव होता है कि जैसे ज्ञान-प्रवाह अवरुद्ध हो गया हो। किमी समय अज्ञता रूप शुष्कता का आभास भी होता है। वास्तव मे ऐसा होता नही है, कयोकि भीतर मे न्यूनताविक रूप मे ज्ञान प्रवाह तो रहता ही है। किन्तु

ब्राह्म दृष्टि वाले इस तथ्य को न जानने के कारण अवहेलना स्वरूप शब्द का प्रयोग कर देते हैं कि यह मूर्खाधिराज है, जडमति है या ज्ञानहीन है। इस अवनति सूचक व्यग्रहार से वह व्यक्ति विचलित नहीं होता जिसने उन्नति-अवनति सम्बन्धी सहिष्णुता को हृदयगम कर लिया है। यह तभी बन सकता है जब दूसरो की ऐसी वृत्ति देखकर उनको तिरस्कृत करने के लिये अनुचित शब्दों का प्रयोग न करे। शब्द प्रयोग ही नहीं, अपितु मन में भी उसके लिये गलत चिन्तन न लावे। गमभात्र के साथ उनका यथायोग्य समादर करते हुए चिन्तन करें कि यह उत्तार-चढ़ाव की अवस्था कर्मोदय एव वातावरण के प्रभाव से बनती तथा बदलती रहती है। ऐसे चिन्तन से सहिष्णुता का विकास होता है।

समीक्षण ध्यान की भूमिका पर साधक को इसी रूप में श्रद्धान तथा आचरण के विषय में भी चिन्तन करने की आवश्यकता है। यह तो आन्तरिक समृद्धि सम्बन्धी प्रवाहों की बात है जो कि मुख्यतया पूर्ण साधको को संस्पर्शित करती है। किन्तु आंगिक साधको के लिये आन्तरिक समृद्धि के साथ-साथ बाह्य भौतिक समृद्धि का भी सम्बन्ध जुड़ता है। इसके अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय, वैयक्तिक आदि अवस्थाओं का समावेश होता है। इस प्रकार की बाह्य भौतिक समृद्धि स्वरूप प्रवाह में उत्तार-चढ़ाव के प्रसंगों पर अवनति की अवस्था को देखकर भी जो कभी असहिष्णु नहीं बनता है और न दूसरो की अवनति को देखकर उनका अवमूल्यन करता है, वैसा आंगिक साधक भी अवनति-सहिष्णुता को योग्यता प्राप्त कर उस अनुपात से समीक्षण ध्यान की भूमिका का वर्णन कर सकता है।

२ उत्कर्ष-अपकर्ष सहिष्णुता

मानवीय जीवन की गरिमा विविध प्रकार में प्रकटित होती है। आर्य-सम्प्रदाय में, अग-प्रत्यगों की उत्कर्षता कभी-कभी उस से उच्चस्तरीय सीमा को छू लेती है, जिसमें अन्य जनों की दृष्टि में वह गरीब दिव्य एव आकर्षक लगने लगता है। उस आकर्षण के प्रति कई नेत्र चुम्बक की तरह खिंच जाते हैं और उन गरीब रचना को देख कर मुग्ध बन जाते हैं। बलभद्र मुनि की उत्कर्ष-पूर्ण आर्यिक रचना को देखने में मुग्ध बन कर ही तो पतिहार्ति ने घटे की जगह अपने पुत्र के गने में रस्सी बांधकर उसे हुए में उतारने उगी थी। मनसुमार पदार्थों के रूप-स्पर्श को देखने के लिए स्वर्ग में देव दौट पड़ा था। भेदिक-वेदना तथा नन्ने मृगान्तो आदि के कई प्रसंगों में आर्यिक उत्कर्षता का जीवन होता है।

तेसी उत्कर्षता की अवस्था को योग्य पुत्र वर्तु द्वारा सहिष्णुता की परिधि को स्पष्ट कर सकता है कि ऐसे समाज आर्यिक सम्प्रदाय की भी नहीं है। इस धुन में वह दूसरो की गीन तथा मृग का दृष्टि में देखने लगता

है। इस रूप में उसकी सहिष्णुता विच्छिन्न हो जाती है एवं अन्य प्रगति को साधने में वह अपनी शारीरिक शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पाता है। समीक्षण ध्यान साधना में भी वह सफल नहीं हो पाता है।

वैसे ही पारिवारिक, सामाजिक तथा वैभव सम्बन्धी उत्कर्षताओं में अहंकारग्रस्त हो जाने वाले पुरुष समीक्षण ध्यान में गति नहीं कर पाते हैं। कंसा भी उत्कर्ष हो, उसे अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिये। स्वयं के उत्कर्ष से हीन उत्कर्ष वाले व्यक्तियों के साथ समभावपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिये। स्वयं के समान तथा स्वयं से अधिक उत्कर्ष वाले व्यक्तियों के साथ ईर्ष्या नहीं आने देनी चाहिये। ऐसी सहिष्णुता को साकार रूप देकर समीक्षण ध्यान के माध्यम से अन्तरावलोकन की योग्यता प्राप्त की जा सकती है।

जीवन अनेकानेक विचित्र परिस्थितियों में से गुजरता रहता है। कभी ऊपर, कभी नीचे तो कभी तिरछी गति करने का क्रम चलता रहता है। पर्याय की दृष्टि से भी शरीर विविध पर्यायों को धारण करता है। उनमें कभी अनुकूल पर्याय को धारण करता है तो कभी प्रतिकूल पर्याय को। कभी शारीरिक नीरोगता रहती है तो कभी रोगों का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व भूने के हिण्डोलों की तरह कभी ऊपर से नीचे उतर आता है। बौद्धिक सम्पन्नता होते हुए भी आर्थिक विपन्नता की अवस्था आ जाती है। पहले की समृद्ध पारिवारिक गरिमा भी न्यून बन जाती है। यश भी अप्रयश में बदल जाता है। उत्कर्ष से जीवन दिशा अपकर्ष की ओर मुड़ जाती है। इन विविध अवस्थाओं के उतार-चढ़ाव की परिस्थितियों में प्रायः व्यक्ति अपने आपको सन्तुलित नहीं रख पाते हैं और दैन्य, निराशा, हतवीर्यता या क्रोध में भरकर असहिष्णु बन जाते हैं। उस समय में दूसरों के प्रति क्लृप्त एवं विद्वेष की भावनाएँ भी उभर आती हैं तो अपने प्रति भी भूतकाल के स्मरण के साथ हीन भावनाएँ जन्म ले लेती हैं। वैसे असहिष्णुतापूर्ण मानस में कर्तव्याकर्तव्य का भान भी नहीं रहता है। व्यथा से भरो हुई वैसे आत्मा की दशा दयनीय हो जाती है।

ऐसी आत्मा ने समत्वमय चैतन्य स्वरूप को विस्मृत कर अपने स्वभाव से विपरीत विभावों को अपनाया तो उसकी वृत्तियाँ विभिन्न पर्यायों में विखर गईं, जिससे उसका मूल ज्ञान केन्द्र ही उसकी पहिचान से निकल गया। यदि वह आत्मा स्वयं का विज्ञान प्राप्त कर लेती और स्वयं के स्वभाव से भिन्न अवस्थाओं को तटस्थ दृष्टा होकर देखती तो केन्द्र की मूल आधारशिला अपकर्ष-सहिष्णुता को पा लेती। जिन पुरुषों ने अपकर्ष-सहिष्णुता की वास्तविकता प्राप्त की एवं तदनुसार सभी पर्यायों में सहिष्णुता की पतवार को हाथों में थामे रखा, वे

विकट एव प्रतिकूल अवस्थाओं में रहते हुए भी समीक्षण ध्यान की दिशा में प्रयाण करने में पीछे नहीं रहे। अतः अपकर्षण सम्बन्धी सहिष्णुता भी महत्त्वपूर्ण है।

३. वैयक्तिक सहिष्णुता

प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में स्वयं की योग्यतानुसार ही अपने व्यक्तित्व का अनुभव करता है। व्यक्तित्व जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्तित्वाभाव में व्यक्ति आत्मारहित शरीर के तुल्य हो जाता है। व्यक्तित्व की अनुभूति से ही व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण कर सकता है। व्यक्तित्व की अनुभूति न हो तो जीवन का कोई विशेष मूल्य नहीं रहता। बाल्यावस्था में बालक जब कुछ समझ पकड़ने लगता है तो वह अज्ञात मनःस्थिति में ही सही, अपने व्यक्तित्व की अनुभूति करने लगता है। उसके भीतर में व्यक्तित्व के महत्त्व का अस्पष्ट सा अवन हो जाता है। तब उस व्यक्तित्व का पोषण करने के लिये वह प्रत्येक कार्य में अपने आपको नियोजित करने की चेष्टा करता है। यद्यपि उस अवस्था में वह व्यक्तित्व के मूल्य को स्पष्ट रूप से नहीं जान पाता है, फिर भी शरीर पर्याय के साथ उसकी सहज एव स्थायी भाव की वृत्ति बन जाती है। जब कभी उसके व्यक्तित्व को ठेस पहुँचती है तो वह सिन्नता का अनुभव करने लगता है। इसके साथ ही उसके व्यक्तित्व को संवर्धन करने वाला सम्मान मिलता है तो वह प्रफुल्लता का अनुभव भी करता है और उस दिशा में आगे बढ़ने की अप्रत्यक्ष रूप में चेष्टा करता है।

व्यक्तित्व सम्बन्धी ऐसी वृत्ति के साथ जब वह बालक बड़ा होता है और व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करने लगता है, तब वह व्यक्तित्व के निर्माण से सम्बन्धित हेतुओं से भी परिचित हो जाता है। व्यक्तित्व को कब ठेस लगती है और कब प्रेरणा मिलती है, इसका विज्ञान भी वह कर लेता है। व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्त दृष्टियों का ज्ञाता होने पर जब वह व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने में मत्तीभाँति समर्थ हो जाता है, उस समय वह यदि स्वयं के व्यक्तित्व का अहंकार न करे तथा अपने स्वभाव व व्यवहार को क्रौमल एव विनम्र बनाए रखने तो उसका व्यक्तित्व अथवा वैयक्तिक सहिष्णुता विकसित होने लगती है। ऐसी मानसियता में वह एक ओर स्वयं के व्यक्तित्व को सार्थकता का निखार दे देता है तो दूसरी ओर अन्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व को भी सम्मान देना हुआ दूसरों के जीवन-विकास में योग्य सहायक बन जाता है। वह अपने से हीन व्यक्तित्व वाले पुरुषों का कभी तिरस्कार नहीं करता, बल्कि छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा स्नेहिक व्यवहार करता है कि बच्चों के यथोचित व्यक्तित्व विकास में भी महयोग मिल जाता है। वह सभी व्यक्तियों के जीवन की परिस्थितियों को समन्वय में देखता है एव कृपाभाव में मोनार्पण हाकर दूसरों को उनकी

योग्यता के अनुसार अपने-अपने व्यक्तित्वो के सम्यक् विकास की प्रेरणा देता है। उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व को क्षति पहुँचाने वाली बातों को जिन रूपों में वह देखता है, उनके सशोधन के लिए उन्हें सन्तुलित स्वरूप में सुमधुर उपदेश भी देता है।

वैयक्तिक सहिष्णुता के धनी ऐसे पुरुषों के ऐसे व्यवहार से कई पुरुषों का व्यक्तित्व सफलतापूर्वक निखरता है। यह अलग बात है कि कोई व्यक्ति उनके स्नेहिल व्यवहार को न समझकर उनके निमित्त से स्वयं के व्यक्तित्व का भव्य निर्माण न कर पाते हों। परन्तु ऐसे स्नेहिल पुरुषों का सब ओर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ऐसे स्व-पर-सुधारक व्यक्तित्व का निर्माण तभी हो पाता है जब कोई व्यक्तित्व सहिष्णुता को अपने साथ अपनी छाया की तरह लेकर चले। ऐसा पुरुष हीन, क्लिष्ट अथवा विद्रोही व्यक्तित्वों के प्रति भी समता की भूमिका पर खड़ा रह कर असहिष्णुता का व्यवहार नहीं करता। इस विकसित सहिष्णुता के साथ ही स्वयं की आत्म सिद्धि हेतु समीक्षण ध्यान की प्रक्रिया को भव्य विधि से अपना सकते हैं।

४. पारिवारिक सहिष्णुता

पैत्रिक सदस्यों वाला समूह परिवार कहलाता है। यह एक छोटी इकाई के रूप में रहता है। सामान्यतया परिवार के सदस्यों की व्यवसाय वृत्ति, भोजनादि की व्यवस्था अथवा आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं की सम्पत्ति समुक्त रूप में हुआ करती है। इसमें एक दूसरे का परस्पर आत्मीयतामय सम्बन्ध रहता है, जिसके कारण वे एक दूसरे के सुख-दुःख में भी पारस्परिक योगदान करते हैं। परिवार में भी अनुशासन की आवश्यकता होती है किन्तु वह अनुशासन, आत्मीयता की अनुभूति को लिये हुए ही होना चाहिए। जिन परिवारों में ऐसा अनुशासन होता है, उनकी पारिवारिक गरिमा तथा समाज में महत्त्व की स्थिति अभिव्यक्त होती है। ऐसे परिवारों के साथ अन्य परिवार वाले स्पर्धा करके स्वयं की उन्नति साधने के इच्छुक बनते हैं। इसके विपरीत कुछ परिवार ऐसे भी रहते हैं जो समुन्नत परिवारों के साथ ईर्ष्या वृत्ति को पनपाते हैं। ईर्ष्या के वशीभूत होकर वे समुन्नत परिवारों को छिन्न-भिन्न एवं विष्ट खलित करने के जघन्य प्रयास भी करते रहते हैं।

यहाँ पर भी सहिष्णुता और असहिष्णुता का प्रश्न ही सामने आता है। असहिष्णु परिवार उपर्युक्त हीन प्रयास कर सकते हैं किन्तु जिन परिवारों में पारिवारिक सम्बन्धों को लेकर सहिष्णुता की विकसित वृत्ति होती है, उनके सदस्यों का पारस्परिक व्यवहार एक दूसरे के स्वभाव को पहिचान लेने के कारण बहूत ही मोहार्द्रपूर्ण होता है। वे किसी सदस्य की कोई भूल देखकर भी

असहिष्णु नहीं बनते, अपितु एक-दूसरे के सहयोग से भूल को सुधारने में लग जाते हैं ।

परिवारों में जब इस प्रकार की सहिष्णुता वृत्ति का विकास हो जाता है तो उनकी सामाजिक क्षेत्र में एक गरिमा स्थापित हो जाती है । प्रत्येक सदस्य के मन में दायित्व की भावना सुदृढ़ बन जाती है कि उसे न तो पारिवारिक गरिमा को स्वयं की अह वृत्ति से कलकित करना है तथा न ही विविध प्रकार के पारिवारिक कर्तव्यों से उसे स्वलित होना है । ऐसे सदस्य तब सहज स्नेह के साथ विशृंखलित परिवार को भी स्वस्थ निर्माण करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं । समुन्नत परिवारों के ऐसे सदस्यों का यही चिन्तन रहता है कि मुझमें अहंकार पैदा न हो और मैं भवकी यथाशक्ति सेवा करता रहूँ । ऐसे चिन्तन से असहिष्णुता के पैदा होने की रोक-तोक को कोई अवसर नहीं रहता है, क्योंकि परिवारों के मुख्य व्यक्तियों में ऐसी सहिष्णुता समाई रहती है कि वह अन्य सदस्यों के लिये भी आदर्श तथा अनुकरणीय बन जाती है ।

मुख्य व्यक्तियों एवं सदस्यों की दृढ़ सहिष्णुता के आधार पर ही पारिवारिक सहिष्णुता का निर्माण होता है । ऐसे परिवार चाहे आशिक रूप ही सही—आध्यात्मिक ध्यान साधना की योग्यता भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि अधिकांशतः उनकी साधना सामूहिक रूप से ही विकसित होती है । ऐसी पारिवारिक सहिष्णुता का सुप्रभाव पूरे सामाजिक वायुमण्डल पर पड़े बिना नहीं रहता । इन वायुमण्डल की प्रेरणा कई अर्ध विकसित अथवा अविकसित परिवार भी ग्रहण करते हैं तथा धीरे-धीरे अपनी गरिमा का निर्माण करते हैं ।

५ सामाजिक सहिष्णुता

समाज भी एक विशेष इकाई है । व्यक्तियों के सामूहिक व्यवस्थित पन्विज्ञ को समाज की मज्जा से अभिहित किया जाता है । केवल जन-समुदाय के एकत्रीकरण को ही समाज नहीं कहा जा सकता । ऐसा समूह तो पशुओं का भी हो सकता है । इसलिये परस्पर निरपेक्ष समूह को समाज न कह कर "समूह" की संज्ञा दी गई है । क्योंकि समाज में परस्पर सापेक्ष दृष्टि से सभी के हित की व्यवस्था का प्रावधान रहा हुआ है ।

जिन व्यक्तियों के समूह से समाज संरचना होती है, उन सभी का उसमें सामान्य हित निहित होता है । उस हित की सुरक्षा हेतु सामाजिक आचार अर्थात् निश्चित रूप में निर्धारित होना है अथवा सतत व्यवहार से एक जीवन्त सामूहिक प्रवृत्ति बन लेती है । उनमें समाज के प्रत्येक सदस्य से समुचित अधिकारी एवं सम्बन्धित कर्तव्यों का बोध रहता है । देशी संहिता का निर्माण सभी की विचार-धारा के साथ विविधत्व रूप से होता है । उनमें वाद में कोई भी

परिवर्तन-परिवर्धन नहीं कर सकता और न ही आचार संहिता अथवा उसमें किये गये विधिवत् परिवर्तनो या परिवर्धनो की अवहेलना ही कर सकता है। जिस समाज में इस प्रकार के सुव्यवस्थित विधि विधान के साथ आचार संहिता का अनुसरण होता हो, वहाँ यह समझा जा सकता है कि सभी सदस्यों के सामाजिक हित सुरक्षित हैं।

किसी भी समाज का सुव्यवस्थित रूप ही राष्ट्रीयता की भूमिका का निर्माण करता है। वैसे राष्ट्र एव समाज के प्रत्येक सदस्य को पारस्परिक सहयोग से विश्वास एव शान्ति का अनुभव होता है। अतः सामाजिक सहिष्णुता का विकास आवश्यक है एव सभी सदस्यों की सहिष्णुता के प्रति जागृति भी। समाज में भिन्न-भिन्न प्रकृति के व्यक्ति सम्मिलित रहते हैं और व्यक्तिगत उत्कर्ष अथवा अपकर्ष के सर्भ में परिस्थितियों की भिन्नता भी रहती है, जिससे सामूहिक सद्भाव को बल देने की दृष्टि से सामाजिक सहिष्णुता आवश्यक है। जहाँ समूह होता है, वहाँ असहिष्णुता को बढ़ावा मिलने के अनेक अवसर आते रहते हैं। अतः जब तक अधिक सख्या में व्यक्ति एव परिवार सहिष्णुता के धरातल पर खड़े नहीं होते, तब तक सामाजिक सहिष्णुता को फल्लवित करने के लिये कठिन प्रयास करने पड़ते हैं। ऐसे वातावरण को सहृदयतापूर्वक बनाना होता है कि विभिन्न व्यक्ति अथवा परिवार ईर्ष्या, घणा, अवनति अथवा ऐसी ही विभाजक वृत्तियों के शिकार न बने और उन्हें पूरे समाज की तरफ से सहिष्णुता पनपाने की प्रेरणा मिलती रहे। व्यक्तिगत वृत्तियों को सामाजिक रूप न दिया जाय जिससे कि अव्यवस्था एव अराजकता व्याप्त न हो। इस दृष्टि से विशिष्ट समाज-संरचना के आधार पर व्यक्ति, परिवार, समाज तथा राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने के लिये सामाजिक सहिष्णुता को जीवन-व्यवहार में साकार रूप देना परमावश्यक है।

सामाजिक सहिष्णुता को प्रधानता देने वाले व्यक्ति कभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ वृत्ति में नहीं डलेंगे। वे सदा सामाजिक हितों को ही प्राथमिकता देंगे। व्यक्ति अपने अहित को सहन कर लेगा किन्तु सामाजिक अहित उसे असह्य होगा। ऐसे समाज में समीक्षण ध्यान की साधना व्यापक एव गहन रूप से साधी जा सकेगी।

६. राष्ट्रीय सहिष्णुता

विश्व की दृष्टि से राष्ट्र भी एक इकाई ही है। अनेक सामाजिक मन्थानों का इसमें समावेश होता है। इस इकाई के अविकारो एव कर्तव्यो का भी विशिष्ट रूप होता है। राष्ट्रीय सुव्यवस्था एव हित की दृष्टि से तदनु रूप विधि-विधानों का प्रावधान भी रहता है। राष्ट्र में व्यक्ति, परिवार तथा समाज

शोध-समीक्षण]

के हितो की विवेकपूर्वक समन्वित व्यवस्था की जाती है। राष्ट्रीय विधि-विधानों का एकांगीण स्वार्थों से परे व्यापक एव सबके लिये न्याय-सगत होना आवश्यक है। ऐसे विधि-विधान निर्माताओं में सर्वांगीण यथार्थ ज्ञान तटस्थ एवं हार्दिक श्रुदाय होना चाहिये। इन आवश्यक गुणों का समन्वय समता के धरातल पर मनोवैज्ञानिक एव आध्यात्मिक लक्ष्य की पूर्ति के साथ सम्भावित है। ये गुण आन्तरिक अनुभूति के ज्ञान के साथ ही अर्थात् अध्यात्म की मुख्यता के साथ ही प्राणवान् बन सकते हैं। आध्यात्मिकता के साथ जुड़े न होने पर भौतिक ज्ञान-विज्ञान निष्प्राण से रहते हैं। वर्तमान में परिलक्षित होने वाली राष्ट्रीय व्यवस्था भले ही विधि-विधान के धरातल पर समीचीन दृष्टिगत होती हो किन्तु इन विधि-विधानों से राष्ट्र के प्रति जो सहिष्णुता उत्पन्न होनी चाहिये, वह आज होती हुई नहीं दिखाई देती है। राष्ट्रीयता के भले ही लुभावने नारे लगते हों, कल्याणकारी योजनाएँ बनती हों, तथाकथित कार्य समितियों का निर्माण कर लिया जाता हो, नवीन कार्य-प्रणालियाँ घोषित की गई हों, अथवा गरीबी और महंगाई को मिटा देने के भरपूर आश्वासन दिये जाते हों, लेकिन उस मूर्खी राष्ट्रीय सहिष्णुता का अभाव-सा दिखाई देता है जिसके प्रभाव से राष्ट्र के नागरिकों में परस्पर सहयोग एव सौहार्द्र का विकास होता है।

राष्ट्रीय सहिष्णुता के प्रश्न पर प्रत्येक भारतीय को गभीरतापूर्वक चिन्तन करना चाहिये कि क्या इसके बिना राष्ट्र के अभीष्ट साध्य की सिद्धि हो सकेगी ? इस प्रकार चिन्तन के क्षणों में यह विदित हो सकेगा कि भारतवासियों ने बाह्य धरातल पर ऊपर-ऊपर से ही सोचने का प्रयास किया है और दूसरों की नकल करने की ही अधिक चेष्टा की है, परन्तु भारतीय राष्ट्र की मौलिक-निधि एव विशिष्टता का, जो समतानुभूति में निहित है, अनुसरण नहीं किया। यदि समतानुभूति का अनुसरण किया होता एव राष्ट्र-धर्म की अनुपालना की होती तो वर्तमान की शोचनीय स्थिति नहीं बनती तथा राष्ट्रीय चरित्र का इस सीमा तक अचमूढ्यन न होता। नैतिकता का नारा तो अवश्य दिया जाता है लेकिन राष्ट्र धर्म को जीवन का अग मानकर तदनुकूल शिक्षण नहीं दिया जाता। नागरिकों में यह भावना उभरनी चाहिये कि राष्ट्र धर्म मेरे जीवन का आवश्यक अंग है, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। मैं राष्ट्रीय सहिष्णुता को धारण करूँगा तथा अन्य नागरिकों की हित साधना के प्रति असहिष्णु नहीं बल्कि उत्तम महामक बनूँगा। जब नागरिकों के जीवन में राष्ट्र धर्म की ऐसी निष्ठा-युक्त प्रतिष्ठा हो तभी राष्ट्रीय सहिष्णुता की प्रभावकारी सम्बल मिल सकता है। वैसी स्थिति में सहिष्णु नागरिकों का सम्मान होना चाहिये। जिसे देखकर असहिष्णु नागरिक भी अपनी असहिष्णुता को त्याग राष्ट्रीय धारा में एक जुट होने लगे। समीक्षण ध्यान की राष्ट्रीय धरातल पर साधना करने का यदि प्रयत्न किया जाय तो राष्ट्रीय सहिष्णुता अधिकाधिक पुष्ट एवं कल्याणकारी स्वरूप ग्रहण करने लगेगी।

७. पड़ोस की सहिष्णुता

संसार के प्रत्येक मानव को दूसरो के सहयोग की अनिवार्य अपेक्षा रहती है। साधनावस्था को अंगीकार करके चलने वाले महात्मा भी सामाजिक वायु-मण्डल की अवस्था से सर्वथा विलग नहीं रह सकते तो फिर गार्हस्थिक अवस्था में रहने वाले मानव का तो कहना ही क्या ? एक मानव जब संसार में रहता हुआ भलीभाँति अपना जीवन-यापन करना चाहता है तब जहाँ भी वह रहता है, उसका पास पड़ोस में रहने वाले अन्य मानवों से सम्पर्क होता है। इस सम्पर्क के बाद सहयोग का सिलसिला भी जुड़ता है तथा पड़ोसियों के मध्य प्रेममय सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। यह सम्बन्ध पारस्परिक सहकार पर आधारित रहता है। सद्भावनापूर्वक सहकार उभय पक्ष के लिये हितावह होता है।

जैसे एक व्यक्ति का पड़ोसी दूसरा व्यक्ति होता है, उसी प्रकार एक परिवार का पड़ोसी दूसरा परिवार होता है। पड़ोसी का अर्थ है प्रतिवेशी—पास में रहने वाला। इसी रूप में समाज भी पड़ोसी होते हैं और राष्ट्र भी एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति-व्यक्ति के बीच सद्भावनापूर्वक सहकार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार का सहकार पड़ोसी परिवारों, समाजों तथा राष्ट्रों के बीच भी होना चाहिये।

यदि कहीं भी पड़ोस की सहिष्णुता का अभाव हो तो व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक का जीवन विश्वस्त एव शान्तिदायक नहीं हो सकता है। एक दूसरे के अस्तित्व को समानता के साथ स्वीकार करने के पश्चात् ही सद्भावना की अभिवृद्धि होती है। पड़ोसियों में अगर समानता का अनुभाव न रहे तथा ऊँच-नीच या वैर-विरोध की भावना विद्यमान हो तो वहाँ सद्भावना एव सहिष्णुता का प्रसार संभव नहीं बनता। वैसी वृत्तियों से पड़ोसियों के बीच दुर्भावना ही जन्म लेती है जो उभय पक्ष को असहिष्णु बनाकर उन्हें शत्रुता की भूमिका पर खड़ा कर देती है। परिणामस्वरूप उन पड़ोसियों का वर्तमान जीवन अशान्ति-मय, एक दूसरे से भयाक्रान्त, तुच्छ स्पर्धाओं से अस्त एव दूसरे को नीचा दिखाने की जघन्य भावना से परिव्याप्त हो जाता है। वे अपने सर्वोच्च लक्ष्य को विस्मृत कर देते हैं। नाथ ही भावी प्रजा का भविष्य भी विगाड देते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की क्षति से अधिक क्षति परिवार को और उससे अधिक क्षति समाज की होती है। परन्तु पड़ोसी राष्ट्र तब सघर्षशील बनते हैं तब हर प्रकार से चहुँत बढ़ी क्षति होती है। यह क्षति असहिष्णुता से उत्पन्न होती है, जिसे योध उत्पन्न करता है।

क्रोध या समीक्षण विधिवत् तभी हो सकती है जब क्रोध के स्वरूप तथा उनके दुःपरिणामों का समीचीन ज्ञान प्राप्त किया जाय। इसे जाने बिना तुच्छ

मे तुच्छ वातो पर भी क्रोध भटक उठता है एव अमहिष्णुतामय कटुता का वातावरण बना देता है। परिणाम यह निकलता है कि मानसिक नियंत्रण हगमगा जाता है जिनके कारण स्व-पर के हिताहित का भान नहीं रहता।

इस दृष्टि से पड़ोस की सहिष्णुता का विकास व्यक्ति के स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अति आवश्यक है। सहिष्णुता का विकास होने पर पारस्परिक सहयोग का सम्बन्ध भी अधिक प्रेममय एव मधुर बन सकेगा। समीक्षण दृष्टि एवं समता के प्रसार के लिये वैसा वातावरण बहुत ही उपयुक्त रहेगा।

८ नैतिक सहिष्णुता

जो व्यवहार मानव को अपने जीवन के परमोच्च लक्ष्य की ओर अग्रसर करे वह नीति है। सामाजिक दृष्टि से जिस आचरण से परस्पर का सद्व्यवहार मधता हो, एक दूसरे का एक दूसरे के प्रति विश्वास बराबर निभता हो, बल्याणकारी सामाजिक विघानों की निष्ठापूर्वक अनुपालना होती हो, वह व्यवहार, नैतिकता कहलाती है। इस नैतिकता में यदि भ्रान्तिवश अथवा किसी व्यक्ति के कदाचार के कारण विश्रु खलता आती हो, उस समय में सहिष्णुता की आवश्यकता होती है जिनमें सद्भावना के साथ उस विश्रु खल वृत्ति का उपशमन किया जा सके। सहिष्णुता के अभाव में पारस्परिक व्यवहार अवरुद्ध हो सकता है और कटुता की भावना भी फैल सकती है। इस कारण केवल ऊपरी व्यवहार को ही नैतिकता का आधार-स्तम्भ न मान कर उसमें आत्मीयता तथा आध्यात्मिक भावों का पुट दिया जाना चाहिये।

जो व्यक्ति आत्मीयता के साथ नैतिकता का मूल्यांकन करता है, वह पारस्परिक व्यवहार को ही मात्र कसौटी न मान कर आन्तरिक अनुभूति को सबसे बड़ी कसौटी मानता है। आत्मानुभूति के साथ वह नोचता है कि मैं जो कुछ भी अन्य के साथ सद्व्यवहार कर रहा हूँ, वह मेरी अपनी आत्मशुद्धि के लिये पड़े है। इस निमित्त मैं अपने कर्मों का विमोचन कर रहा हूँ, अतः इन सद्व्यवहार के द्वारा मैं अन्य का कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ। इसके निमित्त मैं मुझे स्वर्णावसर मिला है कि मैं पारस्परिक सहयोग में स्व-पर विकास साथू तथा अपनी सहिष्णुता में वृद्धि करूँ। अतएव मेरा कर्तव्य बनता है कि जो सतार्थ में कर्म और जितके लिये करूँ, वह सर्वप्रथम मेरा ही हितकार्य है। मैं यह क्यों नहीं कि दूसरा मेरे प्रति सद्व्यवहार नहीं करता तो मैं उसके प्रति सद्व्यवहार क्यों करूँ ? मुझे अपने किये उपकार का अनुपकार भी नहीं चाहिए। मेरा नाचने और करने का प्रयत्न स्वार्थ में नैतिक बनावण।

दूसरा मैं इस प्रकार की नैतिकता का प्रमाण हो तो ही सभी क्षेत्रों में सहायकार्य स्थापना स्थापित हो सकती है। धार्मिक ही ही प्रवर्तक नैतिकता

है, वह एक दृष्टि से सच्ची नैतिकता नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ के कई हेतु समाये हुए रहते हैं। उन हेतुओं की सम्पूर्ति तक तो सद्व्यवहार चलता है लेकिन बाद में व्यवहार पलट जाता है। यदि स्वार्थ पूर्ति में विघ्न उत्पन्न हो जाय तो वही दिखावटी सद्व्यवहार असद्व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है। नैतिक सहिष्णुता और सद्व्यवहार वास्तविक वही कहलायेगा जो भले एक ओर से ही हो, फिर भी टूटे नहीं। नैतिकता का धनी यह अपेक्षा नहीं रखता कि सामने वाला भी वैसा ही व्यवहार करे। उसका सद्व्यवहार अपनी आत्मानुभूति पर आधारित होता है, सामने वाले के व्यवहार पर नहीं। सामने वाले के असद्व्यवहार को भी वह समभाव से सहन करता है तथा अपने सद्व्यवहार को न छोड़ने की आत्मीय निष्ठा को परिपुष्ट बनाता है। नैतिक सहिष्णुता इस प्रकार "वसुधैव कुटुम्बकम्" तक पहुँचाने वाली एक महत्त्वपूर्ण साधना बन सकती है।

६ साम्प्रदायिक सहिष्णुता

सम्प्रदाय शब्द की व्युत्पत्ति होती है—सम्यक्-प्रदाय। प्रदाय या प्रदान कई प्रकार का हो सकता है, परन्तु यहाँ पर प्रदान का तात्पर्य विचार एवं सद्भावना के रूप में है। सम्यक् अर्थात् सत्य विचारों का, एक-दूसरे को आदान-प्रदान करना। यह आदान-प्रदान भी समत्व भाव की साधना के लिये होना चाहिये। जब मानव विषमता की भट्टी में भुलसता है तब वह अपनी उस जलन से बचने का मार्ग ढूँढता है। वह उस समय यदि समता की पराकाष्ठा को पाने वाले विशिष्ट साधक का सयोग पा जाता है तब वह विषमता की समाप्ति तथा समता की प्राप्ति के लिये अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है। वीतराग विधि से जब उसे समतामय उपदेश सुनने को मिलता है तो वह उसे ग्रहण करने की अभिलाषा बनाता है। वीतराग-विधि को समग्र रूप से कोई विशिष्ट पुरुष ही ग्रहण कर पाते हैं। जन-साधारण की समझ उतनी गूढ नहीं होती है कि जिससे वे इस विधि को त्वरित गति से ग्रहण कर सकें। कदाचित् कुछ व्यक्ति ग्रहण करने वाले भी सामने आते हैं परन्तु समग्र विधि को एक साथ ग्रहण नहीं कर पाते हैं। कुछ विषय कुछ व्यक्ति ग्रहण करते हैं तो कुछ विषय अन्य व्यक्ति ग्रहण करते हैं। परिणामस्वरूप दोनों वर्गों के व्यक्ति अधूरे ही रहते हैं। अतः ऐसे जिज्ञासु अलग-अलग न रहकर एक साथ अवस्थान कर लेते हैं एवं परस्पर सम्यक् विचार विनिमय द्वारा उस अवस्था को जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं। ऐसी जिज्ञासा वाले अन्य व्यक्ति भी उसमें सम्मिलित होकर समता के आधार पर व समन्वय के आधार पर राग-द्वेष को जीत लेने का प्रयास करते हैं। मगर सत्य का स्वरूप अतिशय विराट् है, अतः पूरी तरह वह जब पकड़ में नहीं आता तो सभी का दृष्टिकोण आशिक बन जाता है। कभी किसी विषय में मतभेद या उल्लङ्घन पैदा हो सकती है। वैसे तो महिला वर्ग, पुरुष वर्ग की अपेक्षा

राग-द्वेष में विमुक्त होने के लिये समता की साधना में भाग लेने का अधिक इच्छुक होता है किन्तु उसमें भी आशिक ज्ञान के कारण उलझनों का पैदा हो जाना स्वाभाविक है। उभय वर्गों की ऐसी उलझनों को समाहित करने की आवश्यकता रहती है। लेकिन वह समाधान समान स्तर के साधकों में होना शक्य नहीं होता। ऐसे समाधान की समाहित के लिये उन सभी साधकों को अपेक्षा रहती है कि कोई विशिष्ट साधक अपनी सत्संगति प्रदान करे जो परिपूर्णता की परिधि को पा चुका हो। ऐसा परिपूर्ण स्वरूप होता है, परम वीतराग अवस्था को प्राप्त करने वाले सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी भगवान का, जो अपने आप में तो कृतकृत्य हो चुके होते हैं किन्तु अन्य भव्य जनो के हित के लिये भी करुणा के सागर बनकर वीतरागता-पूर्वक समता के सर्वोच्च स्वरूप को प्राप्त करने का भव्योपदेश देते हैं। उनका उपदेश सामूहिक रूप से सार्वजनिक कल्याणार्थ होता है। अतः उनके उपदेश को मुमुक्षुजन अपनी योग्यता के अनुसार यथाशक्ति जीवन में उतारने हेतु प्रयत्नशील बनें एवं आत्म-कल्याण का मार्ग प्रशस्त बनाते हुए ऊर्ध्वमुखी स्वरूप के अनुगामी बनें, एतदर्थ तीर्थंकर देव चार तीर्थों की स्थापना करते हैं जिससे चतुर्विध सध की निर्मिति बनती है। उस सध के साधकों में गुण कर्मानुसार वर्ग का स्वरूप भी सामने आता है। वह वर्ग चार विभागों में विभक्त रहता है। यथा—साधु-साध्वी श्रावक एवं श्राविका। साधु एवं साध्वी ये दोनों वर्ग यथाशक्ति आत्म-साधना में नग्न्य होने के लिये पाँच महाव्रतादि नियमों को साकार रूप देकर चलते हैं। ऐसी क्षमता गृहस्थाश्रम का स्वरूप लेकर चलने वाले साधकों में नहीं होती। अतएव वे आशिक अहिंसादि व्रतों को स्वीकार करके चलते हैं। उनमें जिनका भी प्रवेश होता है, उन सभी के दो वर्ग बनते हैं। श्रावक वर्ग और श्राविका वर्ग। इस प्रकार जिस चतुर्विध सध की मरचना तीर्थंकर देव करते हैं, वही चतुर्विध संघ कहलाता है। उस सध में साधक तीर्थंकर देवों के द्वारा दिये गये उपदेश को हृदयगम करने के लिये परस्पर के विचारों का सम्यक् प्रकार से आदान-प्रदान करते हैं। उन साधकों में परस्पर के आदान-प्रदान करने पर भी नग्न्यकरोत्या समाधान नहीं बन पाता है तो वे अनाग्रही बनकर तीर्थंकर देव के समीप पहुँचते हैं और तीर्थंकर देव जो समाधान देते हैं उनको वे सभी साधक सहस्रं श्योकार करते हैं। तीर्थंकर देव की अनुपस्थिति में तीर्थंकर देव के उत्तराधिकार को लेकर चलने वाले सध नायक (तृतीय पद, आचार्य देव) के पान पहुँचते हैं और वहाँ उनका समाधान हो जाता है। क्योंकि उन सभी साधकों का वह वरिष्ठ पद है और चतुर्विध सध का उम वरिष्ठ पद में अनग्न्य विश्वास होता है। साथ ही तीर्थंकर देवों की अविरामानता की पूर्ति भी हो जाती है। अतएव जहाँ भी संघ है वहाँ पर सधपति अनिवार्य रूप से होते हैं। यह सध भी एक प्रकार से व्युत्पत्त्य-संघ 'सम्प्रदाय' का खोना करने वाला है। इन सध व्यवस्था में रहना दुष्प्रासादक आत्म-सन्धान करने में सफलता प्राप्त करना है। इस प्रकार की व्यवस्था में सध में साधकों की स्थिति चिन्तनीय बन जाती है और वे स्वयं, स्वयं की

मति से कार्य करते हुए इतने आग्रहशील हो जाते हैं कि जिससे कषाय की अभिवृद्धि के साथ-साथ ससार की भी अभिवृद्धि कर बैठते हैं। ऐसे साधको का कदाचित् कोई समूह हो भी सही तो वह सम्प्रदायवाद की सज़ा पाता है। व्युत्पत्ति-परक अर्थ से वह समन्वित नहीं होता है। अतएव सम्प्रदाय शब्द के व्युत्पत्त्यर्थ से सम्बन्धित सघ (सम्प्रदाय) ही आत्म-शुद्धि में सहायक होता है। ऐसे सघ में केवल आध्यात्मिक लक्ष्यो की प्राप्ति हेतु सद्विचारो का आदान-प्रदान अहिंसादि नियमो की स्वच्छ परिधि में किया जा सकता है। स्वच्छ परिधि के अभाव में वह सम्भव नहीं होता है। इसे एक उदाहरण से समझें। दस हजार पाँवर के प्रकाश को प्रकट करना है तो उसके अनुरूप ही स्वच्छ काच आदि के बल्व की जरूरत होगी। यदि आवश्यक स्वच्छ काच आदि का प्रयोग न किया जाय और उसकी उपयुक्त परिधि नहीं बनाई जाय तो विद्युत् का कितना ही पाँवर क्यों न हो, उसका वाञ्छित लाभ उठाया नहीं जा सकेगा। बल्व की परिधि जब तक पूर्ण स्वच्छ नहीं होगी, उतना प्रकाश प्रकट नहीं किया जा सकेगा। अतएव अहिंसादि की पवित्र मर्यादाओ में रहते हुए जिस समूह का स्व-पर कल्याण हेतु समता प्रधान अनुसंधान चलता हो, वह सम्प्रदाय विश्व के कल्याण हेतु नितान्त आवश्यक है।

इस प्रकार के सवप्राणभूत हितकारी सम्प्रदाय में पारस्परिक सहिष्णुता का भी पर्याप्त सामर्थ्य विकसित हो जाता है। कोई व्यक्ति कितना ही असहिष्णु बन कर और उत्तेजना प्रकट करके वैसे स्वच्छ सम्प्रदाय पर प्रहार करे और प्रतिशोध की आग भड़काना चाहे, लेकिन उस आवेशपूर्ण स्थिति में भी वह स्वच्छ सम्प्रदाय पूर्णतया सहिष्णु बना रहता है तथा अपनी सहिष्णुता से उम व्यक्ति में भी सहिष्णुता जगाने का उपक्रम करता रहता है। उम सम्प्रदाय के साधक असहिष्णुता के प्रति भी सहिष्णुता का ही परिचय देते हैं।

क्षमा, मैत्री, प्रमोद एवं माध्यम्य भावों को वह सम्प्रदाय सर्वोच्च स्थान देता है, जिनके आधार पर साम्प्रदायिक सहिष्णुता इतनी मक्षम हो जाती है कि वह अपने सद्व्यवहार से घोर असहिष्णुओं को भी सहिष्णु बना सकती है। ऐसे लोक कल्याणकारी सम्प्रदाय में उन समूहों को अलग रखना होगा जो अर्थ दृष्टि की प्रधानता में, मत्ता एवं सम्पत्ति की लालसा से अथवा मानव जाति को विखंडित करने वाले अधूरे मत-पथ की धुन से स्थापित किये जाते हैं। ऐसे संगठन अपने ही कपोल-कल्पित सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हैं, जिनमें मानव या प्राणी हित का लक्ष्य न होकर व्यक्तिगत वर्चस्व को ऊपर उठाने की लालसा होती है। मत्ता में सम्बन्धित जो ऐसे संगठन होते हैं, वे चाहते हैं कि राजसत्ता उन्हीं के हाथों में रहे। वे अन्य को मत्ता में सहन नहीं कर सकते। अर्थ दृष्टि की प्रधानता वाले ऐसे संगठन भी आर्थिक शक्तियों को अपने ही अधिकार में थामे रखना चाहते हैं और उनमें प्राप्त लाभों को भी उमी प्रकार केन्द्रीकृत बनाना

क्रोध समीक्षण]

चाहते हैं। इस प्रकार के लिप्सु संगठन अत्यन्त असहिष्णु होते हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। ये हिंसा, शस्त्र, विग्रह और युद्ध के उपायों में विश्वास रखते हैं तथा अपनी शक्ति के प्रदर्शन से साधारण लोगों को भयभीत करते रहते हैं। ये समूह राग-द्वेष एवं विषमता के गहरे रंग से स्वयं रंगे हुए होते हैं और सारे वातावरण को वैसा ही रूप देने की चेष्टा में लगे रहते हैं। इनकी सक्रियता की परिवर्ध्याँ कलुषित एवं कलकित आवरणों से युक्त होती है। ऐसे घेरो में स्वच्छ प्रकाश का तो अभाव ही रहता है, इसका कारण यही है कि इन संगठनों में अमत् एव हिंसाकारी भौतिक सत्ता तथा सम्पत्ति सम्बन्धी ललक ही होती है एव उनको प्राप्त करने के लिये असद् आचार-विचार की प्रधानता रहती है। सम्प्रदाय शब्द का शुद्ध अर्थ तो उसे छू भी नहीं पाता है। फिर भी आज ऐसे संगठन सम्प्रदाय के नाम से पुकारे जाते हैं, जिनका रूप असहिष्णुता के साथ बाहर प्रकट होता है। ऐसी तथाकथित साम्प्रदायिकता के माध्यम से हिंसा, अराजकता एवं अव्यवस्था आदि का ताडव जनमानस के सामने आता है। ऐसी घृणा प्रसारिणी साम्प्रदायिकता की मनोवृत्ति का सुज पुरुष निषेध करते हैं और उससे बचकर चलने का परामर्श देते हैं। वस्तुतः ऐसी साम्प्रदायिकता सहिष्णुता समाज, राष्ट्र तथा विश्व के लिये अहितकर, अकल्याणकर एव हेय होती है।

इस रूप में स्वच्छ सम्प्रदाय तथा सम्प्रदाय के नाम को बदनाम करने वाले सत्ता व सम्पत्ति लिप्सु संगठनों के बीच रहे हुए भेद को गम्भीरता से समझ लेने की आवश्यकता है। सम्प्रदाय शब्द की व्युत्पत्ति के साथ जो वास्तविक व्याख्या की गई है उसकी गूढता को भी भलीभाँति समझ लेने की आवश्यकता है। वास्तविक सम्प्रदाय का मूलाधार अहिंसा, अपरिग्रह एव समता पर टिका हुआ माना गया है, जो प्रत्येक मानव को शान्ति एव कल्याण का मार्ग दिखाता है। ऐसा स्वच्छ सम्प्रदाय जाति, व्यक्ति, पार्टी आदि अथवा भौतिक सत्ता या सम्पत्ति के आधार को कोई महत्त्व नहीं देता। वह तो चैतन्यमय जागृति तथा कर्तव्य परायणता की अभिवृद्धि करते रहने में लगा रहता है।

वस्तुतः सम्प्रदाय नाम ने बोधित होने वाला साधको का संगठन प्राणी-मात्र के माध्य आत्मीयता के व्यवहार का सन्देश देता है, समता की साधना को व्यक्ति से लेकर परिवार समाज, राष्ट्र तथा विश्व तक प्रसारित करना है एव स्व-पर-कल्याण की भावना को प्रगाट बनाता हुआ सर्वोच्च परमात्मा पद को प्राप्त कराने वाले पथ पर अग्रसर बनने की प्रेरणा प्रदान करता है। ऐसे ही संगठन के सम्बल से परमात्मा पद को प्राप्त करने का सामर्थ्य भी अभिवृद्ध होत है। भव्य और कल्याणकारी सहिष्णुता जिस नायक के आत्म-स्वरूप में पलकित और पुष्पित-फलित होती है, वह साधक समता लोक में अन्तश्चेतना का साधक

त्कार करता हुआ एक न एक दिन उच्चतम परमात्मा का अधिकारी बन सकता है ।

अतः साम्प्रदायिक सहिष्णुता के विज्ञान को हस चन्चु के समान मानना चाहिये जो अपने विवेक-विकास से दूध और पानी को ही अलग नहीं करती बल्कि दूध-दूध के भेद को भी स्पष्ट कर देती है । दूध-दूध में कितना ही भेद होता है । एक माता का दूध होता है तो गाय का दूध भी होता है । साथ ही भैंस, बकरी आदि के दूध भी होते हैं । सिंहनी का दूध भी दूध ही कहलाता है तथा आकडे-घतूरे का दूध भी सफेद ही होता है और दूध के नाम से ही अभिहित होता है । लेकिन क्या सभी दूध एक से होते हैं ? दूध को मात्र नाम से ही नहीं बल्कि विवेकशील पुरुष गुणों से पहचानते हैं । वे हेय, ज्ञेय और उपादेय की दृष्टि से विश्लेषण कर यथायोग्य ग्रहण बुद्धि का परिचय देते हैं । इसी प्रकार साम्प्रदायिक संरचना के सम्बन्ध में भी बुद्धिमान् पुरुषों को स्वयं की विवेक-प्रज्ञा का उपयोग करना चाहिये तथा तुलनात्मक रीति से यथार्थ स्वरूप को पहिचान लेना चाहिये । वैसी स्थिति में सहिष्णुता की कसौटी पर सूर्यालोक के सदृश सत्य वस्तुस्थिति का स्पष्ट ज्ञान हो जायगा ।

१०. आध्यात्मिक सहिष्णुता

आध्यात्मिक साधना एक महत्त्वपूर्ण साधना होती है । इस साधना के साथ सम्बन्धित साधक को आध्यात्मिक सहिष्णुता का सामर्थ्य अर्जित करना ही चाहिये । इसके बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में गतिशीलता सम्भव नहीं होती है । आध्यात्मिक क्षेत्र में जीवन का प्रवेश ही अति दुरूह माना गया है । क्योंकि आत्म-स्वरूप की गहन परतों का उद्घाटन करने में सक्षम होना उसके लिए अनिवार्य शर्त है । इस क्षेत्र में तो गहरे से गहरे उतरते रहने की आवश्यकता होती है । उस अवस्था का साक्षात्कार उसी स्तर की गहनता में डूबकी लगाने पर शक्य होता है । किन्तु अत्यन्त गहन विषय का बाह्य स्वरूप भी होता है । जैसे जमीन में फँसी हुई किसी वृक्ष की जड़ें बाहर नहीं दिखाई देती लेकिन शाखा-प्रशाखाओं और फूलों, पत्तों व फलों द्वारा उस वृक्ष का बाह्य स्वरूप दीखता ही है । उस वृक्ष की जड़ों का साक्षात्कार करने के लिए उसके बाहरी स्वरूप को ही सम्मुख रखकर अन्वेषण प्रारम्भ किया जाता है । इसे शास्त्रानुसार अनुमान प्रमाण कहते हैं । अगर जड़ें न होती तो फूल, पत्ते व फल भी नहीं होते । यदि वृक्ष की पत्तियाँ शुष्क हो अथवा रोग-ग्रस्त हो तो उन पत्तियों की प्रकृति के आधार पर वृक्ष के अदृश्य भाग की प्रकृति का अनुमान लगाया जा सकता है । उन शुष्क एवं रोग-ग्रस्त पत्तियों को देखकर अन्वेषणकर्ता खिन्न नहीं होता अपितु चिन्तन करता है कि एक ही वृक्ष पर दो किस्म की पत्तियाँ क्यों हैं ? एक किस्म की पत्तियों पर तो हरियाली की आभा है किन्तु दूसरी

किस्म की पत्तियों पर शुष्कता की रक्षता है। इसका क्या कारण है? दोनों में अन्तर होने के हेतु अलग-अलग होते हैं। यदि सूर्य की प्रखर किरणों से या शीत भरी हवाओं से पत्तियों के सूखने का प्रसंग आता है तो पूरे वृक्ष की सभी पत्तियाँ सूखती हैं। परन्तु यह बाह्य निमित्त शुष्कता का कारण तब तक नहीं बन सकता, जब तक कि अन्तरंग हेतु यथार्थ रूप में रहे। अन्तरंग हेतु यथार्थ रूप में रहे तो सूर्य की प्रखर किरणें अथवा शीत भरी हवाएँ पत्तियों को सुखा नहीं सकती। जड़ों की ताकत से वे हरी भरी रहती हैं।

अन्वेषक साधक इस प्रकार के वृक्ष-विशेषों का जब अन्वेषण प्रारम्भ करता है तब वह दृश्य-भाग को माध्यम बनाकर ही आगे बढ़ता है। यह उस साधक की सहिष्णुता अथवा असहिष्णुता होती है कि शुष्क के विषय पर चिन्तन करता हुआ कितनी गहराई तक पहुँच पाता है। इसे आध्यात्मिक सहिष्णुता कहेंगे कि वह शुष्क से विषयो पर चिन्तन करते हुए खिन्न अथवा असहिष्णु नहीं बनता है तथा चिन्तन की गहराइयों में उत्साहपूर्वक गति करता हुआ चला जाता है। वही साधक आगे के अन्वेषण में भी सफलता प्राप्त करता है।

मानव जीवन को भी एक प्रकार से वृक्ष की उपमा दी जा सकती है। इस जीवन की कई महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ बताई गई हैं। समग्र विश्व में आत्माएँ निज कर्मानुसार विभिन्न शरीर-पर्यायों को धारण करती हैं। उन सभी शरीर पर्यायों में मानव शरीर को ही सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। जन-साधारण की दृष्टि में देव-शरीर का विशेष मूल्य माना जाता है, जो भौतिक समृद्धि तथा वैभव आदि की दृष्टि से वास्तव में बढ़ा-चढ़ा हुआ होता है। लेकिन जो आत्मिक प्रगति मानव शरीर के माध्यम से साधी जा सकती है वह देव-शरीर से नहीं। मनुष्य शरीर पर्याय में रहती हुई आत्मा ही सर्वोच्च साधना से सम्पन्न बन सकती है। भौतिक साधना की अपेक्षा आन्तरिक अर्थात् आध्यात्मिक साधना ही सभी साधनाओं में श्रेष्ठतम होती है। अतः आध्यात्मिक साधना ही सर्वाधिक महत्त्वशाली है।

आध्यात्मिक साधना के परिपूर्ण रूप से सध जाने पर अन्य सभी प्रकार की साधनाएँ स्वतः ही सिद्ध हो जाती हैं। अवशेष कुछ भी नहीं रहता। इसीलिये कहा गया है—“एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाय।” महावीर प्रभु ने भी उद्धोषित किया है कि—

जे एग जाणइ, से सब्ब जाणइ ।

जे सब्ब जाणइ, से एग जाणइ ॥

अर्थात् जो एक स्वरूप को सर्वाङ्गीण एवं पूर्ण रूप से जानता है, वह समग्र स्वरूपों को सर्वाङ्गीण एवं पूर्ण रूप से जानता है तथा जो समग्र स्वरूपों को सर्वाङ्गीण एवं पूर्ण रूप से जानता है, वही एक स्वरूप को सर्वाङ्गीण एवं पूर्ण रूप से जानता है।

यहा जिस एक स्वरूप का सकेत किया गया है, वह स्वरूप अथवा तत्त्व आत्मा है। जो इस आत्म-स्वरूप को सर्वांगीण एव पूर्ण रूप से जान लेता है तथा उसका साक्षात्कार कर लेता है, वह समग्र जड-चेतन, रूपी-अरूपी तत्त्व-स्वरूपों का विज्ञाता हो जाता है। ज्ञान का माध्यम आत्म-तत्त्व ही है। अन्य तत्त्व सवेदनशील न होने के कारण जड हैं। अतः अन्य का विज्ञाता रूप से माध्यम नहीं बन सकते हैं। आत्मा भी मानव-शरीर पर्याय में रहती हुई योग्य विकास साध लेने के बाद ही स्वसवित्ति से समग्र विश्व का विज्ञान करने की क्षमता वाली बन सकती है। पहले वह निज की सवेदनशीलता को समझती है और फिर उसके आधार पर सम्यक् निर्णायक शक्ति से सम्पन्न बनती है। इतना विकास साध लेने पर ही वह आगे की गति-प्रगति को साधने में समर्थ बनती है। स्व-सम्यक् निर्णायक शक्ति समता की भूमिका पर, सहिष्णुता की सीढियाँ चढ़ कर ही सम्पादित की जा सकती है। जैसा कि ऊपर मानव जीवन को वृक्ष की उपमा से उपमित किया गया है, उस उपमिति की दृष्टि से मानव पर्याय के अन्तरतम में सत्ता रूप से समग्र स्वरूप को जानने की एव देखने की योग्यता शक्ति रूप में विद्यमान है किन्तु आवृत बनी हुई है। उस योग्यता को अनावृत करने के लिये प्रारम्भिक अन्वेषण सामान्य जनो द्वारा अनुभूत दृश्यों से आरम्भ किया जाता है। आन्तरिक प्रतरो के बीच में होकर आने वाली आन्तरिक ऊर्जा सामान्य जन के समक्ष विकृत रूप में प्रकट होती है। उस विकृत रूप के दृश्यों को देह प्रकम्पन, टेढ़ी भौंहो, लाल नेत्र, फडफडाते हुए होठ और कटकटाती दंत पक्ति के द्वारा वीभत्स एव उत्तेजित करने वाली प्रवृत्ति के साथ जब प्रकट किया जाता है, तभी सामान्य जन उस प्रवृत्ति को क्रोध के रूप में पहिचान पाते हैं। बाह्य रूप से प्रकट होने वाली इस क्रोधावस्था को शुष्क एव रोगग्रस्त पत्तियों के समान समझे, जिन्हे देखकर आन्तरिक विकृत रूप के दृश्यों का अन्वेषण किया जाता है। जब अनुकूल अप्रशस्त राग के रूप में मुखाकृति की वृत्तियाँ अनुभूत होने लगती हैं तब वे हरी-भरी पत्तियों के समान दिखाई देती हैं। इस प्रकार की दृश्यावस्थाओं से ही साधक अपनी अन्तर्यात्रा का अन्वेषण प्रारम्भ करता हुआ आन्तरिक स्वरूप में या यो कहे कि आध्यात्मिकता में प्रवेश करने का प्रयत्न करता है।

इसी सत्य का उद्बोधन महावीर प्रभु ने आचारांग सूत्र में दिया है और बतलाया है कि "जे कोहदसी, से मारणदसी"—जो साधक क्रोध को देखता है, वह मान को देखता है। इस कथन में क्रोध को देखने का क्या अभिप्राय है? कैसे देखता है क्रोध को देखने वाला मान को? इसका कुछ भी स्पष्टीकरण उपलब्ध साहित्य में दृष्टिगत नहीं हो पा रहा है। पूर्व के सुज्ञ पुरुषों ने इन सूत्रों के रहस्य को क्यो अभिव्यक्त नहीं किया, यह तो वे महानुभाव ही जाने, किन्तु वीतराग देवो ने जो इस सूत्र का सकेत दिया है, वह ज्ञान-विज्ञान के अनेक रहस्यों

से परिपूर्णा लगता है। इन्हे अनन्तगम वाले सूत्र भी कह सकते हैं। किन्तु उस अनन्तगम का जब तक अवबोध नहीं होगा, तब तक वीतराग देव के इनसे सम्बन्धित अमूल्य उपदेश का समीचीन लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। उन गमों को बाह्य परिवेश में अथवा भौतिक दृश्यों की स्थिति से पूरी तरह नहीं समझा जा सकेगा। उनका अवबोध करने के लिये अहिंसादि, आन्तरिक अनुसंधानों के साथ समतानुभूति के आधार पर समझने का प्रयास किया जाय तो यथा विकास यथा योग्य अवस्थान से साधक समझ सकता है एव अन्तर्पथ पर चल पड़ने की क्षमता भी अर्जित कर सकता है।

इसी सदर्भ में यहाँ यत्किञ्चित् रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रयत्न में वीतराग देव के आशयानुरूप अभिव्यक्ति यदि सुज्ञों को प्रतीत हो तो वे इसको ग्राह्य मानकर अन्तर्पथ पर गति करने का उपक्रम करें।

क्रोध दर्शिता का अनुसंधान

आचाराग सूत्र में प्रभु महावीर ने जो यह फरमाया है कि—“जे कोह-दसी, से माणदसी” आदि, इसके सारगर्भित अर्थ को अन्तरानुभूति के गम्भीर क्षणों में ही समझा जा सकता है। बाह्य पदार्थों के समान क्रोध को इन चर्म-चक्षुओं से देखपाना संभव नहीं है, परन्तु क्रोध कर्मवर्गणा के अन्तर्गत पौद्गलिक स्कन्ध स्वरूप ही होता है। वह जब सत्ता अवस्था में रहता है, तब उसका अनुसंधान होना अति ही कठिन होता है, किन्तु जब क्रोध उदयावस्था को प्राप्त होता है उस समय उसकी परिणति स्थूल रूप को धारण कर लेती है, अर्थात् उसके लक्षण स्थूल रूप में प्रकट हो जाते हैं। जिनके आधार पर उसे समझ लेना कठिन नहीं रहता। उस समय मन, वचन, काया की परिणति उस वर्गणा से प्रभावित होकर प्रवृत्त होती है। वह प्रवृत्ति जब शरीर के बाह्य भाग में झलकने लगती है, तब अन्य व्यक्ति उसकी आकृति के क्रोध की अवस्था को अनुमान से समझ जाते हैं। वे उसे आन्तरिक अवलोकन से नहीं समझते हैं। अनुमान से उन्हें जो जानकारी उपलब्ध होती है, उस जानकारी को नीरस व शुष्क पत्तों की तरह देखते हुए वे उसके मूल को अन्वेषित करने के लिये प्रवृत्त होते हैं। कुछ क्षणों पूर्व उस पुरुष की आकृति हरी-भरी पत्तियों के समान मनोहर दिखाई दे रही थी, वही कुछ क्षणों के पश्चात् शुष्क पत्तियों की तरह रूख बयो हो गई ? यह किस हेतु का परिणाम था ?

क्रोध के प्रकटित बाह्य रूप को देखकर अनुसंधानकर्ता क्रोध रूपी वृक्ष की अतरंग जड़ों को खोजने के कार्य में आगे बढ़ते हैं। भीतर में दोनों अवस्थाओं का मूल एक ही मालूम होता है, पर दोनों की परिणति में अन्तर दिखाई देता है। अभीष्ट पर-पदार्थ को आत्मीय भावना से प्राप्त करने पर हरियाली रूप

प्रसन्नता अभिव्यक्त हो रही थी। कुछ समय पश्चात् उसी प्राप्त अभीष्ट पर-पदार्थ के अपहरण अथवा विनष्ट होने का प्रसंग उपस्थित हो गया तब उस अनभीष्ट अवस्था को समाप्त करने के लिये मूल से ही अग्नि-शस्त्र के समान जो परिणति अभिव्यक्त हुई, वही शुष्क पत्तियों के तरह की आकृति बनाने वाली सिद्ध हुई। अतएव इन दोनों का जो मूल है, वह क्रोध रूपी कर्म स्कन्ध के रूप में है। उस स्कन्ध को देखने के लिए उसके अनुरूप उसी धरातल पर प्रवेश पाने वाली दृष्टि की उपलब्धि अति आवश्यक है।

भौतिक वैज्ञानिक युग में आपेक्षिक सूक्ष्म को देखने के लिये उसके अनुरूप सूक्ष्म दर्शक यंत्र की आवश्यकता रहती है। वह सूक्ष्म दर्शक यंत्र भी उस अवस्था से (दृश्य तत्त्व की अपेक्षा) कई गुना सूक्ष्म होता है। तभी वह उस सूक्ष्म को कई बड़े आकार में दिखा सकता है। यह तो एक भौतिक रूपक है, परन्तु अभौतिक अवस्था से अनुप्राणित क्रोध रूप स्कन्ध को देखने के लिये अभौतिक सूक्ष्मतम यंत्र के सदृश आन्तरिक दृष्टि के पौनपन की आवश्यकता रहती है। वह आन्तरिक दृष्टि समता से युक्त तथा किन्हीं भी कर्म-स्कन्धों से अप्रभावित होनी चाहिये। ऐसी दृष्टि का विकास जब तक नहीं होगा, तब तक पुरुष अभौतिकता से अनुरजित क्रोध रूप स्कन्ध को देख नहीं पाएगा। वैसी स्थिति में वह वस्तुतः आन्तरिक अनुभूति से “कोह दसी” नहीं होगा। जो “कोह दसा” नहीं हो सकता, वह “माण दसी” भी नहीं हो सकेगा। इस दृष्टि से अन्तर्यात्रा के पथिक को चाहिये कि वह सबसे पहले अन्तराभिमुखी लक्ष्य बनाकर आन्तरिक अवस्थाओं को देखने का अभ्यास वने। इस अभ्यास में उत्साह की निरन्तर अभिवृद्धि हो और उम दृष्टि को पाने के लिये जागरूक अभिलाषा बनी रहे।

अभ्यास की इस पद्धति के लिये समय की भी अपेक्षा रहती है। नियत समय पर किया जाने वाला अभ्यास विशेष सबल बनता है। अभ्यास का मुख्य माध्यम मस्तिष्क होता है, जिसमें अनुवाशिक सस्कारों के साथ-साथ वर्तमान से सम्बन्धित वायुमण्डल-जनित सस्कार भी अपना प्रभाव रखते हैं।

वर्तमान कालिक वायुमण्डल की मुख्य धाराएँ विविध रूपों में विभाजित हैं। दृष्टि प्रसार करने पर आज का समार और उसके क्रियाकलापों का नक्शा मस्तिष्क में जमने लगता है। पुनः-पुनः उन दृश्यों को देखते रहने से एक प्रकार के स्थायी भाव की अवस्था का निर्माण हो जाता है। वे मस्तिष्क में अपना स्थान बना लेते हैं। ऐसा स्थान वे दृश्य अधिक बना पाते हैं जिन्हें आसक्ति भाव के साथ ग्रहण किया गया होता है। इन दृश्यों के केन्द्र तथा उपकेन्द्र भी भीतर में स्थापित हो जाते हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से मुख्य केन्द्र सक्रिय बना रहता है। उनके अनुरूप शब्द श्रवण की जिज्ञासा मस्तिष्क में जागृत होती है। उम जिज्ञासा की पूर्ति के लिए मस्तिष्कीय शब्द केन्द्र की रचना भी निर्मित हो जाती है। उम केन्द्र की शाखा-प्रशाखाओं के माध्यम से तदनुरूप शब्द ग्रहण की

प्रणालिया भी एक टेप का रूप ले लेती हैं । वैसे ही शब्दो को ग्रहण करने में वे प्रणालिया तत्पर रहा करती है ।

जब शब्द को आसक्तिपूर्वक ग्रहण किया जाता है तब तदनुरूप गध, रस और स्पर्श की प्रणालिया भी कार्यरत बन जाती हैं । इन सभी विषयो के पोषण के लिये खाद्य पदार्थ भी उनके लिये अन्वेषणीय हो जाते हैं । इन सबकी सम्पूर्ति आसक्ति के अनुरूप ही हो जाय—ऐसा भी प्राय नही बनता, तब फिर मानसिक विकल्पो का जाल मस्तिष्कीय वायुमण्डल मे व्याप्त हो जाता है । अर्हनिश उन सकल्पो-विकल्पो के तानो-बानो मे ही जीवनी शक्ति का व्यय होता रहता है । परिणामस्वरूप अन्य किसी विशिष्ट शक्ति के जागरण का अवकाश ही नही रहता । शब्द, रूप, गध, रस, स्पर्श की इस प्रकार की प्रणालिया उनसे विपरीत दशा को स्थान देने मे रुकावटे डालती है, इसीलिये मनुष्य अधिकाशत. खोया-खोया सा यत्रवत् जीवन व्यतीत करता है ।

मूर्छावस्था से जागृति

शब्द, रूप, गध, रस, स्पर्श की वासनायुक्त प्रणालियो से प्रभावित जीवन को एक दृष्टि से मूर्छा का जीवन कह सकते हैं । मूर्छा की अवस्था मे कई बार व्यक्ति कार्य करता हुआ भी देखा जाता है । उसकी उन कार्य पद्धतियो मे से कई पद्धतिया "काकतालीय न्याय" की दृष्टि से लोक-कल्याणकारी भी प्रतीत होती हैं और उनसे वह जन साधारण द्वारा सम्मान भी पा जाता है । वैसे दशा मे मूर्छा को ग्रह वृत्ति की खुराक और मिल जाती है जिससे वह मूर्च्छाग्रस्त जीवन अपने आप को कृतकृत्य मान लेता है और सोच बैठता है कि मैं सब कुछ करने वाला हो गया हूँ—अब मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नही रहा । इस प्रकार की तन्द्रावस्था मे सम्पूर्ण जीवन व्यतीत हो जाता है । मस्तिष्कीय-तन्त्रो की अस्त-व्यस्तता मे ही शारीरिक शक्तियाँ क्षीण होने लगती है । फिर उसमे कुछ करने का उत्साह भी नही रहता । परिणामस्वरूप ऐसा मूर्च्छाग्रस्त जीवन कल्पित अतृप्त वासनाओ मे ही मृत्यु के आगमन की प्रतीक्षा करने लगता है ।

कई पुरुष शारीरिक शक्ति के विद्यमान रहते हुए ही विशिष्ट सत्पुरुषो से सम्पर्क करके स्वय मे कुछ जागृति लाने का साहस बटोरते हैं । मूर्छा से व्याप्त परिधि मे भी वे जागरण-केन्द्रो को जागृत करने का प्रयास करते हैं । उनका क्रम यह बनता है कि वे दिन-रात के चौबीस घटो मे से किसी भी शान्त प्रशान्त एक घटे के समय का चयन कर लेते हैं और उस समय मे नियमित रूप से एकान्त मे बैठकर अपनी मूर्छावस्था को विलग करने का पुरुषार्थ करते हैं । वे चेष्टा करते रहते हैं कि उनके आत्मस्वरूप की आदर्श अवस्था विकसित हो और वह दृढीभूत बने । उस समय मे दीर्घकाल से व्याप्त मूर्छावस्था से सम्बन्धित केन्द्र-उपकेन्द्र एवं उनकी अधीनस्थ प्रणालिया साधक की जागृतावस्था की अकुरित ज्योति पर

आक्रमण करती है। उस समय यदि साधक सावधान नहीं रहता है तो वह उन आक्रमणकारी प्रणालियों के अधीन हो जाता है तथा उन प्रणालियों में ही अपनी साधना देखने लगता है। कुछ समय तक इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। तब वह साधक स्वयं हतोत्साह हो जाता है और सोचता है कि यह दृश्य जगत् ही सब कुछ है। अभौतिक तत्त्व का अस्तित्व भी उसके अन्दर में दोलायमान हो जाता है। वह फिर आगे की सीढ़ी पर चढ़कर जागृति के सूत्र को पकड़ नहीं पाता है।

इसके विपरीत कई साधक अपनी सामर्थ्य-शक्ति को पूरी तरह से व्यवस्थित बनाकर साधना के नियत समय में उच्चतम चरम लक्ष्य को सम्मुख रखते हैं एवं दृढ सकल्प के साथ साधना पद्धति को प्रारम्भ करते हैं। ऐसी दृढता के साथ वे मूर्छा जनित प्रणालियों के आक्रमणों को साहसपूर्वक झेलते हैं और उनके साथ सफल संघर्ष करते हैं। इस प्रकार अविचलित भाव से वे जागृति की दो-तीन सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ जाते हैं। उस समय कुछ स्थूलावस्थान के रूप में रहने वाली विविध रंगों से अनुरजित किन्हीं ज्योतियों के देखने का प्रसंग आता है। वहाँ यदि वह साधक सजग नहीं रह पाया और उतनी ही उपलब्धि को ही अपनी समग्र उपलब्धि मानने के भ्रम में पड़ गया तो उस अवस्था में मूर्छाजनित प्रणालियाँ साधक के आशिक जागृति स्वरूप को दबोच लेती हैं। तब वह आन्तरिक अनुभूति रूप समतामय दृष्टि का वरण नहीं कर पाता है।

बुद्ध साधक अपनी आन्तरिक शक्ति के प्रबल जिज्ञासु बनकर साधना के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं तथा सद्गुरु का सान्निध्य पाकर उनकी छोटी से छोटी अनुभूति को हृदयगम करने लगते हैं। वे उनके आदेश-निर्देश को उपेक्षा भाव से श्रवण नहीं करते। वे दृश्य वस्तुओं से विलग होकर उनके प्रति बनने वाली आसक्ति को मध्यस्थ भाव के साथ अवलोकन करने की चेष्टा करते हैं। अहर्निश की दिनचर्या का वे प्रतिदिन निरीक्षण-पराक्षण करने का भी ध्यान रखते हैं। वे निरर्थक कार्यों में अपनी श्रमूल्य शक्ति का अपव्यय नहीं करके समभाव के साथ आत्मस्वरूप को आलोकित करने का यत्न करते हैं। कौन पुरुष किस प्रकृति का है तथा किस लहर में वह कर-वह कार्य कर रहा है, इस तथ्य का वह साधक अवलोकन करता है तथा उसका कार्य अपनी वृत्ति के प्रतिकूल होने पर भी वह अपनी समभाव की वृत्ति को खडित नहीं होने देता। उसके माथ यथायोग्य आत्मोपमा पूर्ण व्यवहार करता है। "आत्मवत् सर्वभूतेषु" उनका चिन्तन बन जाता है। उसी चिन्तन धारा में वह साधक सोचता है कि "उसकी आत्मा भी मेरी आत्मा के तुल्य ही है लेकिन वह आनुवाशिक सस्कारों एवं पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव में सुषुप्त है। उसकी सुषुप्ति कैसे दूर हो, उसके लिये मैं अपनी स्थिति में रहता हुआ प्रयत्न करूँ। वह जागृत हो सकेगा या नहीं, यह मुझे नहीं सोचना है। मुझे तो इसके निमित्त से अपनी आन्तरिक पवित्र दृष्टि

का सृजन कर लेना है। वह जितना-जितना मेरे प्रतिकूल व्यवहार करेगा, उतना उतना मुझे अन्तरावलोकन का अवकाश मिलेगा। यदि किसी समय उसके व्यवहार को देखकर मन में भुभुलाहट पैदा हो गई और उसको तिरस्कृत करने के लिए शब्दों का भटका दे दिया तो उसकी दुष्प्रवृत्ति बढ़ेगी ही, साथ ही कुछ समय से प्रवाहित हो रही मेरी आन्तरिक शक्ति को जागृत करने वाली धारा भी टूट जायगी। तब उसकी क्षति की अपेक्षा मेरी क्षति अधिक होगी। इस प्रकार यदि बार-बार प्रतिकूल अवस्था को समभाव से मैं सहन करता रहूँगा तो आन्तरिक विकास की मेरी अभ्यास पद्धति एक दिन सफल होकर रहेगी।”

इस प्रकार का चिन्तन जो साधक करता है और चिन्तन अनुरूप अपने आचरण को ढालता रहता है, उसकी मूर्छा जनित प्रणालियाँ शनैः-शनैः क्षीण प्रभावी होने लगती हैं एव जागृति के केन्द्र बल पकड़ने लगते हैं। तब उस साधक के चरण मूर्छावस्था से स्थायी जागृति की ओर बढ़ते चले जाते हैं।

आभ्यन्तर शक्ति का विकास

आभ्यन्तर शक्ति का सृजन जीवन की सम्पूर्ण सृजनात्मक वृत्तियों से ही सम्भव होता है। ऐसी वृत्तियों का निर्माण करने के लिये निरन्तर उपयोग की आवश्यकता होती है, जो एक सजग प्रहरी के समान सदा सतर्क रहे। इस सृजनात्मक वृत्तियों के प्रतिकूल अन्य जितनी भी वृत्तियाँ उभरकर सामने आएँ सतत जागृत उपयोग उनको आन्तरिक शक्ति की धारा को खडित न होने दे। उसका सावधान प्रयत्न रहे कि वह धारा अबाध गति से बहती-बढ़ती चले। वह उस धारा का समुचित संरक्षण भी करे तो समीक्षण दृष्टि के साथ अन्य वृत्तियों का अवलोकन एव विश्लेषण भी करे। उन वृत्तियों को उनके गुण-बल के अनुसार विभाजित करके वर्गीकृत करले और उनकी क्रियाओं का सूक्ष्म निरीक्षण करता रहे। साधक का ऐसा उपयोग सदा और सर्वत्र जागृत रहे।

सतत जागृत उपयोग की सक्रियता से साधक यह देखने के अपने यत्न में सफल हो सकेगा कि विभिन्न वर्गों की समस्त वृत्तियों में कितनी वृत्तियाँ मूर्छा-भाव का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। समीक्षण दृष्टि से उसे यह भी ज्ञात हो जायेगा कि कौनसी ऐसी वृत्तियाँ हैं जो ऊपर से तो मेरी जागृति के लिये हिता-वह होती हैं परन्तु वे छल-बल से अमुक दृश्य पदार्थ की आसक्ति की तरफ मुझे धकेल कर मेरी प्रवर्धमान समतानुभूति को प्रभावित करना चाहती हैं। वह यह भी देख सकेगा कि यदि उन वृत्तियों से मेरी प्रवर्धमान समतानुभूति किसी भी रूप में प्रभावित हो गई और मैं सामान्य रूप से भी मूर्छाग्रस्त हो गया तो उपलब्ध की हुई समग्र समतानुभूति भी विद्धिन्न हो जायगी। यह देख कर अपने वर्गीकरण में सशोधन करता चला जाता है तथा अपने उपयोग में सावधानी को बढ़ा लेता है।

इस प्रकार आन्तरिक अवस्थान में एक प्रकार का सघर्ष चलने लगता है। एक ओर मूर्च्छाजनित प्रणालियाँ आक्रामक रूप धारण किये रहती हैं तो दूसरी ओर आन्तरिक ज्ञान एवं समतानुभूति के केन्द्र उन आक्रमणों को विफल बनाते रहते हैं। इस सघर्ष में आभ्यन्तर शक्ति का श्रेष्ठतर विकास सम्पादित होता चला जाता है। आभ्यन्तर शक्ति के उत्तरोत्तर विकास के साथ साधक में यह क्षमता उत्पन्न हो जाती है कि वह आसक्तिजनित भावों को ज्ञान केन्द्रों तथा उप-केन्द्रों पर से दूर करना आरम्भ करता है और जहाँ-जहाँ आसक्ति का रस या रंग उसे दिखाई देता है, वहाँ-वहाँ वह समभाव के रस या रंग का प्रसार कर देता है। इस प्रकार जैसे प्रकाश फैलने पर अन्धकार विलीन हो जाता है, उसी प्रकार आसक्ति जनित वृत्तियाँ और प्रणालियाँ आन्तरिकता के प्रागण से विलीन हो जाती हैं।

समभाव एवं समीक्षण दृष्टि

जब साधक का समभाव प्रबल बन जाता है तब समीक्षण दृष्टि तीव्र एवं सतर्क बन जाती है। वह बाहरी ससर्गों से उत्पन्न होने वाली बाधक वृत्तियों का सफलतापूर्वक परिमार्जन करता रहता है। क्योंकि निरन्तर आगे बढ़ते रहने की उसकी अभिलाषा बलवती बन जाती है। वह सोचता है कि मेरा समभाव तथा मेरी समीक्षण दृष्टि अभ्यास के समय में जितनी सर्वाधिक रहती है, वैसा ही उनका प्रभाव अन्य समय में भी बना रहे, जिससे मैं कभी भी बाधक वृत्तियों के होने वाले आक्रमण को विफल कर सकूँ। जो वृत्ति विषम वृत्ति के साथ मेरे प्रतिकूल चलें, उनकी प्रतिकूलता को भी मैं अपनी सहायिका मानकर कार्य करूँ। उनके प्रति मेरी आभ्यन्तर शक्ति का ऐसा प्रभाव हो कि आक्रान्ता वृत्तियाँ अपना आक्रमण-भाव छोड़कर अस्तित्वहीन होती जाएँ। कदाचित् उन वृत्तियों की जड़ें अधिक गहरी हो और उनमें जल्दी परिवर्तन की सम्भावना न हो तो मैं यह सतर्कता रखूँ कि वे बाधक वृत्तियाँ मेरे आभ्यन्तर विकास में हीन भावना पैदा न कर सकें। समभाव एवं समदृष्टि के साथ मैं उन बाधक वृत्तियों के आक्रमणों को सहन करता रहूँ तथा जब भी काललब्धि परिपक्व हो जाए, उन वृत्तियों को अस्तित्वहीन बना दूँ।

समभाव एवं समीक्षण दृष्टि के फलस्वरूप जब ऐसा चिन्तन साधक का चलता रहेगा तो मन-मानस में दुर्बलता का प्रवेश नहीं हो सकेगा एवं आभ्यन्तर विकास निरन्तर पुष्ट तथा बलवान् होता चला जायगा।

क्रोध की विफलता के सूत्र

क्रोध की चिनगारी भीतर से उठते ही कैसे बुझा दी जाय और क्रोध को बढ़कर बाहर प्रकट हो सकने का अवसर ही न मिले, यह साधक की आभ्यन्तर

विकास-दशा पर निर्भर करता है। क्रोध की विफलता के सूत्र उसके आन्तरिक चिन्तन से ही उद्भूत होते हैं।

जब साधक पर विषमता का किसी व्यक्ति अथवा वृत्ति द्वारा आक्रमण हो तो उसके चिन्तन की धारा इस प्रकार चलनी चाहिये—“ये विषय वृत्तियों वाले व्यक्ति मुझ पर अपनी विषमता का प्रयोग करके मेरी सहिष्णुता की परीक्षा करना चाहते हैं। यदि मैं असहिष्णु बन जाऊँगा तो फिर ये अधिक विषम प्रहार करना प्रारम्भ कर देंगे। मैं इनके विरोध में जितना क्रोध और रोष करूँगा, तिरस्कार और ताड़ना तक बढ़ूँगा, उतना ही मेरा अमूल्य जीवन-तत्त्व नष्ट होता जायगा। मेरी सफल साधना छिन्न-भिन्न हो जायगी, क्योंकि क्रोध जनित क्रिया प्रतिक्रियाओं का क्रम तभी टूटता है जब जीवन ऊर्जा विलुप्त हो जाती है। मेरा क्रोध मेरे ही रक्त को विषाक्त बना देगा, मस्तिष्क के ज्ञान केन्द्रों को आग लगा देगा और दीर्घ आयुष्य को क्षति पहुँचाएगा। सद्गुणों की फसल उगाने वाली मेरी मानस भूमि को यह विनाशकारी क्रोध ऊसर बना देगा। मैं अपने सशक्त साधनों से दुनिया को अपने क्रोध की जीत भी दिखा दूँगा तो क्या वह जीत वास्तविक होगी? क्या मैं उस जीत के बाद अपने ही अन्तःकरण में नगा और उद्वेग नहीं दिखाई दूँगा? विषम वृत्ति वाले व्यक्तियों को बाहर से पछाड़ करके भी क्या मैं उनकी विषम वृत्ति को पछाड़ सकूँगा? वह विषम वृत्ति तो तब अधिक प्रतिशोधात्मक बन जायगी। दूसरी ओर क्या मैं भी विषम वृत्ति की आग में नहीं जलने लगूँगा? तब फिर ऐसे क्रोध को मैं उठने ही क्यों दूँ? क्यों न उसकी उठती हुई पहली चिनगारी को ही भीतर ही भीतर बुझा दूँ और भीतर बाहर की अपनी शान्ति को तनिक भी भग न होने दूँ।?”

क्रोध को विफल बना देने वाला यह सूत्र विषय वृत्ति वाले व्यक्तियों को भी प्रभावित करेगा और उन्हें समवृत्ति की दिशा में मोड़ देगा।

साधक की चिन्तन धारा पूर्वकृत क्रोध के परिमार्जन रूप में भी चलती रहनी चाहिये, यथा—“मैंने व्यर्थ ही क्रोध किया तथा रोष के वशीभूत होकर अपने व्यवहार को विकृत बनाया। मैंने इस प्रकार अपने तन-मन को झुलसाया और जीवन को भी दूषित किया। मेरा पारिवारिक गौरव खडित हुआ, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा बाह्य हुई और मैं राष्ट्र की गरिमा को भी भूल गया। मैं सिर्फ अपने ही अहंभाव तथा ममत्व में डूब गया और इस प्रकार अपने आभ्यन्तर विकास की महान् क्षति के नीचे दब गया। अहंकार के नशे को ही मैं अपनी जीत मान रहा था। यह कैसी विडम्बना थी। यह तो मेरी हार थी, क्योंकि विजय तो उस पुरुष की हुई जिसने मेरे विद्वेषपूर्ण वचनों तथा क्रोध की फुफकारों के उपरान्त भी प्रतीकार के रूप से एक भी शब्द नहीं कहा, बल्कि मुस्कराता रहा। उसने तो अपनी समता की शक्ति बढ़ा ली और मैं विषम बनकर समता

की शक्ति खो बैठे। यह मैंने भयकर भूल की है। मैं सकल्प करता हूँ कि भविष्य में कभी ऐसी भूल फिर न हो।”

यह विचारणा क्रोध को विफल करने में बड़ी प्रभावशालिनी सिद्ध होगी। इस विचारणा में आन्तरिक संघर्ष में समत्व की शक्तियों को बल मिलेगा तथा विषमताजनक शक्तियाँ दुर्बल बनकर धीरे-धीरे विलीन हो जाएँगी। साधक की यह विचारणा जितनी अधिक पुष्ट होती जायेगी, वह भविष्य में अधिकाधिक सुदृढ़ भी बनती जायेगी। तब साधक की चिन्तन धारा इस रूप में प्रवाहित होने लगेगी कि मैं अपने अन्तरंग में रहने वाली विषम-प्रवृत्तियों को रूपान्तरित कर लूँ, जिससे आसक्ति जनित केन्द्र, उपकेन्द्र तथा उनकी प्रणालियाँ सक्रिय न हो सकें और न वे मेरे शरीर तथा मेरी मासपेशियों को उत्तेजित बना सकें। बाहरी प्रबल निमित्त पाकर भी ये प्रणालियाँ निष्क्रिय बन जाय। घर में बारूद भले भरा हो, अगर बाहर का कोई निमित्त उसे भडकाने वाला न पैदा हो तो उस बारूद में घर का कोई विगाड नहीं हो सकता है। बाहर के निमित्त से ही बारूद भडक कर घर को नष्ट-भ्रष्ट कर सकता है। अतः मैं किसी बाहरी निमित्त को आग की चिनगारी न बनने दूँ। साथ ही बारूद रूपी विषम वृत्तियों को मैं सम में रूपान्तरित करना आरम्भ कर दूँ ताकि घर को कभी कोई खतरा न हो। तब मेरी आभ्यन्तर शक्ति एक विशाल सागर का रूप ले लेगी, जिसमें कितने ही आग के गोले फँके जाएँ, सागर का कुछ नहीं विगड़ेगा और वे आग के गोले बुझकर फँकने वाले को शान्ति की राह दिखा सकेंगे। जब मैं रूपान्तरण को पूर्णतया सफल बना दूँगा तब क्रोध को पूरी तरह विफल भी कर दूँगा और सच्चा “कोह दसी” भी बन जाऊँगा। यही मेरी सच्ची विजय होगी।

इस प्रकार का समीक्षण ध्यान यदि साधक निरन्तर करने लगे तो अल्पावधि में ही वह क्रोध-समीक्षण कर लेगा तथा क्रोधजयी बन जायगा।

क्रोध की तात्कालिक विफलता के भी पाँच सूत्र बताये गये हैं —

१. एकान्त में चले जाएँ

क्रोध के भडकते ही उठकर एकान्त में चले जाएँ ताकि क्रोध को बरसने का अवकाश नहीं रहेगा। जब कोई लक्ष्य सामने नहीं रहेगा तो स्वतः ही वह शांत हो जायगा।

२. मौन हो जाएँ

उस समय मौन धारण कर लें ताकि वाचिक एवं कायिक प्रभाव तो समाप्त हो ही जायगा।

३ क्रोध विरोधी चिन्तन प्रारम्भ कर दें

तब मानसिक सकल्पों को भी उत्तेजित होने से रोकने के लिये क्रोध विरोधी चिन्तन प्रारम्भ कर दें ताकि क्रोध का विस्तार सभी द्वारों से बन्द हो जाय ।

४. कार्य में प्रवृत्त हो जाएँ

अपेक्षाकृत शान्त भाव आते ही किसी भी कार्य में लग जाएँ ताकि क्रोध का अवशिष्ट प्रभाव भी थोड़े समय में समाप्त हो जाए ।

५. श्वास निरोध क्रिया कर

शरीर और मन पर से क्रोध के बाहरी विषाक्त प्रभाव को दूर करने के लिए दो चार मिनट तक श्वास निरोध क्रिया सञ्चालित करें ताकि (स्वाभाविक स्थिति उत्पन्न हो जाए) हल्कापन लौट आए ।

निर्विकार अन्तर्दृष्टि

निर्विकार अन्तर्दृष्टि ऐसी दृष्टि को कहेंगे, जिसमें विकार का लेश मात्र भी न हो । उसके सामने चाहे जितना विकारपूर्ण प्रदर्शन उपस्थित हो जाए, इन्द्रियों के माध्यम से व्यक्ति के भीतर में सुषुप्त विकार भले स्मृति-पटल पर उभरने लगें, पर वे विकार कार्य रूप में परिणत न हो सकें । उनको कार्यान्वित न होने देने की क्षमता जिस अनुभूतिमय दृष्टि में पैदा हो गई है, वही निर्विकार दृष्टि का रूप ले लेती है, क्योंकि वह दृष्टि उन विकारपूर्ण दृष्टियों की प्रचुरता में से ही विकसित होती है । इसलिये विकारों के क्या और कैसे दुष्परिणाम होते हैं, इसका वह दृष्टि प्रत्यक्ष अनुभव ले चुकी होती है । पूर्वानुभव के कारण ही ऐसी निर्विकार दृष्टि विकारपूर्ण वृत्तियों का कुप्रभाव शरीर की मास-पेशियों पर नहीं होने देती है । स्मृति-पटल पर ही वे विकार सशोधित परिवर्तित हो जाते हैं । उनमें से निस्सार वृत्तियाँ विलग हो जाती हैं तथा सारपूर्ण वृत्तियाँ उसी अनुभूति की पुष्टिकारक बन जाती हैं ।

प्रतिदिन नियत समय पर एकाग्रतापूर्वक यत्न किया जाय तो ऐसी निर्विकार अन्तर्दृष्टि का शनैः-शनैः विकास किया जा सकता है । प्रारम्भ में विकारी वृत्तियों को अनावृत करने के लिये परिपूर्ण निर्विकारी तत्व का ध्यान करना होता है । जिस केन्द्र पर उसका ध्यान किया जाय, उसी पर प्रतिदिन, नियत समय पर ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है । प्रारम्भ में एकाग्रता जमने में कठिनाई आती है, क्योंकि वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है । परन्तु साधक दृढ सकल्प के साथ परिपूर्ण उत्साह से भरकर उपयोग को वहाँ टिकाये

रखने की कोशिश करता है तो कुछ समय बाद वहाँ उनकी काली छाया दीखने लगती है, जैसी अन्धकार से परिपूर्ण रात्रि के समाप्त होने के समय दिखाई देती है जिसे देखते-देखते वही कालिमा धीरे-धीरे लालिमा में रूपान्तरित होती हुई प्रतीत होती है। तब ध्यान के समय में कभी काली छाया तो कभी लालिमा आती जाती रहती है। फिर धीरे-धीरे कालिमा हल्की होती जाती है तथा लालिमा चमकदार बनती जाती है। उसी चमक की वृद्धि के साथ फिर सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं। उस केन्द्र पर काले रंग के बाद उसके स्थान पर नीला तथा फिर हरा रंग प्रकट होता है। यह हरा रंग गहरा होकर हरीतिमा के समान मनोहर हो जाता है। तदनन्तर विचित्र प्रकार के रंगों की स्थिति प्रकट होती रहती है और उन्हीं के बीच में जाज्वल्यमान ज्योति प्रतिभासित होती है। उसके पश्चात् यदि साधक धैर्य का सम्बल लेकर गम्भीरतापूर्वक इनको पचाता हुआ दीपक के तुल्य लालिमा में प्रवेश करने की योग्यता अर्जित कर लेता है तो निर्विकार अन्तर्दृष्टि की किरणें स्पष्ट रूप से दृश्यमान होने लगती हैं।

यदि साधक इस अभ्यास क्रम को बिना किसी थकान के बढ़ाता रहे और अकुर के रूप में प्रकट हुई निर्विकार-दृष्टि का प्रतिदिन सपोषण एव सबर्धन करता रहे तो उसकी निर्विकार दृष्टि निरन्तर बढ़ती रहती है। उसका प्रभाव तब अन्य केन्द्रों पर भी पड़ने लगता है। पहले पहल कुछ समय तक उसमें उपयोग स्थिरता प्राप्त करनी होती है। फिर कुछ काल के पश्चात् साधना के नियत समय से भी आगे परिपूर्ण समय तक उपयोग की स्थिरता स्थायी बन जाती है। उसके बाद उसी अभ्यास क्रम से उसमें प्रगाढ आनन्दाभूति एव शत्रु-मित्र के प्रति समभाव की वृत्ति इतनी मुन्यवस्थित हो जाती है कि साधना-काल के अतिरिक्त समय में भी उसी प्रसन्नता के साथ निर्विकार दृष्टि का अनुभव होने लगता है। साधक इसी गति से आगे बढ़ता रहे तो चलते-फिरते, खाते-पीते, उठते-बैठते, सोते-जागते आदि प्रत्येक अवस्था में उसे निर्विकार दृष्टि की सुखद अनुभूति होने लगेगी। तब एक प्रकार से साधक का जीवन उन अनुभूतियों के साथ एकमेक हो जाता है।

फिर उस साधक के सामने कोई भी प्रसंग आए, कितनी ही विकट परिस्थितियाँ पैदा हों, कैंसा भी दूषित वातावरण निर्मित हो गया हो, उसकी आनन्दानुभूति में किसी प्रकार की स्थलना नहीं पहुँच सकती। साधक अपने ऊपर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित कर लेता है। वह अवस्था उसके जीवन को सफलीभूत बनाने में सक्षम हो जाती है। उस निर्विकार दृष्टि में निर्विकार तत्व ही भासित होने लगते हैं। विकारी तत्वों के भीतर में भी वह दृष्टि निर्विकार अंशों ही सम्भूत रख कर उसका प्रकटीकरण करती है। अतएव धनीभूत विकारों में भी वह यत्किञ्चित् निर्विकार तत्व ही ग्रहण करती है। जैसे रत्नों का वास्तविक पारंगी नाच के टुकड़ों में से रत्न को खोज निकालता है या कंकड़ों के बीच

मिट्टी से लिप्त होने पर भी रत्न को खोज लेता है अथवा कीचड़ में दबे रत्न को भी पहिचान लेता है। परन्तु उन काच के टुकड़ों, मिट्टी-ककड़ों या कीचड़ से अपने आपको प्रभावित नहीं होने देता है। उसकी दृष्टि पवित्र रत्न को खोजने में ही लगी रहती है। अतएव दुर्गन्धमय अशुचि से लिपटे रत्न को भी वह उठा लेता है, पर अशुचि से घृणा और विद्वेष नहीं करता, वैसे ही निर्विकार दृष्टि से सम्पन्न उपर्युक्त प्रकार का साधक गन्दे से गन्दे शरीर वाले व्यक्ति को देखकर भी उससे किंचित् मात्र भी घृणा नहीं करता, चाहे वह भयकर कुष्ठ रोग से ही पीडित क्यों न हो। उसके शरीर में स्थित निर्विकार तत्त्व को ही महत्त्व देता है। रोगों की दुर्गन्धमय अवस्था को देखकर भी वह अपनी निर्विकार दृष्टि में किसी भी प्रकार की घृणा विद्वेषादि की विकृति नहीं आने देता है। वह उसकी शारीरिक अवस्था के कारणों को तटस्थ भाव से चिन्तन में लेता है। वह सोचता है कि इस आत्मा ने पूर्व में घृणा, विद्वेष, क्लेश आदि विकारपूर्ण वृत्तियों से अपने अन्तःकरण को कालिमाय बनाया होगा जिसके फलस्वरूप ही उसके ऐसे कर्मों का बन्धन हुआ। अब उन्हीं कर्मों के उदय का प्रसंग आया लगता है। यह आत्मा इन रोगों की उपस्थिति में दुःख पा रही है और हाय-विलाप करते हुए कर्मों का भोग ले रही है एव दुःखान्तरित करते हुए पुनः वैसे ही कर्मों का बन्धन कर रही है। अज्ञानी आत्माओं के लिये ऐसा सिलसिला चालू रहता है। रोगों की रोग से वृद्धि होती है, क्योंकि रोग के हेतुभूत भावों में विषमता होने से कर्म बन्धन भी पुनः वैसे ही होते हैं। फिर उन कर्मों का उदय आने पर पुनः वैसे ही कुष्यान्तरित चलाता है। उस समय अधिक क्लिष्टता आने से कभी-कभी पूर्वपेक्षा भी अधिक जटिल कर्मों का बन्धन हो जाता है। यह मिथ्यात्वी आत्माओं की दशा की अनादिकालीन शृंखला चक्रव्यूह की तरह अटूट रूप से चलती रहती है।

कभी सत्पुरुषों के सम्पर्क से, सत्शास्त्रों के वाचन-मनन से अथवा काल-लब्धि की प्राप्ति से ऐसी आत्माओं को सद्बोध प्राप्त हो सकता है। उस सद्बोध में सम्यक् दृष्टि की प्राप्ति के साथ भावों का परिमार्जन होने लगता है। वे तब अपने आप में स्थिर होने की कला भी सीख लेती हैं और उस अनादिकालीन मिथ्यात्व दशा की शृंखला को तोड़कर स्व-स्वरूप की ओर अग्रसर होने लगती हैं। जिन कारणों से कर्म बन्धन का सिलसिला चल रहा था उन कारणों को तब वे समाप्त करने की कोशिश करती हैं। फिर वे अपनी भावशुद्धि, वचनशुद्धि तथा आचरण शुद्धि भी करती रहती हैं।

शान्ति और प्रेम का वायुमण्डल

क्रोध-समीक्षण एव क्रोध-त्याग के अभ्यास क्रम के पश्चात् साधक के चारों ओर का वायुमण्डल शान्ति और प्रेम के अनुभवों से ओत-प्रोत होने लगता है। अपने अभ्यास क्रम में वह व्यक्ति क्रोध का भविवेकपूर्ण दमन नहीं करता, बल्कि

पूरे विवेक एवं सद्भाव से उसका शमन करता है। वह समतापूर्वक चिन्तन करता है कि विकृत अथवा विषय निमित्तों को देखकर या उनके समीप में रहकर भी मैं अपने परिणामों में विद्वेष और कलुषितता को नहीं आने दूँगा—चाहे वे मुझे कितना ही तिरस्कृत करें, अपमानित करें और मेरे प्रति घोर अन्याय का व्यवहार करें। मैं अपने समभावों को तनिक भी खडित नहीं होने दूँगा। मैं तो उनके प्रति अपनी पूर्ण सद्भावना ही व्यक्त करूँगा। मेरे शब्द मधुर ही रहेंगे तथा कार्य नीतिपूर्ण ही। जैसे भी होगा मैं उन्हें भी सशोधित करने का पूरा प्रयत्न करता रहूँगा। मैं उभय पक्ष का हित ही साधूँगा, जिससे अशुभ भाव जनित कर्म बन्धन न हो।

इस रूप में, शान्ति, प्रेम एवं सौहार्द का वायुमण्डल बनने से उभय पक्ष के साथ-साथ अनेकानेक व्यक्तियों का भी हित-सम्पादन हो सकेगा। कल्पना कीजिये—एक व्यक्ति धी का पात्र लेकर चल रहा है और दूसरा व्यक्ति उसे उत्तेजित करके उस अमृत तुल्य धी को मिट्टी में मिला देना चाहता है। तो क्या पहले व्यक्ति को यह विवेक नहीं रखना चाहिये कि वह अपने धी को बरवाद होने में बचाले? यह तो बाह्य पदार्थ धी की बात है किन्तु क्रोध से उत्तेजित होकर कोई भी व्यक्ति आसानी से इतना अविवेकी बन जाता है कि अपनी मानसिक, वाचिक एवं कायिक शक्ति को तो नष्ट करता ही है, साथ ही अपने आसपास के वायुमण्डल को भी घृणा, विद्वेष तथा शत्रुता से कलुषित बना देता है। अतः क्रोध की उत्तेजना में बुद्धि को निष्क्रिय नहीं बना देना चाहिये।

अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए पूरी समझ के साथ क्रोध का शमन करते रहना चाहिये। क्रोध शमन के तात्कालिक पाँच उपाय बताये गये हैं—

१ पूर्व प्रतिज्ञा का विचार

क्रोध न करने तथा समभाव रखने की जो पहले प्रतिज्ञा की हुई हो उस पर पुन-पुन. विचार करें।

२ पूर्व प्रतिज्ञा दृष्टि में लें

विचार के साथ उस प्रतिज्ञा को स्वयं दृष्टा बनकर देखें।

३. प्रतिज्ञा का बारम्बार स्मरण करें

जब तक क्रोध शान्त न हो जाय, उस प्रतिज्ञा का बारम्बार स्मरण करते रहें तथा कदाचिन् क्रोध उत्पन्न हो गया हो तो दण्ड-प्रायश्चित्त लेने का सकल्प करें।

४ मन और कार्य की दिशा बदलें

मन मे अन्यान्य शुभ विचारो को जागृत करे तथा कोई नया शुभ काम हाथ मे ले लें ताकि चित्तवृत्ति परिवर्तित हो जाय एव क्रोध का विस्मरण होकर शमन हो जाय ।

५. पंच परमेष्ठि का ध्यान करें

नेत्र बन्द करके नमस्कार महामन्त्र का एव पंच-परमेष्ठी का एकाग्रता-पूर्वक जाप करना आरम्भ कर दे ।

क्रोध त्यागें, अजातशत्रु बनें

जिस पुरुष ने मानव तन के महत्त्व तथा आत्मा को समझा है, चिन्तन-मनन के क्षणो मे इन तत्वो को उपलब्धि करने का निर्णय लिया है, उसी तन-मन से उनके साक्षात्कार की सम्भावना मान ली है तथा अपने ध्यान योग को उस दिशा मे मोड लिया है, वह साधक अपनी साधना की सिद्धि एक न एक दिन पा लेता है । इस साधना का आरम्भ होता है क्रोध के त्याग से, जो प्रगति करती हुई सभी विषय-कषायो को समाप्त करती है तथा समभाव, समदृष्टि एव समीक्षण ध्यान से विभूषित बन कर साधक को अजातशत्रु बना देती है ।

मानव तन के भीतर रहा हुआ आत्म-तत्व मूल रूप से अविनाशी चिदानन्द-स्वरूप तथा अजातशत्रु स्वभावी है । इस तत्व के मूल रूप को प्रकाशित करना ही साधना का चरम लक्ष्य है । जब लक्ष्य स्पष्ट और अविनाशी हो और साधना एकनिष्ठ, तब सिद्धि स्वयमेव समीप चली आती है । नाशवान पदार्थों के प्रति ममत्व का जब परित्याग किया जायगा तो क्रोध के प्रकट होने के अवसर ही प्रायः समाप्त हो जाएँगे । यदि नाशवान से विरक्ति होगी तो अविनाशी के प्रति ध्यान अधिक केन्द्रित होगा । उस अविनाशी स्वभाव की परिणति तब मानस तन्त्र पर उभारनी होगी । तब उसके अनुरूप, निर्मित होने वाली भावनाओं के प्रभाव से वाणी "माहणो" के रूप मे अभिव्यक्ति होगी । तब वही भावनाएँ कार्यो मे उतर कर सब ओर प्रेम की वर्षा करने लगेंगी । समूचे वायुमण्डल मे मैत्री की सुगन्ध फैल जायगी । विभिन्न पर्यायो मे परिणत आत्माएँ 'आत्मवत्' प्रतीत होगी और शत्रु भाव उत्पन्न ही नहीं होगा । जब कोई शत्रु नहीं होगा तो यही कहा जायगा कि सभी शत्रु विजित कर लिये गये हैं । इस अवस्था मे ही किमी को अजातशत्रु कहा जा सकता है ।

अभय बनें, अभय बनावें

अविनाशी आत्मस्वरूप की साधना से जब अजातशत्रुत्व प्राप्त हो जाता है

नो वह साधक पूर्ण रूप से भय रहित हो जाता है। अविनाशित्व के साथ मृत्यु का ही भय नहीं। अतः साधक सर्वप्रकारेण अभय बन जाता है। साधक के मानस तन्त्र में व्याप्त अभय भावना तब व्यापक रूप से क्रियाशील बन जाती है। वह भावना विनाश रूप परिणति से भयाक्रान्त अवस्था वाले प्राणियों को अभय दान प्रदान करने के रचनात्मक कार्य में परिणत होती है। मानस तन्त्र की उभय प्रणालियाँ उस समय दूसरो को भी इस प्रकार के कार्य की प्रेरणा देती हैं एव अभय भावना के अनुरूप पर्यायो को जानकर प्रफुल्लित होती हैं।

अभय भावना की यही परिणति वाचिक शक्ति में परिवर्तित होकर समस्त आत्माओं को उद्बोधन देती है। उसके उद्बोधन का यह आशय होता है कि— “मैं स्वयं नाश के भय को उपस्थित नहीं करूँगी और दूसरो के माध्यम से भी ऐसा नहीं करवाऊँगी। अतः तुम सभी मेरी ओर से पूरी तरह निर्भय रहो।” अन्तरात्मा की ऐसी नाद-ध्वनि विश्व में रहने वाले समस्त प्राणियों के मानस तन्त्र को प्रभावित करती है। इस क्रिया की तदनुकूल प्रतिक्रिया उस साधक के साध्य के अनुरूप साधन में सहायक होगी क्योंकि सृष्टि के अन्तर्तन्त्र में सूक्ष्म रूप से क्रिया और प्रतिक्रिया बनती रहती है, यथा ध्वनि की प्रतिध्वनि ध्वनि के अनुरूप ही होती है।

साधनों की प्रामाणिकता

साधन का दूसरा पक्ष प्रामाणिकता है। इसके बिना साधनों की समुचित पालना ही नहीं सकती। साधक द्वारा सर्वदा अपनी मर्यादाओं का उपयोग रखना तथा साधना को साध्याभिमुखी बनाये रखना अन्तःकरण की साक्षी के बिना सम्भव नहीं होता है। यह अन्तःकरण की सच्ची साक्षी ही साधनों की प्रामाणिकता को बनाये रखती है। अन्तःकरण की प्रामाणिकता वाचिक और कायिक रूपों में ढलकर एक साधक के व्यक्तित्व को प्रामाणिकता से प्रतिष्ठित बनाती है।

इस रूप में प्रामाणिकता की प्रतिष्ठा उस साधक का रक्षा-कवच बन जाती है क्योंकि जब कभी उसकी साधना में कोई दुर्बलता के क्षण आते हैं तो उसके मन में विचार उठता है कि यदि वह अपनी दुर्बलता को प्रारम्भ में ही समाप्त नहीं कर देगा तो उसकी प्रामाणिकता को ठेस पहुँचेगी। प्रतिष्ठित प्रामाणिकता का निर्वाह उसकी सर्वतोमुखी सुदृढता का कारणभूत बन जाता है। ऐसी सुदृढता ही साधना के सधन वृक्ष को मूल रूप से सिंचन करने वाली सहायिका होती है। इस सिंचन के द्वारा उसकी साधना सिद्धि रूपी फल प्राप्त करने की दिशा में अग्रगामी बनती है।

अतएव साधक को अपने साधन रूप में उपाजित प्रामाणिकता को प्रथम

पक्ष के मानसिक घरातल पर अखण्डित रखना चाहिये । साथ ही बाह्य जीवन मे भी सभी पक्षो मे प्रामाणिकता की पूर्ण आवश्यकता रहती है । इस प्रामाणिकता से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है तो पारिवारिक जीवन मे भी प्रामाणिकता का संचार करता हुआ सामाजिक एव राष्ट्रीय जीवन मे प्रामाणिकता का महत्त्वपूर्ण वायुमण्डल निर्मित कर सकता है । प्रामाणिकता का दीपक आभ्यन्तर एव बाह्य दोनो प्राणो को प्रकाशित करने वाला है । इस प्रकाश के बिना किसी भी क्षेत्र मे परिपूर्ण सफलता नही मिल सकती है ।

जे कोह दसी, से माण दंसी

समीक्षण-ध्यान एव समतामय आचरण के बल पर एक साधक अपनी साधना के अनुरूप क्रोध सम्बन्धी स्कन्धो का अवलोकन कर सकेगा । वह वीतराग देव की वाणी के अनुसार क्रोध के दृष्टा के रूप मे "कोह दसी" होगा । जब क्रोध को देखने की क्षमता उस साधक मे जागृत हो जायगी तब वह क्रोध रूप कार्य की जो समर्थ कारण-सामग्री होती है, उसका भी समीक्षण कर लेगा ।

जैसे क्रोध के स्कन्ध आपेक्षिक दृष्टि से अति सूक्ष्म होते हैं, वैसे ही मान के स्कन्ध भी अति सूक्ष्म होते हैं । अतः जो साधक "कोह दसी" बन जाता है, वह "माण दसी" भी बन जायगा । इसी कारण शास्त्र मे कहा गया है "जे कोह दसी, से माणदसी" अर्थात् जो क्रोधदर्शी है, वह मानदर्शी है । क्रोध की समर्थ कारण-सामग्री को देख लेने के साथ ही वह साधक मान की समर्थ कारण-सामग्री को भी देख लेता है । तलघर मे उतरने के लिए जैसे सीढियो की आवश्यकता होती है, वैसे ही मानव जीवन की गहराइयो मे प्रवेश करने के लिये क्रोध समीक्षण को पहली सीढी के रूप मे ले सकते हैं ।

क्रोध-समीक्षण की पहली सीढी पर जब साधक का पाव जम जाय, तब वह दूसरी सीढी पर उतरने का उपक्रम करेगा । अतः जिस साधना के बल पर वह पहली सीढी पर सफलतापूर्वक उतर पाया था, निश्चित रूप से दूसरी सीढी पर उतरने के लिए उसकी साधना उसके अनुरूप अधिक समुन्नत बननी ही चाहिये । पहली सीढी से पाव उठाने तथा उमके दूसरी सीढी पर जमने के बीच की साधना को इस रूप मे शास्त्रों ने मान्यता दी है कि वह क्रोध समीक्षण से मान समीक्षण की ओर बढ़ रही है । उस समय मे क्रोध समीक्षण की सम्पूर्ति होती है तथा मान समीक्षण का पूर्व प्रारम्भी क्षण । यही "जे कोह दसी, से मान दसी" की सूक्ति का साधना-पथ है ।

पहली सीढी से पैर उठाकर दूसरी सीढी पर उसे जमाने के बीच का समय वस्तुतः साधना की कडी कसौटी का होता है । उन क्षणो में पावो के लडखडा जाने की काफी सम्भावना रहती है । उस चलायमान अवस्था मे यदि

साधक डगमगा गया और अपने को व्यवस्थित रूप से सम्भाल न पाया तो उसकी प्रगति या तो अवरुद्ध हो जायगी अथवा उस चलायमान अवस्था में वह पुनः पहली सीढ़ी पर आ जायगी। वैसी स्थिति में उसकी प्रगति रुक जायगी। अतः साधक को चाहिए कि वह इस अन्तरिम काल में अपनी निर्विकार समीक्षण दृष्टि को अधिक तीक्ष्ण बनाए। पहली सीढ़ी पर रहते हुए ही दूसरी सीढ़ी के लिये व्यवस्थित तैयारी करे जिससे कि वह मान सम्बन्धी स्कन्धों को कार्य-कारण भाव के साथ देखता हुआ धैर्य के साथ दूसरी सीढ़ी के लिये अपने पाव उठाये। इस अनुमधान का संकेत प्रभु महावीर ने उपर्युक्त सूक्ति के माध्यम से आचाराग सूत्र में दिया है और बतलाया है कि जो क्रोध का दृष्टा होगा, वही पुरुष मान का दृष्टा होगा। उसी का नकारात्मक रूप होगा कि जो क्रोध का दृष्टा नहीं है, वह मान का दृष्टा नहीं है।

क्रोध एक ऐसा कोहरा (ध्रुवर) है कि उसमें से दूर की वस्तु को देख लेना कठिन होता है। कभी-कभी तो बिल्कुल पास की वस्तु भी नजर नहीं आती और सामान्यतया जिस रूप में वस्तु दीखनी चाहिये, कोहरे के कारण वह वस्तु उस रूप में नहीं दिखाई देती। जितनी दिखती है, वह भी धूमिल सी दिखाई देती है। अतः दूर की वस्तु को देख लेने का तो प्रसंग ही नहीं रहता। वैसे ही अज्ञानी मानव का जीवन क्रोध रूपी कोहरे से प्रायः व्याप्त रहता है। जब सूर्य की किरणें अधिक तेज बनकर उस कोहरे पर गिरती हैं, तब कोहरे का असर घटने लगता है। वैसे ही आत्मा रूपी सूर्य की निर्विकार समीक्षण दृष्टि रूप किरणें अधिक प्रखन बनेंगी तभी क्रोध रूपी कोहरे का घनत्व कम हो सकेगा, बल्कि वह सिमट कर मिटने लगेगा। वैसी स्थिति में जीवन सम्बन्धी समीप का स्वरूप भी कुछ स्पष्ट दीखने लगेगा। इस प्रकार क्रोध के हटे बिना आगे की यात्रा मफल नहीं हो सकेगी। इस तथ्य को ध्यान में रखकर साधक उभय रूप माधना को अखण्डित रखते हुए आगे चलने का प्रयास करेगा तो वह सीढ़ी दर-सीढ़ी बढ़ता रह सकेगा।

कार्य का उपादान कारण छोटा होता है। कारण को देखने से अज्ञात व्यक्ति सहसा यह निर्णय नहीं कर सकता है कि यह कितने विशाल कार्य का कारण बन सकता है। वट वृक्ष का बीज, वट वृक्ष का उपादान कारण है। वट वृक्ष रूपी कार्य की विशालता की तुलना में वह बहुत ही छोटा होता है। वह छोटा या बीज रूप कारण विशाल वट वृक्ष रूपी कार्य में परिणत हो जाता है। उन्हीं प्रकार क्रोध स्कन्ध रूप कार्य का कारण प्रायः मान स्कन्ध होता है। जब मान स्कन्धों में एक वृत्ति बनती है तो वह वृत्ति अह रूप विकार से श्रोत-प्रात होती है। उसका व्यापक रूप नारे शरीर में रहता है और मस्तिष्क का मुख्य केन्द्र अपने-उप-केन्द्रों को नहायता में मान वृत्ति का मचालन करता है। यह

वृत्ति क्रोध वृत्ति की अपेक्षा सूक्ष्मता के साथ विशेष रूप से सक्रिय होती है, परन्तु इसकी सक्रियता सहसा जात नहीं होती, क्योंकि यह वृत्ति शिकारी बिल्ली की तरह चुपचाप अपनी खुराक ग्रहण करने में तत्पर होती है। इसे चारों ओर से अपनी पुष्टि की चाह रहती है। प्रतिक्षण यह लालसा बनी रहती है कि सारी दुनिया की मान प्रतिष्ठा मुझे ही मिल जाय। यह वृत्ति प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार को इसी तीव्रता से देखती रहती है कि उसका व्यवहार मेरे सम्मान के अनुकूल है या प्रतिकूल ? प्रतिकूलता की समझ के साथ ही उसका क्रोध भडक उठता है। इस रूप में मान भी क्रोध का कारण बन जाता है।

अतः साधक “कोह दसी” से “माण दसी” बनते समय अपनी साधना के सम्बन्ध में पूरी सतर्कता रखे तथा अपनी अन्तर्यात्रा को प्रगतिशील बनावे।



